चतुर्थ माला, खंड 46, अंक 11 मंगलवार, 24 नवम्बर, 1970/3 अग्रहायण, 1892 (शक)
Fourth Series, Vol. XLVI No. 11 Tuesday, November 24, 1970/Agrahayna 3, 1892 (Saka)

Preservation Unit 12-8-87
Fumigated On 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

बारहवां सत्र
Twelfth Session

31.3.71

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

(68) Comp

Lok Sabha Debates
(Hindi)

Vol. 46
Nos. 11 – 20

24th Nov — 8th Dec

1970

P.L.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, मंगलवार, 24 नवम्बर, 1970/3 अग्रहायण, 1892 (शक)
No. 11, Tuesday, November 24, 1970/Agrahayana 3, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
301. हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों में काम के लिए प्रोत्साहन	Incentives for work in Hindustan Steel factories	... 1—7
302. भारत में विधान परिषदों का अंत करना	Abolition of Legislative Councils in India	... 7—15
303. इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Steel	... 15—16
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
2. भारतीय खाद्य निगम द्वारा भर्ती किये गये मद्रास पत्तन के मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Madras Harbour Workers engaged by Food Corporation of India	... 16—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
304. आधारभूत उद्योगों की समस्याओं की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति	Expert committee to go into Problems of Key Industries	... 19—21
305. टायर निर्माण एककों का विस्तार	Expansion of Tyre Manufacturing Units	... 21
306. सीमेंट के नए कारखाने आरम्भ करने के लिए आशय-पत्र	Letters of Intent for Starting New Cement Factories	... 21—22
307. इस्पात संयंत्रों में मजदूर संघों का निलम्बन	Suspension of Labour Unions in Steel Plants	22
308. थुम्बा केन्द्र के समीप लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries near Thumba Station	... 22

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
309. छड़ें, सलाखें तथा इस्पात के मूल्य	Prices of Bars, Rods and Torsteel ...	23
310. निश्चित अवधि के अन्दर आम चुनाव सम्पन्न कराना	Completion of General Elections within certain period ...	23
311. सोनीपत के एक गांव में हरिजनों का सामाजिक बहिष्कार	Social Boycott of Harijans of a village of Sonepat	24
312. दिल्ली में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Electoral Rolls in Delhi	24
313. टीन की चादरों का आयात	Import of Tinplates ...	24—25
314. कोटा (राजस्थान) में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Kota (Rajasthan) ...	25—26
315. सीमेंट की कमी और उसके मूल्यों में वृद्धि	Scarcity of Cement and Increase in Prices ...	26—27
316. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सामान की सप्लाई न करने के कारण विद्युत की कमी	Power shortfall due to non-delivery of goods by Heavy Electricals (India) and Bharat Heavy Electricals ...	27
317. सीमेंट से नियन्त्रण का हटाया जाना	Decontrol of Cement ...	27—28
318. गांधीधाम से भुज तक बड़ी लाईन	Broad Gauge line from Gandhidham to Bhuj	28
319. राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार में वृद्धि	Speeding up of Rajdhani Express ...	28
320. समस्तीपुर से रक्सौल तक दरभंगा और मुजफ्फरपुर होकर भी (पूर्वोत्तर रेलवे) ब्राड गेज लाईनों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Broad Gauge lines from Samastipur to Raxaul via Darbhanga and also via Muzaffarpur (North Eastern Railway) ...	28—29
321. चुनाव याचिकाओं पर लगने वाले समय तथा व्यय को घटाने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to Minimise Expenditure and time on an Election Petition ...	29—30
322. तिरुचिरापल्ली में बायलर बनाने के लिए अमरीकी फर्म के साथ करार	Agreement with American Firms for the manufacture of Boilers at Tiruchirapalli	30
323. इण्डियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा रेलवे प्रशासन के मध्य समझौता	Compromise between President Indian Railway, Loco and Mechanical Staff Association and Railway Administration	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
324. हरिजनों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Harijans	31
325. नागपुर और आमला के बीच जी० टी० एक्सप्रेस के ब्रेक-वान से चोरी	Theft in Brake van of G. T. Express between Nagpur and Amla ...	31
326. मालगाड़ी के डिब्बों की सप्लाई के लिए बम्बई की गैर-सरकारी फर्मों को क्रयादेश देना	Placing of orders with Private Firms of Bombay for supply of Railway Wagons ...	32—33
327. लोहे के कबाड़ का उपयोग	Utilization of Scrap Iron	33
328. स्वीडन राष्ट्रकों को भारतीय बच्चे गोद लेने की अनुमति	Permission by Swedish Nationals to adopt Indian Children ...	33—34
329. इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय जानकारी की माँग	Indian know how sought to Foreign Countries for setting up Steel Plants	34
330. चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के पास रांची पटना एक्सप्रेस गाड़ी से सामान का लूटा जाना	Looting of Goods from Ranchi Patna Express Train near Chandrapura Railway Station ...	34—35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2001. गुजरात में युद्धोत्तर आवास पुनर्निमाण योजना 219	Post war Reconstruction Housing Scheme, 219 in Gujrat	35
2002. रेलवे माल डिब्बों की खरीद	Purchase of Railway Wagons ...	35—36
2003. राष्ट्रपति श्री गिरि के चुनाव के विरुद्ध दी गई निर्वाचन याचिका के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय के अधिकारियों पर व्यय	Expenditure on Officers of Law Ministry in connection with Election Petition against President Giri's Election ...	36—37
2004. दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्टील मैल्टिंग शाप में तालाबन्दी	Lock out in Steel Melting shop of Durgapur Steel Plant ...	37—38
2005. रूमानिया के सहयोग से ईंटें बनाने का स्वचालित संयंत्र स्थापित करना	Automatic brick making plant with Rumanian Collaboration ...	38—39
2006. उत्तर रेलवे के एक स्टेशन पर अधिकारियों के रुकने की अवधि	Duration of stay of Officers at one station on Northern Railway ...	39
2007. रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा अभीनीत नाटकों पर खर्च	Expenditure on Dramas played by Railway Employees and Officers	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2008.	रेलवे कर्मचारियों को आन्तरिक सहायता का दिया जाना	Grant of Interim Relief to Railway Employees	39—40
2011.	केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा की भर्ती नियमों में परिवर्तन	Modifications in Recruitment Rules to Central Engineering Services	40
2012.	रेलवे मन्त्री के साथ जोनल रेलवे के महाप्रबन्धकों तथा सुरक्षा अधिकारियों का सम्मेलन	Conference of General Managers of Zonal Railways and Safety Officers with Railway Minister	40
2013.	आईलैंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी की रफ्तार में वृद्धि	Increase in speed of Island Express Train	41
2014.	वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के बकाया इस्पात माँग-पत्र	Backlog of indents of Steel for Actual Users	41
2015.	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के टोकियो में आयोजित सम्मेलन में भारत का योगदान	India's Contribution in ECAFE Conference held in Tokyo	41—42
2016.	ताँबे का मूल्य	Copper Prices	42
2017.	मनीला में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन की बैठक में भारत का भाग लेना	India's Participation in UN Industrial Organisation Meeting at Manila	42—43
2018.	सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली वनस्पति तेल की मिलें	Vegetable Oil Factories to be set up in Co-operative Sector	43—44
2019.	पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw materials for Small Scale Industries in West Bengal	44
2020.	बोकारो इस्पात संयंत्र में बिजली घर लगाना	Installation of Power Station at Bokaro Steel Plant	44—45
2021.	विदेशी सिगरेट कम्पनियों का कार्य संचालन	Working of Foreign owned Cigarette Companies	45
2022.	सिगरेट उद्योग को संरक्षण देना	Protection to Cigarette Industry	45
2023.	सूती कपड़े की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Textile Machinery	45—46
2024.	राजधानी में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Consumer Goods in the Capital	46—47
2025.	मध्य प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	Prices of consumer goods in Madhya Pradesh	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2026. वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध का कीमतों पर प्रभाव	Effect of Ban on Forward Trading on prices	... 47—48
2027. लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की वसूली की अवधि में कमी करना	Reduction in period of Repayment of loans advanced to Small Scale Industries	... 48
2028. राज्य निदेशकों को इस्पात के कोटे का अन्तरण	Transfer of Steel quota to State Directors	... 48—49
2029. मंगलौर रेलवे स्टेशन का विकास	Development of Mangalore Railway Station	... 49—50
2030. लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants	50
2031. लघु क्षेत्र के लिए मदों का आरक्षण	Reservation of items for small scale Sector	... 50—51
2032. कोयला उद्योग द्वारा रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की कीमत में वृद्धि की माँग	Demand of coal industry for increase in coal price supplied to Railways	51
2033. औद्योगिक विकास के लिए पूर्वी जर्मनी से सहायता	Aid from East Germany for Industrial Development	51
2034. औद्योगिक विकास के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों में समन्वय	Coordination between Central and State Governments for Industrial Growth	... 51—52
2035. मेसर्ज ट्राइस्कोर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड बम्बई द्वारा 'फ्लंज' तथा 'बंग्स' का निर्माण	Manufacturing of Flanges and Bungs by M/s Trisure India Private Ltd. Bombay	... 52—53
2036. पश्चिम रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति न करना	Gazetted Officers on Western Railway not given promotions	... 53
2037. रेलवे के दो कर्मचारी संघों तथा रेलवे बोर्ड के बीच ट्रेन एग्जामिनरों की शिकायतों के बारे में विचार-विमर्श	Discussion on Grievances of Train Examiners between two Railway Federations and Railway Board	... 54
2038. मुगलसराय (पूर्व रेलवे) पर नियुक्त कैरिज तथा वैगन कर्मचारियों को जारी किये गये आरोप-पत्र	Charge sheets served on carriage and wagon men posted at Mughalsarai (Eastern Railway)	... 54
2039. स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई और हिन्द गैलवनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा आयातित इस्पात का उपयोग	Utilisation of Imported Steel Sheets by Standard Drum and Barrel Mg. Co., Bombay and Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Limited Calcutta	... 54—55

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2040.	पांडिचेरी में स्कूटर कारखाना	Scooter Plant in Pondichery ...	55
2041.	सलाखों, छड़ियों और टोरस्टील के लिए अधिक मात्रा की माँग-पत्र	Inflated Indents for Bars, Rods and Torsteel ...	56
2042.	परमाणु टरबाइन के निर्माण के लिए ब्रिटिश फर्म और हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के बीच करार	Agreement between British Firm and Heavy Electricals Ltd. Bhopal for Manufacture of Nuclear Turbines ...	56—57
2043.	भूमिहीनों को रेलवे भूमि का वितरण	Distribution of Railway Land to Landless	57
2044.	अखिल भारतीय टिकट जाँच कर्मचारी संघ की ओर से अभ्यावेदन	Represenfation from All India Ticket Checking Staff Association	57
2045.	हथ-कर्घा कपड़े की गाँठ को बिना बुक किये पांडू भेजे जाने के बारे में जाँच करना	Investigation into Despatch of Unbooked Bale of Handloom Cloth to Pandu ...	57—58
2046.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का अध्यक्ष तथा निदेशक	Chairman and Board of Directors of Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd. ...	58—59
2047.	डीजल इंजनों तथा डीजल कारों का उत्पादन	Production of Diesel Engines and Diesel Cars ...	59
2048.	मनीपुर के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपनाए गए समाज कल्याण सम्बन्धी उपाय	Social Measures adopted by Social Welfare Board Manipur ...	59
2049.	नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के सहायक प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Assistant Manager of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ...	59
2050.	खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मचारी एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई को ज्ञापन देना	Memorandum to Khadi and Village Industries Commission, Bombay by Khadi Gramodyog Bhawan Workers Association, New Delhi ...	60
2051.	नई दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा गोदाम को खाली करना	Vacation of Godown by Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ...	60
2052.	कच्छ जिले (गुजरात राज्य) में गाँधीधाम लखपत लाइन का सर्वेक्षण कार्य	Survey for Gandhidham—Lakhpat Line in Kutch Distt. (Gujarat State) ...	60—61

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2053. रेलवे को हुई अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप तीसरी श्रेणी का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव ·· — Proposal to increase Third Class Fare due to Excessive Loss to Railways — 61

2054. सौनपुर और मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच यात्री रेलगाड़ियों की कमी — Shortage of Passenger Trains between Sonpur and Muzaffarpur (North Eastern Railway) — 62

2055. छपरा तथा मोतीहारी के बीच रेल लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) बनाना — Rail Link between Chupra and Motihari (North Eastern Railway) — 62

2056. छपरा को मोतीहारी से मिलाने के लिए डुमरिया घाट पर पुल का निर्माण — Construction of Bridge over Dumaria Ghat to link Chupra with Motihari ... 62—63

2057. छोटी कार कारखाने के लिए इटली की फिएट कम्पनी से प्रस्ताव — Offer from Fiat Company of Italy for Small Car Plant — 63

2058. अखिल भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन की सिफारिशें — Recommendation of All India Social Welfare Conference ... 63—64

2059. स्वराज ट्रैक्टरों का निर्माण — Manufacture of Swaraj Tractors — 64

2060. हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लांट द्वारा बायलरों की सप्लाई — Supply of Boilers by Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar ... 64—65

2061. आसनसोल जिले में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कोयला खानों के कार्य पर प्रभाव — Work in collieries affected by strike of Railwaymen in Asansol District — 65

2062. पश्चिमी बंगाल में इस्पात के कारखाने की स्थापना — Setting up of Steel Plant in West Bengal — 65

2063. विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास — Rehabilitation of Physically handicapped persons ... 65—66

2064. धनबाद के मंडलीय वाणिज्यिक अधीक्षक (डिवीजनल कमर्शियल सुपरिन्टैन्डेन्ट) का घेराव — Gherao of Divisional Commercial Superintendent in Dhanbad ... 66—67

2065. समस्तीपुर मंडल (पूर्वोत्तर रेलवे) के सवारी तथा माल डिब्बा विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत पन्द्रह सूत्री माँगें — Fifteen point demands Submitted by employees of Carriage and Wagon Deptt. Samastipur division (North Eastern Railway) — 67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
2066. रेलवे माध्यमिक विद्यालय, गरहारा (पूर्वोत्तर रेलवे) का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Railway Middle School, Garhara (N. E. Rly)	... 67—68
2067. समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) में केन्द्रीय स्कूल	Central School at Samastipur (North Eastern Railway)	68
2068. स्थायी सहायक रेल पथ निरीक्षकों के पद पर रखे गए कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखों का हस्तांतरण	Transfer of Provident Fund and Service Records of staff absorbed as Assistant Permanent Way Inspectors on Northern Railway	... 68—69
2069. भारतीय रेलों में अस्थायी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, गार्ड, टिकट चैकर और बुकिंग क्लर्क	Temporary Station Masters, Assistant Station Masters, Guards, Ticket Checkers and Booking clerks on Indian Railways	69
2070. रेलवे खान पान विभाग को लाभ हानि	Profit/loss incurred by Railway Catering Department	69
2071. लघु क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए विधेयक	Legislation for development of Small Scale Industries	... 69—70
2072. 1970 में औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences during 1970	70
2073. रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई न किया जाना	Non supply of uniforms to Railway Employees	... 70—71
2074. पूंजी निवेश पर लाभ	Return on Capital Investment	... 71
2075. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रचार अभियान पर व्यय	Expenditure on Advertising Campaign of Hindustan Steel Limited	... 71—72
2076. पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित लोहना रोड स्टेशन के नाम को बिदेश्वरधाम में परिवर्तित करना	Change of name of Lohna Road Station to Bideshwardham (North Eastern Railway)	... 72
2077. टाटा बन्धुओं और बिड़ला बन्धुओं को लायसेन्सों का जारी किया जाना	Issue of licences to Tatas and Birlas	... 72—73
2079. रेलों के लिए आयात किए गए सामान	Stores Imported for Railways	... 73—74
2080. लघु उद्योगों के लिए वनों पर आधारित औद्योगिक योजनाएं	Forest based Industrial Schemes for Small Scale Industries	74
2081. राज्यों में मद्य निषेध	Prohibition in the States	... 74

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2082. 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले फीरोजपुर के अस्थायी कर्मचारियों को वेतन के अन्तर की राशि की अदायगी न किया जाना	Non payment of Difference in Wages to Temporary Employees of Ferozepur who participated in 1968 Strike	... 74—75
2083. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पहले दिये गये छुट्टी वेतन को वसूल करना	Recovery of Leave Salary earlier paid to Employees who participated in September, 1968 strike	... 75—76
2084. गुन्तकल-बंगलौर रेलवे लाईन (दक्षिण रेलवे) में परिवर्तन करने सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey for conversion of Guntakal–Bangalore line (Southern Railway)	76
2085. मध्य प्रदेश के लिए रेलवे विकास योजना	Railway development scheme for Madhya Pradesh	... 76—77
2086. लाइसेन्सों के लिए मध्य प्रदेश से आवेदन-पत्र	Applications for licence from Madhya Pradesh	77—78
2087. मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए धन का आबंटन	Funds allocated for Welfare of Backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Madhya Pradesh	78
2088. मध्य प्रदेश में आदिम जाति विकास खण्ड	Tribal Development Blocks in Madhya Pradesh	... 78—79
2089. रेलगाड़ियों में मद्यपान पर रोक	Ban on use of liquor in trains	... 79—80
2090. गोमोह रेलवे स्टेशन पर फलक लगाना	Plaque at Gomoh station	80
2091. विकास कार्य के लिए पश्चिम बंगाल को आबंटित निधियाँ	Funds allotted to West Bengal for development work	... 80—82
2092. बम्बई की उपनगरीय रेलगाड़ियों में अपराधों में वृद्धि होना	Rise in crimes on Bombay Suburban Railway Trains	... 82
2093. बम्बई की उपनगरीय रेल व्यवस्थाओं में दुर्घटनाओं के कारण मारे गए/घायल हुए व्यक्ति	Persons killed/injured due to accidents on Bombay suburban Railway Systems	... 82—83
2094. दक्षिण कनारा जिले में वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old age pension scheme in South Kanara District	... 83—84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2095. अजमेर स्थित उपमुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) के कार्यालय में माल यातायात के बारे में नाम खाते डाली गई राशियाँ	Goods Traffic debits raised in the office of Dy. C. A. O. (TA) at Ajmer	84
2096. पूर्वी, उत्तरी और मध्य रेलवे के ट्रेन परीक्षकों द्वारा नियमानुसार कार्य करो आन्दोलन	Work to rule agitation by train examiners of Eastern, Northern and Central Railway ...	85
2097. भोपाल के हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड में हड़ताल	Strike in Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal ...	85—86
2098. बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव	By-Election in Bilaspur Parliamentary Constituency	86
2099. चण्डीगढ़ के लिए समाज कल्याण योजना	Social Welfare scheme for Chandigarh	86
2100. दिल्ली स्थित विदेश परियात लेखा कार्यालय और अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालय में जाँच प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of staff for checking purposes in Foreign Traffic Accounts Office at Delhi and Traffic Accounts Office, Ajmer ...	86—87
2101. उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में नये हाल्ट स्टेशनों का चालू किया जाना	Commissioning of new Halt Stations in Bikaner Division of Northern Railway ...	87—88
2102. बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में नये रेलवे हाल्ट स्टेशनों का खोला जाना	Opening of new Railway Halt Stations on Bikaner Division (Northern Railway)	88—89
2103. बीकानेर डिवीजन के रेलवे स्टेशनों का विकास और बीकानेर (उत्तर रेलवे) स्टेशन पर पुलों का निर्माण	Development of Railway Stations of Bikaner Division and construction of Bridges at Bikaner (Northern Railway) ...	89
2104. स्टेशनों पर पार्सल कलर्कों के पद का सृजन करने से सम्बन्धित नियम	Rules regarding creation of posts of parcel clerks at Stations ...	89
2105. भारतीय रेलवे की समस्याओं के लिए विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति	Engagement of Foreign Experts for Indian Railway problems	90
2106. आन्ध्र प्रदेश द्वारा व्हील्ड टाइप ट्रेक्टर का निर्माण	Manufacture of Wheeled Type Tractor by Andhra Pradesh	90—91

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2107.	महाराष्ट्र में 1940 में बन्द की गई दरवहा मोती बाग-पुसद रेलवे लाईन को पुन: चालू करना	Restoration of Darwha Moti Bagh-Pusad Railway line in Maharashtra dismantled in 1940 ...	91—92
2108.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को रेलवे केटरिंग स्टालों का आबंटन	Allotment of Railway Catering Stalls to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	92
2109.	मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ	Scholarships for Post Matric Classes ...	92
2110.	नागपुर के बुनकर समाज कल्याण मंडल द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by Weavers' Social Welfare Board. Nagpur	93
2111.	मध्य रेलवे के छोटी लाइन सेक्शन पर डीजल इंजनों का चलाया जाना	Diesel Engines for Narrow Gauge Sections of Central Railway	93
2112.	दतिया रेलवे स्टेशन पर पूर्व की ओर से प्लेटफार्म का ऊँचा किया जाना	Raising of Eastern side Platform at Datia Railway Station	93
2113.	ग्वालियर से मशीनों को ले जाने से मना करना	Refusal to transport Machinery from Gwalior	94
2114.	जीवाजी गंजा, घोसीपुरा आदि स्टेशनों से माल की बुकिंग बन्द करना	Stoppage of Booking of Goods from Jivajiganj, Ghosipura etc. ...	94—95
2115.	अमरीकी सहयोग से मैसर्स एसकोर्टस् द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of tractors by M/s Escorts with American Collaboration	95
2116.	पूर्वी रेलवे में परिवहन पर्यवेक्षकों का स्थायीकरण	Confirmation of Transport Supervisors on Eastern Railway ...	95—96
2117.	लघु उद्योग सेवा संस्थान का त्रिचूर से एरनाकुलम (केरल) में स्थानान्तरण	Transfer of Small Industries Service Institute from Trichur to Ernakulam (Kerala) ...	96
2118.	कुरुक्षेत्र में दिल्ली आने वाली फ्लाइंग मेल तथा सवारी गाड़ी के बीच टक्कर को रोकना	Prevention of collision between Delhi bound flying Mail and Passenger train at Kurukshetra ...	96
2119.	उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर टनकपुर घाट के साथ खेती योग्य भूमि	Cultivable land along Tanakpur Ghat on U. P. Nepal border	97
2120.	उप-मुख्य लेखा अधिकारी (टी० ए०) अजमेर की श्रमिक विरोधी नीति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation Re. Anti Labour Policy by Dy. C. A. O. (TA) Ajmer ...	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2121. मैसर्स ऐस्कोर्टस् लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Production of Tractors by M/s. Escorts Limited	... 97—98
2122. जालन्धर पठानकोट सेक्शन (उत्तर रेलवे) में मील पत्थर 87 के स्थान पर निचली सतह पर पानी की निकासी	Outlet to water at a Lower Level at Milestone 87 Jullundur-Pathankot Section (Northern Railway)	... 98—99
2123. उड़ीसा में लघु क्षेत्र के उद्योगों में इस्पात की कमी	Shortage of Steel for Small Scale Industries	99
2125. पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in West Bengal	99
2126. वित्तीय रियायतों के लिए लघु उद्योग सम्बन्धी बोर्ड का सुझाव	Suggestion of Small Scale Industries Board for Financial Concession	... 99—100
2127. लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Small Scale Industries Board	... 100—101
2128. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant	101
2129. मार्टन लाइट रेलवे के प्रतिनिधि मंडल की रेलवे मंत्री से भेंट	Meeting of Deputation of Management of Martin Light Railway with Railway Minister	... 101—102
2130. पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा पदों का भरा जाना	Filling up of Posts by Qualified Scheduled Castes on North Eastern Railway	102
2131. कश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चा द्वारा चुनाव चिह्न की माँग	Demand for Election Symbol by Plebiscite Front of Kashmir	... 103
2132. उग्ना हाल्ट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे)	Ugna Halt Station (North Eastern Railway)	103
2133. संसद् भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय से ताज तथा राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण के लिए कोटा	Allotment of Quota for Reservation in Taj and Rajdhani Express Trains to Railway Booking office at Parliament House	... 103—104
2134. वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	104
2135. उत्तर प्रदेश और बिहार विधान परिषदों का उत्सादन	Abolition of Bihar and U. P. Legislative Councils	... 104—106
2136. विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा हरिजनों का धर्म परिवर्तन	Harijans converted by Foreign Missionaries	... 106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2137. चौथी योजना में मद्य निषेध कार्यक्रम	Prohibition programme during Fourth Plan	106
2138. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उपद्रवी तत्व	Troublesome Elements in Durgapur Steel Plant ...	106—107
2139. मालगाड़ियों के गार्डों को ड्राइ सैल एलैक्ट्रिक टार्चों का सप्लाई न किया जाना	Non-Supply of Dry Cell Electric Torches to Guards of Goods Trains ...	107—108
2140. राज्यों में स्कूटर व्यापारी	Scooter Dealers in States	108
2141. अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन	Allotment of quarters to Staff of Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi	109
2142. पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य यातायात लेखा कार्यालय में सुरक्षित कोटे में क्लर्क ग्रेड I में पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade I Against reserved quota in Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi	109
2143. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ. टी. ए.) पश्चिम रेलवे दिल्ली के कार्यालय में पदों का भरा जाना	Filling up of posts in the office of Senior Accounts Office (FTA) Western Railway, Delhi	109—110
2144. वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में निर्णय	Decision on the report of Uniforms Committee	110
2145. बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए अधिक सवारी डिब्बे	More bogies for suburban trains in Bombay ...	110—111
2146. बम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ को कम करने के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to reduce over-crowding in Bombay Suburban Trains	111
2147. गैर मान्यता प्राप्त संघों के लिए बात-चीत करने की सुविधा	Negotiating facilities to unrecognised unions ...	111—112
2148. रेलवे कर्मचारी संगठनों द्वारा संघों को श्रेणीवार मान्यता देने की माँग	Demands by Railway Employees Organisations for recognition of Unions categorywise ...	112
2149. राँची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Muslim employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	113
2150. दिल्ली प्रशासन को आबंटित किये जाने वाले वैंस्पा/लम्ब्रैटा स्कूटरों का मासिक कोटा	Allotment of monthly quota of Vespa/Lambretta Scooters to Delhi Administration ...	113—114

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2151. उदार आयात और लाइसेंस नीतियाँ	Liberalised Import and Licensing Policies ...	114—115
2152. सरकारी क्षेत्र में नाइलोन के कपड़े तथा इस्पात उत्पादों का निर्माण	Manufacture of Nylon fabrics and Steel Products in Public Sector ...	115
2153. समाज कल्याण निदेशालय के सुपरिन्टेडेंटों के वेतनमानों में असमानता	Disparity in Pay Scales of Superintendent under Directorate of Social Welfare ...	115
2154. भारी इंजीनियरिंग निगम, राँची के सुरक्षा कर्मचारियों को पुनः काम पर लेना	Reinstatement of Security Staff of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	116
2155. यात्रा के लिए वारन्ट प्राप्त सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों को अमृतसर तथा चण्डीगढ़ स्टेशनों पर स्थान सुरक्षित कराने के लिए पृथक-पृथक खिड़कियाँ	Separate reservation window at Amritsar and Chandigarh Stations for Military and other people holding warrants for journey ...	116—117
2156. होस्पेट स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के ड्राइवर को उपदान की राशि की अदायगी	Payment of Gratuity amount of a driver of Hospet station (South Central Railway)	117
2157. मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन का सुधार	Improvement of Railway track between Mysore and Chamarajanagar	117
2158. चामराजनगर सत्यमंगला रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Chamarajanagar-Satyamangala Railway line ...	117—118
2159. रेलवे द्वारा नियुक्त अंशकालिक दन्त चिकित्सक	Part-time Dentists employed by Railways	118
2160. पटेल नगर तथा दिल्ली छावनी के स्टेशनों के बीच की रेलवे भूमि पर झुग्गियाँ	Jhuggies on Railway land between Patel Nagar and Delhi Cantt. Stations ...	118—119
2161. नई दिल्ली के लिंक रोड लैवल क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल का निर्माण	Overbridge at the Link Road Level Crossing, New Delhi ...	119
2162. पठानकोट स्टेशन (पंजाब) का पूछताछ कार्यालय	Enquiry Office at Pathankot Station (Punjab) ...	119
2163. अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन	Amendments in Advocates Act ...	119—120
2164. गन्ने के भाड़े में वृद्धि	Increased Freight on Sugar cane ...	120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2165. दक्षिण मध्य रेलवे पर सामग्री पड़ताल कर्त्ताओं के पदों का दर्जा बढ़ा कर सामग्री क्लर्कों के समान किया जाना	Upgrading of posts of Material Checkers as Material Clerks (South Central Railway)	... 120
2166. सिविल इंजीनियरिंग विभाग (दक्षिण मध्य रेलवे) के कनिष्ठों को वरिष्ठों की तुलना में अधिक वेतन किया जाना	Juniors Drawing more pay than their Seniors in Civil Engineering Department (South Central Railway)	121
2167. भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ	Retirement Benefits to Ex-Nizam State Railways Employee	... 121—122
2168. श्री गंगानगर स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर अनिश्चित काल के लिए चल रही हड़ताल	Indefinite Strike at Sri Ganganagar Station (Northern Railway)	... 122
2169. तलचेर से बहरामपुर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Talcher to Behrampur	122
2170. आसाम में कागज और लुगदी परियोजनाएं	Paper and Pulp projects in Assam	... 122—123
2171. दक्षिण आसाम और त्रिपुरा में गाड़ियों का पुनः चलना	Restoration of Trains for Southern Assam and Tripura	123
2172. देहरादून एक्सप्रेस के अतिरिक्त दिल्ली और सहारनपुर के बीच मेल/एक्सप्रेस गाड़ी	Mail/Express Train between Delhi and Saharanpur besides Dehradun Express	123
2173. आवश्यक इस्पात की सप्लाई के लिए अधिक मूल्य देना	Payment of High Premiums for obtaining Essential Steel Supplies	... 123—124
2174. गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात क्षमता	Steel Capacity in Private Sector	... 124—125
2175. नागपुर के आस-पास सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries around Nagpur	... 125
2176. गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाई जाने वाली रेलवे लाइनों को अपने नियंत्रण में लेना	Take-over of Railway lines operated by Private agencies	... 125—126
2177. इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता	World Bank assistance for setting up of Steel Plants	126
2178. होस्पेट इस्पात कारखानों के लिए स्थान	Site for Hospet Steel Plant	... 126—127
2179. फियट कारों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुमति	Permission for increase in production of Fiat Cars	... 127

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2180. गडग और गुन्तकल होकर बीजापुर और बंगलौर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of Express Trains between Bijapur and Bangalore via Gadag and Guntakal ...	127—128
2181. हुबली डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में सवारी गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of passenger train in Hubli Division (South Central Railway)	128
2182. तिरूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का रुकना	Stoppage of West Coast Express at Tirur Railway Station (Southern Railway) ...	128—129
2183. रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents ...	129
2184. रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद के अध्यक्ष का चयन	Selection of Chairman, Railway Service Commission, Allahabad ...	129—130
2185. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजना	Housing Scheme for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes	130
2186. पश्चिम बंगाल में रेलवे सप्लाई को क्षति	Damage to Railway Property in West Bengal ...	130—131
कार्यवाही वृतान्त से निकाले गये कार्यवाही अंश के प्रकाशन के बारे में	Re. Publication of Expunged Matter ...	131
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
नकली रेशम के धागे के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब	Delay in release of Tariff Commission's Report on price of art silk yarn ...	131—135
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	135
राज्य सभा से संदेश—	Message from Rajya Sabha ...	136
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill As Passed by Rajya Sabha	136
विशेषाधिकार समिति 12वाँ प्रतिवेदन	Committee of Privileges Twelfth Report ...	136
भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 728 पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to Supplementaries on S. Q. No. 728 Re. Compensation to families of employees of HEC Ranchi ...	136
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation	136—137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
निर्वाचन विधि में संशोधनों की जाँच करने के लिए संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव	Motion for Appointment of Joint Committee for Examination of amendments to Election Law ...	137—138
सलवान कॉलिज, दिल्ली के एक प्राध्यापक की बर्खास्तगी के बारे में	Re. Dismissal of a Lecturer on Salwan College, Delhi ...	138—140
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee ...	140—160
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi ...	140—141
श्री बी० शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand ...	141—143
श्री छ० म० केदरिया	Shri C. M. Kedaria ...	143—144
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon ...	144—150
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri ...	150
श्री अं० कु० किस्कु	Shri A. K. Kisku ...	150—152
श्री जि० ना० प्रमाणिक	Shri J. N. Pramanik ...	152
श्री जी० वाई० कृष्णन्	Shri G. Y. Krishnan ...	152—153
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ...	153—154
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu ...	154—155
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	155
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	155
श्री प्र० रं० ठाकुर	Shri P. R. Thakur ...	155—156
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan ...	156
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh...	156—158
श्री बि० प्र० मण्डल	Shri B. P. Mandal ...	158
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	159
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	159

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 24 नवम्बर, 1970/3 अग्रहायण, 1892 (शक)

Tuesday, November 24, 1970/Agrahayana 3, 1892 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई

The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों में काम के लिए प्रोत्साहन

*301. **श्री लोबो प्रभु :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में वैयक्तिक तथा सामूहिक उत्पादन को बढ़ाने हेतु ऐसे कौन से प्रोत्साहन विद्यमान हैं जो हिन्दुस्तान स्टील के कारखानों में नहीं हैं;

(ख) हाल में वेतन में की गई वृद्धि में क्या प्रति व्यक्ति उत्पादकता को ध्यान में रखा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों में वैयक्तिक तथा सामूहिक उत्पादन को बढ़ाने के हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन विद्यमान हैं । वास्तव में ये प्रोत्साहन गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रोत्साहन से यदि बेहतर नहीं हैं तो उनके समान अवश्य हैं ।

(ख) और (ग). नये मजदूरी समझौते के अन्तर्गत, हाल ही में की गई वेतन-वृद्धि कुछ हद तक जीवनयापन की बढ़ती हुई कीमतों को पूरा करने के लिए की गई है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता को भी सामान्यतः ध्यान में रखा गया है। इस समझौते में विशेष रूप से कहा गया है कि अक्षुण्य औद्योगिक शान्ति और सद्भाव बना रहेगा और श्रमिकों द्वारा अधिक उत्पादन करने हेतु सार्थक प्रयत्न करने के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाएगा।

श्री लोबो प्रभु : मुझे मंत्री महोदय से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हिन्दुस्तान स्टील में कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तब प्रश्न यह उठता है कि इस के बावजूद, निजी इस्पात कारखानों में उत्पादन अधिक क्यों है ? जहाँ तक हिन्दुतान स्टील का सम्बन्ध है, इसकी क्षमता केवल 60 प्रतिशत है। इसकी उत्पादन लागत भी निजी क्षेत्र के संयंत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। पहले मंत्री ने कहा था कि यह एक ताजमहल है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए और यह एक ऐसा स्मारक है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन प्रोत्साहनों के बावजूद आप सफल क्यों नहीं होते। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वे प्रोत्साहन क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : नए शब्दकोष में 'ताजमहल' शब्द अपव्यय का द्योतक माना गया है।

श्री लोबो प्रभु : हमें यह बताया गया है कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमें अपने इस्पात संयंत्रों पर गर्व करना चाहिए।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रत्येक यूनिट की अपनी समस्याएं हैं। दुर्गापुर की अपनी समस्याएं हैं और भिलाई तथा रूरकेला की अपनी समस्याएं हैं। यूनिट में अभी तक निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन हो सके, प्रत्येक यूनिट की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। इन्होंने उत्पादन लागत के बारे में बात की है। मैं निजी क्षेत्र के संयंत्रों के साथ तुलना करते हुए आँकड़े प्रस्तुत कर सकता हूँ।

प्रति मीटरी टन उत्पादन की लागत, जो निर्माण लागत है, दुर्गापुर में 344 रुपये है जबकि टिस्को में यह लागत 348 रुपये है तथा भिलाई में 315 रुपये है और इस्को में यह 374 रुपये है। अतः निजी क्षेत्र की तुलना में हमारी उत्पादन लागत अधिक नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : लागत अधिक है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : आप अच्छी तरह तुलना कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी ओर से दिये गए प्रोत्साहनों का सम्बन्ध है, हाल ही में हमने एक मजूरी समझौता किया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गैर-कारीगर श्रमिक का न्यूनतम वेतन 240 रुपये होगा। इसके साथ ही अन्य प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन-प्रोत्साहन की व्यवस्था है। ये योजनाएं 1961 से ही लागू हैं। यदि हमारे माननीय मित्र प्रोत्साहन योजनाओं का विवरण चाहते हैं तो उन्हें इस सदन के पटल पर रखते हुए मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं लम्बा वक्तव्य पढ़ कर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री लोबो प्रभु : यह आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्पादन लागत निजी क्षेत्र की लागत के समान होने पर भी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को प्रत्येक वर्ष कई करोड़ रुपये की हानि होती है। एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये तथा दूसरे वर्ष में 39 करोड़ रुपये की हानि हुई जबकि टाटा को अपने विनियोग पर कहीं अधिक लाभ हो रहा है और उसके शेयरों का भाव बहुत ऊँचा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि उत्पादन लागत समान होने के दावे के बावजूद हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की हालत इतनी खराब क्यों हो गई है कि कुल मिलाकर यह सरकारी क्षेत्र के गले में पत्थर बनकर रह गया है।

एक दूसरे मामले पर मैं एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि हमारे कर्मचारियों को अधिकतम सम्भव वेतन मिलें और वे विदेशों में दिये जाने वाले वेतन के मुकाबले के हों, किन्तु तथ्य यह है कि ये वेतन उत्पादकता के अनुपात में होने चाहिएं अन्यथा यह धन व्यर्थ जाएगा। हम इस्पात का प्रयोग करने वाले गरीब लोगों की जेबों से धन दे रहे हैं। हम उन उद्योगों से धन लेकर दे रहे हैं जो कई कामों में इस्पात का प्रयोग करते हैं। अब मैं अपना विशिष्ट प्रश्न पूछता हूँ। माननीय मंत्री ने वृद्धि को कुछ सीमा तक उत्पादकता से सम्बन्धित बतलाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह किस सीमा तक और कैसे उत्पादकता से सम्बन्धित है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : किसी यूनिट की दक्षता का अनुमान उसके लाभ से लगाया जा सकता है। किन्तु सरकारी क्षेत्र में किसी यूनिट की कार्यकुशलता केवल उसके लाभ से ही नहीं आँकी जाती।

एक माननीय सदस्य : किन्तु मूल्य बहुत अधिक हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने कर्मचारियों के मकानों पर लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमने चिकित्सा सम्बन्धी काफी सुविधाएं दी हैं। हमने उन्हें परिवहन तथा शिक्षा सम्बन्धी कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की हैं।

श्री रंगा : किन्तु ये सब सुविधाएं अन्य लोग भी दे रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : निजी क्षेत्र यह सब सुविधाएं लाभ कमाने के उपरान्त देगा किन्तु सरकारी क्षेत्र में एक प्रकार के आन्तरिक ढांचे का निर्माण करना होता है। अतः इस क्षेत्र की दक्षता केवल लाभ के आधार पर नहीं आँकी जा सकती।

श्री लोबो प्रभु : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। इनके अनुसार यदि सरकारी क्षेत्र में उत्पादन की लागत अधिक नहीं है तो लाभ में समानता क्यों नहीं है। इन्होंने कारणों तथा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया।

श्री रंगा : कल्याण कार्यों पर हुए खर्च को भी उत्पादन लागत में शामिल किया जाता है।

श्री लोबो प्रभु : इन सभी को शामिल किया जाता है। यदि उत्पादन लागत लगभग

समान है तो लाभ भी आवश्यक रूप से समान होना चाहिए। इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं दिया।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यदि माननीय सदस्य प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विवरण को मैं सदन के पटल पर रख दूंगा क्योंकि यह काफी बड़ा विवरण है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : कुछ मास पहले जब मजदूरी बढ़ गई थी तो इस्पात और लोहे के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह दोनों किस प्रकार परस्पर सम्बद्ध हैं। हमारी इस्पात अर्थ-व्यवस्था में हुई प्रगति का यह वास्तविक चित्र नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस्पात के मूल्य में यह वृद्धि, लोहे तथा इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में कितनी है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने अभी तक इस्पात के मूल्य में वृद्धि नहीं की है।

श्री लोबो प्रभु : अभी हाल ही में 45 रुपये प्रति मीटरी टन की वृद्धि की गई थी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह वृद्धि मजदूरी बढ़ जाने के कारण हुई है। इस्पात के मूल्य नहीं बढ़ाए गए।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में यह कितना है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास इस समय अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ तुलना करने के लिए आँकड़े नहीं हैं। मुझे इसकी जाँच करनी पड़ेगी।

श्री ई० के० नायनार : पिछली जनवरी में सरकार ने 77·50 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से वृद्धि की अनुमति दी थी। हमारे मूल्य की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत कम हैं। जापान में यह 637 रुपये प्रति मीटरी टन, जर्मनी में 740 रुपये प्रति मीटरी टन और ब्रिटेन में 777 रुपये प्रति मीटरी टन है जबकि भारत में 1130 रुपये प्रति मीटरी टन का भाव है। परिणाम यह है कि आम जनता, किसान तथा लघु उद्योगों को कठिनाई हो रही है और उनकी इस्पात की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि हमारी उत्पादन लागत भी कोई अधिक नहीं है। किन्तु ये लोग यह कह रहे थे कि मूल्य में वृद्धि के कारण मजदूरी कम कर दी जाय। ये लोग अभी भी मजदूरी कम करने पर जोर दे रहे हैं जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और जापान में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भारतीय मूल्य से कम हैं, 'टिस्को' और 'इस्को' को पिछली जनवरी में मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन्होंने एक वर्ष में क्रमश: 10 करोड़ और 6 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। किन्तु लघु उद्योगों तथा आम जनता को अपनी इस्पात की आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में भारतीय मूल्य में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यदि मैंने माननीय सदस्य को ठीक समझा, तो इन्होंने यह पूछा है कि हमारा इस्पात मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में अधिक है या कम। इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय

मूल्य नहीं होते । प्रत्येक देश में अलग-अलग मूल्य होता है । उदाहरण के लिए दुर्गापुर में 16 लाख मीटरी टन उत्पादन होता है । जापान में इतनी क्षमता वाले संयंत्र में केवल 9,000–10,000 तक कर्मचारी लगाये जाते हैं जबकि हमने यहाँ 27,000 कर्मचारियों को लगाया हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : क्योंकि यह एक सरकारी क्षेत्र की परियोजना है और ऐसा जनता के भले के लिए किया गया है ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Mr. Speaker sir, there is acute shortage of steel in the country. There is a certain type of steel in which there is more than hundred per cent of black-marketing, as a result of which the industries of the country have received a severe set-back due to shortage of steel. I want to know what steps are being taken by the Government to increase the industrial production, particularly in the case of small scale industries, and to avoid such set-backs ?

My second question is whether it is a fact that the government is contemplating to raise the prices of steel and if so, what would be its effect on the industries ?

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI B. R. BHAGAT) : We have no intention of raising the prices of steel. As regards the shortage of steel, the hon. Member is right in saying that there is acute shortage of steel in the country due to which the price of steel in the open market has gone appreciably high. Unfortunately, at the time of recession all instruments of control were withdrawn, the staff of the Controller of Iron and Steel was reduced as also that of the regional offices, because of which we were left without any means of control over price and distribution of steel. But we are reorganising the system again. We have recently made an announcement regarding the import of steel, as a result of which the price of steel has gone down by three to five hundred rupees per tonne. But we are confronted with a serious problem relating to distribution of steel to the small scale industries and raising their production. As long as we are unable to do so, it would be difficult to control the prices, for which we are making efforts.

श्री चेंगलराया नायडू : क्या सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को घाटे पर चलाने की है अथवा अधिक उत्पादन द्वारा जनता की सेवा करने की । इस मामले में उत्पादन अधिक नहीं है और साथ ही घाटा भी हो रहा है । क्या सरकार की यह नीति है ? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उसने इन कारखानों में प्रति व्यक्ति उत्पादन की तुलना, जापान या किसी अन्य देश के उत्पादन से की है । यदि आप जापान से तुलना करें तो हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है । ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या ये सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रबंध करने वाले अधिकारियों की अयोग्यता तथा सरकार द्वारा उन्हें दण्ड देने के स्थान पर संसद् में उनका पक्ष लेने के कारण हो रहा है । क्या सरकार इन अधिकारियों की भर्त्सना करेगी और उन्हें नौकरी से निकाल देगी ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र के यूनिटों को हानि पर चलाने की नहीं है तथा इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले विनियोग से, इसमें इस्पात संयंत्र भी शामिल है, लाभ हो । भारत में विद्यमान परिस्थितियों की तुलना जापान की परिस्थितियों से नहीं की जा सकती । यदि हम यहाँ भी वैसी परिस्थितियों का

निर्माण कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ हम भी वैसा चमत्कार दिखा सकते हैं, किन्तु हमें वैसी परिस्थितियाँ बनानी हैं और यह काम एकदम नहीं हो जाता ।

श्री चेंगलराया नायडू : वर्तमान मंत्रियों को हटाकर उपयुक्त मंत्री रख दीजिए ।

श्री ब० रा० भगत : यदि यह इतना साधारण होता तो संभवत: कोई कठिनाई ही न होती ।

इसे सभी मानते हैं कि यदि तीनों इस्पात संयत्रों में उत्पादन 4·6 लाख टन तक बढ़ जाए तो हिन्दुस्तान स्टील लाभ कमाने लगेगा । यदि आप अलग-अलग लें तो भिलाई अभी भी लाभ कमा रहा है किन्तु दुर्गापुर तथा रूरकेला में होने वाली हानि से यह लाभ लाभ नहीं रहता । इसी प्रकार 'इस्को' की उत्पादकता भी बहुत कम है जबकि टाटा की उत्पादकता भिलाई की तुलना में है । अत: प्रश्न निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में होने का नहीं । चाहे वह तकनीकी समस्या हो अथवा प्रबंध की समस्या या फिर अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाने की, इन सभी समस्याओं को सुलझाना है जिससे इन इस्पात संयंत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके ।

SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Sir, small industries have suffered a lot on account of the rise in the price of steel. I want to know if the Government is aware of the fact that the steel manufacturers keep the entire output with them and then sell it in the black market.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं, अत: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

SHRI MADHU LIMAYE : Sir, the hon. Minister has himself admitted that the price of steel has gone very high due to its shortage. I want to know from him the purpose for which the Planning Commission and Planning Ministry are there ? Is it not their duty to prepare right estimates of the future demand and to plan for raising the production ? They have miserably failed. Will the hon. Minister take a decision to dismiss the officers and the members of the staff of the present Planning Commission as also those of Planning Ministry.

SHRI B. R. BHAGAT : As regards the demand for steel, correct estimates have been made. It is a matter of regret that as against the installed capacity of 9 million ingots we are producing only 6 million ingots of steel. We can meet the shortage by raising the production. As regards the creation of new capacity, we are taking steps to install it. If the steel plants are run to their new rated capacity we shall be able to meet the shortage otherwise not and in that case shortage will go on swelling, Planning Commission is not at fault. It has not committed any mistake in the matter of either planning or demand. The question is of utilising the investment so far made to its optimum advantage, and of increasing the capacity according to plan.

SHRI MADHU LIMAYE : My question has not been answered. What punishment is going to be given to those who are responsible for this failure ?

SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : Is it not a fact that the coal which is used in public sector has six per cent extra ash content than that in the coal used in the private sector, on account of which the production declines by 18 per cent in the public sector and the entire loss is due to that, if so, will the hon. Minister prevail upon the private sector to use the inferior coal as is used in the public sector or in the alternative will the hon. Minister provide the same superior coal as is used by the private sector ?

SHRI B. R. BHAGAT : It is not a fact that ash content is more in public sector factories. We get the coal after it is washed in the coal washeries with the minimum ash content. It is, however, quite another matter that Tata and TISCO who have their own old coal mines get better coal with a lesser ash content.

श्री पीलू मोदी : एक तरफ तो सरकारी इस्पात संयंत्र गैर-सरकारी संयंत्रों के समान उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण इस्पात की भारी कमी हो रही है, दूसरे इस्पात नियंत्रित पदार्थ है और उसकी कीमत भी नियंत्रित है, अत: सरकारी तथा अन्य बड़े उद्योगपतियों को, छोटे कारखानों के लिए इस्पात खरीदने वालों की अपेक्षा, सस्ती दरों पर इस्पात प्राप्त हो जाता है। सरकार वैसे तो छोटे उत्पादकों की सहायता हेतु बहुत शोर मचाती है अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस्पात नीति को छोटे उत्पादकों की सहायता करने की अपनी सामान्य नीति के अनुरूप बनाएगी ?

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक इस्पात के मूल्य तथा वितरण का सम्बन्ध है, इस्पात नियंत्रित पदार्थ नहीं है। इस्पात की कीमत संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा, सरकार के परामर्श से, निर्धारित की जाती है और चाहे उपभोक्ता हो अथवा निर्माता, सभी को संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर इस्पात दिया जाता है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं। छोटे यूनिटों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात दिया जाता है। सबसे ऊँची प्राथमिकता वाली मदें प्रतिरक्षा, रेलवे, कृषि अथवा निर्यात से सम्बन्धित हैं। अन्य सभा को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात का आबंटन किया जाता है। छोटे यूनिटों को संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर इस्पात दिया जाता है और यह संसद् के परामर्श से नियत की जाती है। इस्पात पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। हाल ही में छोटे यूनिटों को उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करने हेतु इस्पात का उदारतापूर्ण आबंटन किया गया है।

भारत में विधान परिषदों का उत्सादन

+

*302. **श्री दे० अमात** :
श्री केदार नाथ सिंह :
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, विशेषत: विभिन्न राज्य विधान मण्डलों द्वारा की गई इस आशय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों में विधान परिषदों को उत्सादित करने के प्रयोजन से संसद् में एक विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) संविधान का अनुच्छेद 169 संसद् को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद् का उत्सादन करने के लिए विधान बनाना केवल उस दशा में ही प्रारम्भ

कर सकती है, जबकि उस राज्य की विधान सभा इस आशय का संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित कर दे। इसलिए परिणाम यह है कि संसद् द्वारा की गई या की जाने वाली कोई कार्रवाई किसी राज्य की विधान सभा द्वारा इस निमित्त की गई या की जाने वाली पहल पर निर्भर करती है।

श्री दे० अमात : महोदय, मेरा विचार है कि द्वितीय सदन को समाप्त करने का प्रश्न राज्यों की विधान सभाओं पर नहीं छोड़ना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने पर्याप्त सोच-विचार करने के बाद संसद् के लिए द्विसदनीय प्रणाली रखी। द्वितीय सदन की उपयोगिता जल्दबाजी से किये गए निर्णयों को रोकने में है। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में वह कुछ निर्देश जारी करेंगे ताकि इसे राज्य विधान सभाओं की इच्छाओं पर न छोड़ा जाए।

श्री हनुमन्तैया : इसमें राज्य विधान सभाओं की इच्छाओं का प्रश्न नहीं अपितु संविधान की व्यवस्थाओं का प्रश्न है। हमें संविधान की व्यवस्थाओं का अनुसरण करना है।

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की विधान सभाओं ने बजट सत्र के दौरान ऊपरी सदन को समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई है, यदि नहीं, तो सरकार का इस मामले के बारे में क्या विचार है ?

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की विधान सभाओं ने अप्रैल के महीने में द्वितीय सदन को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये थे किन्तु अब वे मामले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बिहार के मुख्य मंत्री···(व्यवधान)

श्री रवि राय : आप कैसे जानते हैं ? कौन पुनर्विचार कर रहा है ?

श्री हनुमन्तैया : मैं जानता हूँ इसलिए मैं तथ्यों को सदन के सम्मुख रख रहा हूँ। जहाँ तक बिहार विधान सभा का सम्बन्ध है, एक जुलाई, 1970 को एक गैर-सरकारी प्रस्ताव, पहले प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए रखा गया है और इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने मुझे एक पत्र भेजा था।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सम्बन्ध है, वहाँ पहले से ही एक गैर-सरकारी विधेयक रखा गया है। वहाँ से भी हमें अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वहाँ प्रस्ताव को रद्द किया जा रहा है। जब अन्तत: सब विधान सभायें यह निर्णय कर लेंगी कि द्वितीय सदन को समाप्त कर दिया जाए तब हमें भी विधेयक प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

डा० राम सुभग सिंह : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यद्यपि ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया किन्तु क्या संवैधानिक शर्तें यह अपेक्षा नहीं करतीं कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार एक विधान बनाए और साथ ही क्या सरकार के लिए प्रस्ताव के पारित होने तथा मुख्य मंत्री की प्रार्थना के बीच इतना समय व्यतीत होने देना उचित है ?

श्री हनुमन्तैया : मैं अपने मित्र, विरोधी पक्ष के नेता, के विचारों से सहमत हूँ । प्रश्न यह है : यदि सरकार अथवा सभा के सदस्यों ने अभ्यावेदन न दिया होता तो जैसा कि आप कहते हैं मैं वैसा तुरन्त कर देता किन्तु अब जबकि दोनों विधान सभाओं ने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया है, सदन के लिए इस सम्बन्ध में थोड़ी प्रतीक्षा करना अधिक उचित होगा । यदि कल वहाँ प्रस्ताव रद्द कर दिया जाए तो हमें भी अपनी की कई कार्यवाही को रद्द करना पड़ेगा । अत: मामले को किसी व्यक्ति विशेष की इच्छाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता । जब तक स्थिति स्पष्ट न हो, हमें प्रतीक्षा करनी होगी ।

SHRI RABI RAY : It seems that the Government is trying to evade this question just for serving their implicit political interests. Is it not a fact that Bihar and U. P. State Assemblies have passed the resolution that Legislative Councils should be abolished and for implementing it, Government should introduce a Bill in Lok Sabha? When Bihar and Uttar Pradesh Assemblies have passed the Bill by the required majority why Government of India is hesitant to take necessary action ? I want to know when did he receive this information from Uttar Pradesh and Bihar Governments and when a request was made for the approval of Government and why the Government has not placed the matter before the Lok Sabha ? The hon. Minister has just mentioned about the letter of the Chief minister of Bihar. I wish to know as to what he means by final decision and will he assure the House that the Bill will be introduced in the Current session ?

SHRI K. HANUMANTHAIYA : There is no question of vested interest in this matter.

SHRI RABI RAY : Sir my question has not been answered. I want to know on what date did he receive this information ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि आपको राज्य सरकार से इसकी इत्तला कब मिली ?

श्री हनुमन्तैया : जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है हमें उनकी ओर से एक तार 30 जुलाई, 1970 को तथा एक पत्र 23 अक्तूबर, 1970 को प्राप्त हुआ, किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ । केवल वहाँ की सभा के अध्यक्ष ने इस सदन के अध्यक्ष को सूचना भेजी है और न सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गृह-मंत्रालय अथवा विधि-मंत्रालय को कोई सूचना दी गई । किन्तु मैं इस तकनीकी औपचारिता पर अड़ना नहीं चाहता । सदन गैर-सरकारी विधेयक पर विचार कर सकता है और विधेयक के पारित करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

SHRI RABI RAY : Why the Government is not bringing forth the legislation ? While replying to this question, the hon. Minister has himself admitted that they do not have any difficulty regarding U. P. When there is no difficulty then why hon. Minister is not introducing the Bill in this session ?

श्री हनुमन्तैया : मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात करूँगा तथा यदि आपकी इच्छा है और कोई कठिनाई न हुई तो मैं विधेयक प्रस्तुत करूँगा ।

श्री श्रीचंद गोयल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि संवैधानिक शर्तों को पूरा करने के लिए क्या दो तिहाई बहुमत से राज्य विधान सभा का प्रस्ताव पारित करना पर्याप्त नहीं । पुनर्विचार

का प्रश्न इसमें कैसे उठता है ? सम्पूर्ण संविधान को पढ़ डालने पर भी कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं दिखाई देता जिसमें सारे मामले पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गए हों। मंत्री महोदय किस कानून का आश्रय लेकर मामले पर पुनर्विचार करना चाहते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश के कितने राज्यों की विधान सभाओं में द्विसदनीय प्रणाली है तथा क्या इस सम्बन्ध में सब राज्यों में एकरूपता नहीं होनी चाहिए, बजाए इसके कि कुछ राज्यों में एक सदन हो तथा कुछ में दो। वर्तमान वित्तीय कठिनाई को देखते हुए क्या सरकार राज्य सभा के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हनुमन्तैया : मैं भी अपने माननीय मित्र की भाँति संवैधानिक व्यवस्थाओं का आश्रय लेता हूँ अतः उस विषय पर हमारा मतभेद नहीं।

जहाँ तक द्विसदनीय प्रणाली वाले राज्यों का सम्बन्ध है उनके नाम हैं : आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : जम्मू तथा कश्मीर भी।

श्री हनुमन्तैया : अब बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मामले विचाराधीन हैं।

जहाँ तक राज्य सभा के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र का विचार है, वह भारत के लिए ठीक नहीं है। वह सभी राज्य सरकारों तथा सभी ऊपरी सदनों का उन्मूलन करना चाहते हैं और भारत में ऐसा करना संभव नहीं ..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इतने प्रश्नों की अनुमति दे दी है किन्तु हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। मुझे कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी और कम से कम मैं उसका अन्तिम उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ। इसके लिए आपको विधान प्रस्तुत करना है किन्तु स्थिति को सदा के लिए स्पष्ट कर देना चाहिए। पंजाब ने भी इस पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में मुझसे बातचीत की है। किन्तु मैंने उन्हें बताया कि इस विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार बंगाल में भी कुछ लोग पुनर्विचार करना चाहते थे किन्तु मैंने उन्हें इन्कार कर दिया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लोक सभा के अध्यक्ष को सूचना दी। इस सम्बन्ध में कुछ कसौटी या कुछ निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिएं। चाहे उनका विचार पुनर्विचार करने का हो अथवा नहीं हो, यह आपको निश्चय करना है कि मामले में क्या कार्यवाही करनी है तथा इस सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति क्या है जिससे कि सभी सन्देहों का निराकरण किया जा सके।

श्री हनुमन्तैया : संवैधानिक स्थिति यह है कि यदि कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है और यदि वह रद्द नहीं होता तो उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ऐसा कहाँ लिखा है ? क्या संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है ?

श्री रवि राय : आप स्वयं संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान अत्यन्त स्पष्ट है।

श्री हनुमन्तैया : जहाँ तक स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में आपका निर्देश है, मैं आपको तथा

सदन को यह आश्वासन देता हूँ कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। केवल मुझे संयुक्त विधायक दल से परामर्श करने दीजिए। मेरे विचार में एकात्मक रूप से कार्यवाही करने की अपेक्षा आप सब लोग मुझे संयुक्त विधायक दल से परामर्श करने देना चाहेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री रवि राय : वह बेतुकी बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त भेजी गई, मात्र सूचना ही सरकार के लिए विधान प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त थी। मुझे स्मरण है कि जब इस प्रश्न पर जोर डाला गया तब भूतपूर्व विधि मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर विचार करेगी तथा इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात की व्यवस्था है कि जब तक प्रस्ताव रद्द नहीं किया जाता, सरकार को प्रतीक्षा करनी चाहिए ? ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार तो कभी भी कोई विधान पारित नहीं हो सकता।

दूसरे, विशेषकर मैं दोनों सूचनाओं के बीच के समय के अन्तर को जानना चाहता हूँ। केन्द्र सरकार को बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से यह सूचना कब प्राप्त हुई कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तथा किस तारीख को दूसरा पत्र मिला और इस समय के दौरान मामले पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया गया तथा क्या मंत्रि-परिषद् ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

श्री हनुमन्तैया : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है संविधान को विरोधी दलों की स्वीकृति से लागू करना होगा·····(**व्यवधान**)

श्री नाथ पाई : कौन-से अनुच्छेद में ऐसा लिखा है ?

SHRI MADHU LIMAYE : Sir, I rise on a point of order. The Law Minister was himself a Member of the Constituent Assembly. You know very well that the Constitution has conferred the right to express their opinion about the councils on the Legislative Assemblies. When a Legislative Assembly adopts a resolution by a two-thirds majority, the Parliament has a right to express its views about that. A reference was again made to the Committee about the Private Member's Bills. The Committee has placed this Bill in 'B' category, showing disregard to the wishes of the House. Which is the way now for the Parliament to express its views ? This is a sovereign body. It should be given an opportunity. If the House does not favour the Bill it must fail. But you have no right to cause any obstruction or to stand like a wall in its way.

श्री नाथ पाई : महोदय, मेरा साधारण सा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने संविधान के विषय में कही गई नई बात को सुना होगा। उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान को विरोधी दलों की सम्मति से लागू किया जा सकता है। विरोधी दलों के सहयोग का होना आवश्यक है क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। मैं यह जानना चाहता हूँ संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि उसकी क्रियान्विति के लिए विरोधी पक्षों की स्वीकृति आवश्यक है। मैं इस सम्बन्ध में विशिष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री हनुमन्तैया : मेरा स्पष्ट उत्तर यही है कि मैं विरोधी दलों की सद्भावना चाहता हूँ·····(**व्यवधान**) ।

श्री रवि राय : वह विधेयक पेश करें ।

श्री हनुमन्तैया : मैं विधेयक पेश करूँगा । (**व्यवधान**) मेरा आप से निवेदन है और म चाहता हूँ कि यह विधेयक सम्मान तथा सर्वसम्मति से पारित हो । अत: यदि माननीय सदस्य मुझे संयुक्त विधायक दल सरकार के नेताओं से परामर्श करने का अवसर दें·····(**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्यों ?

श्री हनुमन्तैया : मैं माननीय मित्र श्री मधु लिमये की बात से सहमत हूँ कि समाप्ति के लिए रास्ता स्पष्ट है । यदि वातावरण अच्छा हो तो हमें इसके लिए आगे की कार्यवाही करनी चाहिए····· (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री हनुमन्तैया जी, मेरे विचार से···(**व्यवधान**) । मेरे मित्रो आपको क्या हो गया है ?

इस व्यवस्था के प्रश्न का मेरा क्या उत्तर होना चाहिए ? आप विधि मंत्री हैं । क्या आप इस बारे में मुझे सलाह दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे पहले व्यवस्था के प्रश्न पर कार्यवाही करने दें । वह श्री नाथ-पाई द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या विरोधी दलों का परामर्श लेने की कोई आवश्यकता है ? वह अनुच्छेद कहाँ है ?

श्री रवि राय : जब आपने कोई वचन दिया है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का कोई अन्त नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को समस्त स्थिति का पुन: अध्ययन करना चाहिए ।

श्री रवि राय : जी, हाँ ।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्रियों की सद्भावना संविधान की आवश्यकता है ? क्या हम इसे उस स्तर तक ऊँचा उठाने जा रहे हैं कि मंत्रियों को सद्भावना·····

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इस कठिन स्थिति से मुक्त करने जा रहा हूँ । बस इतनी ही बात है (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के पश्चात् हम दुविधा में पड़ गए हैं। हम इस पर विचार करें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब आपने दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करने की अनुमति दे दी थी तब मैंने उस स्पष्ट तारीख को जानना चाहा था जब प्रथम प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाना नहीं चाहते हैं। इसी बीच एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने विशेष प्रश्न किये थे। मैं यह जानना चाहूँगा कि बिहार विधान सभा में प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के पश्चात् सरकार को बिहार के मुख्य मंत्री की ओर से प्रथम सूचना कब मिली थी। क्या यह सच नहीं है कि भूतपूर्व विधि मंत्री ने सदन में कहा था कि उन्हें बिहार के मुख्य मंत्री की ओर से सूचना प्राप्त हुई है और वह आगामी सत्र में, इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किये जाने के पश्चात् एक विधेयक पेश करने वाले हैं? क्या मंत्रिमंडल द्वारा विचार किये जाने के पश्चात् सरकार ने विचार किया और विधि मंत्रालय को यह जानने के लिए कि वह इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं अथवा नहीं, मुख्य मंत्री को पुनः पत्र लिखने के लिए सलाह दी, इसलिए इसमें विलम्ब हो गया है?

श्री हनुमन्तैया : बिहार विधान सभा ने 3 अप्रैल, 1970 को प्रस्ताव पारित किया था। मैंने तारीख बता दी है। मैंने मुख्य मंत्री के तार की भी तारीख बता दी है जिसमें लिखा है :

> "1-7-1970 को श्री विद्याकर कवि, विधायक ने सभा में एक इस आशय का गैर-सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सभा द्वारा पारित उक्त संकल्प दिनांक 3 अप्रैल, 1970 को 7 मई, 1974 से पूर्व लागू न किया जाये। इस गैर-सरकारी संकल्प पर समयाभाव के कारण वाद-विवाद समाप्त नहीं हो सका और पीठासीन अधिकारी ने इसे आगामी सत्र के लिए स्थगित कर दिया। इस प्रकार यह मामला सभा के समक्ष अनिर्णीत पड़ा है।"

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है : क्या आपके पूर्ववक्ता ने इसके बारे में सभा में कोई टिप्पणियाँ कीं और वे टिप्पणियाँ क्या थीं और आप उन्हें मानते हैं अथवा नहीं? यह विशेष प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : गैर-सरकारी प्रस्ताव के वहाँ प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जो समाचार आया, उसके बारे में मंत्री महोदय कह रहे हैं। वहाँ प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के पश्चात् कब प्रथम सूचना मिली थी? मंत्री महोदय समस्त मामले में भ्रान्ति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री हनुमन्तैया : कोई भ्रान्ति की बात नहीं है। राज्य विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने के बाद इसे 3 अप्रैल, 1970 को भेजा गया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह 27 अप्रैल को मिला था। इस पर कार्यवाही करने में इतना विलम्ब क्यों किया जाए?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे आपके समक्ष रख रहे हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : उसी सत्र में जब यह प्रस्ताव बिहार विधान-परिषद् को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था तो उस प्रस्ताव को आधे से अधिक सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया था । उसी सत्र में, न कि किसी अन्य सत्र में उस प्रस्ताव पर बिहार विधान सभा द्वारा विचार किया गया था परन्तु उस पर विचार पूरा न हो सका । सभा ने उसे स्थगित कर दिया···(**व्यवधान**) मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब विधेयक आए तब वह बोल सकते हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : यह उसी सत्र में घटित हुआ । क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या अध्यक्ष तथा सरकार को बिहार विधान सभा के अध्यक्ष की ओर से कोई समाचार मिला जिसमें वहाँ के अध्यक्ष ने बिहार विधान सभा द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उनसे इस प्रस्ताव पर हो रहे विचार को स्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उस मामले पर वहाँ पर पुनर्विचार किया जा रहा था ?

श्री हनुमन्तैया : जी, हाँ ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मंत्री महोदय के कहने का यह मतलब है कि जहाँ संवैधानिक उपबन्ध स्पष्ट हैं और जहाँ संविधान की कतिपय निश्चित अपेक्षताओं की पूर्ति करके सम्बद्ध राज्य विधान सभाओं के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के बारे में केन्द्र को कार्यवाही करनी चाहिए, वहाँ अन्तरिम अवधि का उपयोग राजनीतिक चालें चलने के लिए किया जायगा ताकि सम्बद्ध राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित प्रस्ताव वापस ले लिए जायें ? क्योंकि बिहार विधान सभा और उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् उन पर केन्द्र द्वारा कार्यवाही करने में काफी विलम्ब हो रहा है । क्या हम यह समझें कि सम्बद्ध राज्यों में राजनीतिक चालों के कारण संवैधानिक दायित्वों को निभाने की कार्यवाही स्थगित की जायगी ? मंत्री महोदय के उत्तर टाल-मटोल करने वाले हैं और उनसे प्रतीत होता है कि राजनीतिक चालें चली जा रही हैं और संवैधानिक उपबन्धों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है ।

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने ईश्वर का नाम लिया है; मेरे विचार से ऐसा करना इस मामले से संगत नहीं है । जहाँ तक इस सरकार का प्रश्न है, कोई राजनीतिक चाल इसमें नहीं है । यह तो केवल राज्य विधान सभाओं में मतभेद के कारण हुआ है और पक्ष-विपक्ष की सब बातों पर जाँच की जा रही है···(**व्यवधान**) इसमें न तो कोई टालने वाली बात है और न ही विचलित होने की है । यह तो राज्यों में विद्यमान राजनीतिक स्थिति के अनुरूप सीधा बर्ताव है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैंने जो बात पूछी थी वह बिल्कुल स्पष्ट थी । क्या विधान सभा के किसी प्रस्ताव को, जो आवश्यक समय तक अनिर्णीत पड़ा था, केन्द्रीय कानून द्वारा लागू किया जाएगा ? यह बात क्यों नहीं मानी गई ? इसका क्या कारण है ? इसलिए मैंने राजनीतिक चाल बताया, बाकी और कुछ मैं नहीं जानता हूँ । इसे लागू क्यों नहीं किया जाता है ? ऐसा देखा गया है कि संवैधानिक उपबन्ध की शंका के साथ टिप्पणी की जाती है । सरकार यह आशा नहीं कर

सकती है कि किसी विधान सभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को वही विधान सभा रद्द करे, यदि केन्द्रीय सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो कुछ दाल में काला है।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार प्रश्नों का कोई अन्त नहीं होगा। जो साधारण प्रश्न मंत्री महोदय को स्पष्टतया समझना चाहिए, वह यह है। वह इस सभा में बाद में कभी या तो आधे घण्टे की चर्चा के दौरान या और किसी समय इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक बार जब यह प्रस्ताव विधान सभा द्वारा पारित रूप में लोक सभा में भेजा गया है तो क्या कोई संवैधानिक उपबन्ध है जिसके अनुसार पहले प्रस्ताव को खण्डित किया जाकर दूसरा प्रस्ताव पेश करके उसे लोक सभा से वापस ले ले, जबकि लोक सभा में उस पर चर्चा चल रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् कानून बनाने के लिए बाध्य है अथवा यह सरकार के लिए विकल्प है ? दो बातें हैं। मंत्री महोदय को इस प्रश्न का इसी समय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रश्न पर मंत्री महोदय को आपके निदेश के अनुसार वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बाद में संवैधानिक प्रश्न पर वक्तव्य दें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति .....

श्री नाथ पाई : यदि संभव हो तो मंत्री महोदय अध्ययन करने के पश्चात् सुलझा हुआ वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस विषय पर माननीय सदस्य से सलाह करनी चाहिए।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

+

***303. श्री सीताराम केसरी :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग सम्बन्धी संयंत्र मजूरी वार्ता समितियाँ द्वारा हाल में किये गए समझौते से इस्पात की उत्पादन लागत 42 से 44 रुपये प्रति मीटरी टन बढ़ जाएगी;

(ख) क्या उद्योग ने इस्पात के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने की माँग की है; और

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी निर्णय कर लिया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसा अनुमान है कि इस समझौते से मुख्य उत्पादकों पर लगभग 23 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बोझ पड़ेगा। विक्रेय इस्पात के उत्पादन की निर्धारित क्षमता पर इसका बोझ 34 रुपये प्रति टन के लगभग बैठता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) इस समय इस्पात के मूल्यों में सामान्य वृद्धि करने का कोई इरादा नहीं है।

SHRI SITARAM KESRF : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has said they do not intend to increase the price of steel, will the hon. Minister announce from the floor of the House that they would not increase the price of steel during the coming two years or one year ?

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI B. R. BHAGAT) : It is not possible to say like this. I have stated the intention of the Government that at present there is no intention of increasing the price.

SHRI SITARAM KESRI : As has been pointed out during the discussion on the first question and also during the supplementary questions, the price of steel which is imported from foreign countries is lower than the steel of this country and whereas the iron-ore imported by Japan contains 48 per cent of iron, the iron-ore used by our steel industries contain 62 per cent of iron, so I would like to know as to why the price of steel imported from Japan is lower than the indigenous steel inspite of much difference in steel ? Have the Government looked into it ?

SHRI B. R. BHAGAT : It would not be correct to say that the price of steel imported from foreign countries is lower than the price of steel in our country. It is not like that. For example, there were proposals for importing billets but such a high price has to be paid for them that nobody likes to import this item. I think, and it can be proved by the statistics also, if our plants start production to their full rated capacity, the price of steel will become comparable to that of the foreign steel.

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भर्ती किये गए मद्रास पत्तन के मजदूरों द्वारा हड़ताल

+

अ० सू० प्र० संख्या 2. श्री ई० के० नायनार :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भर्ती किये गये लगभग 3,000 मजदूर मद्रास पत्तन में हड़ताल पर हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस श्रम-विवाद को हल करने के लिए. क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ राय) : (क) और (ख). भारत के खाद्य निगम के मद्रास बन्दरगाह में नियुक्त लगभग 2800 श्रमिकों की हड़ताल जो 30-10-1970 को शुरू हुई थी, भारत के खाद्य निगम और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के दरमियान हुए समझौते के परिणामस्वरूप समाप्त हो गई ।

श्री ई० के० नायनार : पत्तन श्रमिकों की हड़ताल न केवल मद्रास में ही हुई वरन् कलकत्ता और विशाखापतनम में भी हुई भी । हड़ताल के परिणामस्वरूप कुछ श्रम सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न हुये हैं । मद्रास पत्तन के श्रमिकों ने 30-11-70 को हड़ताल प्रारंभ की थी, परन्तु 16 दिन पश्चात् 17 नवम्बर को सरकार ने समझौते का रुख दिखाने में पहल की । हड़ताल के 5 दिन पश्चात् श्रम आयुक्त ने समझौते की कार्यवाहियाँ प्रारंभ कीं । हड़ताल के फलस्वरूप एक दिन में एक लाख रुपये की दर से 16 दिन में 16 लाख रुपये की हानि हुई ।

वहाँ दो मजदूर संघ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माँगें.....

अध्यक्ष महोदय : भूमिका देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा प्रश्न कीजिए ।

श्री ई० के० नायनार : संसद ने तो पहले से ही नैमित्तिक श्रम के बारे में कानून बना रखा है परन्तु सरकार ने उसे लागू नहीं किया है । सरकार ने इस कानून को लागू करने की बात को मद्रास सरकार के ध्यान में नहीं लाया है । यहाँ पर खाद्य निगम नियोक्ता है । उन्हें नैमित्तिक श्रमिकों के स्थायीकरण की तथा चिकित्सा सुविधायें प्रदान करनी हैं । मंत्रालय ने मद्रास सरकार को इस बारे में अवगत क्यों नहीं कराया है ? क्या सरकार ऐसी हड़तालों को न होने देने के लिए कोई व्यवस्था करेगी, अथवा यदि कोई हड़ताल हो जाती है तो उसका जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी फैसला करायेगी ? जैसा कि मैंने कहा, समझौता करने वालों ने चार दिन पश्चात् समझौते की कार्यवाही प्रारंभ की । तब तक 4 लाख रुपयों की हानि हो चुकी थी, ऐसा क्यों हुआ ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह सच है कि अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक संघ ने 26 अगस्त, 1970 को 13 माँगों की सूची दी थी । उसके तुरन्त बाद भारतीय खाद्य निगम ने फैडरेशन के अध्यक्ष से परामर्श करके जोनल प्रबधंकों को माँगों का स्थानीय स्तर पर फैसला करने का सुझाव दिया और कहा कि जिन माँगों का फैसला नहीं किया जा सके उन्हें उसके बाद केन्द्रीय स्तर पर तय किया जायेगा । जब माँगों की सूचना की प्राप्ति के तुरंत बाद यह शुरूआत की गई तो 30-10-70 को श्रमिकों ने प्रथम पारी से हड़ताल कर दी । अत: इस मामले में यह सराहनीय है कि निगम ने तुरन्त संघ की सलाह ली और विवाद को निपटाना चाहा । परन्तु हड़ताल हो गई । उसके तुरन्त बाद समझौता अधिकारी समझौता कराने गया । परन्तु पक्षों ने समझौता करना नहीं चाहा और कहा कि वे इसका फैसला द्विपक्षीय

आधार पर करना चाहेंगे । अतः उन्होंने आपस में फैसला करना चाहा । जिस क्षण समझौता हुआ, हड़ताल समाप्त हो चुकी थी ।

श्री ई० के० नायनार : कलकत्ता पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल का पहले फैसला हो गया था । मद्रास की हड़ताल के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं मद्रास के बारे में बता सकता हूँ, कलकत्ता के बारे में नहीं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : मुझे समाचारपत्रों से पता चला है कि खाद्य निगम के अधिकारियों की निर्दयता, उपेक्षा तथा अक्षमता के कारण हड़ताल हुई । मुख्य माँगें ये थीं : अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी घोषित किया जाना, उपस्थिति भत्ता बढ़ाया जाना, ग्रेच्युटी योजना लागू करना और उजरत योजना का उदार बनाया जाना । मैं जानना चाहता हूँ कि उन माँगों पर क्या निर्णय किया गया, और क्या सरकार श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सम्बन्ध आयोग के ढंग की कोई व्यवस्था कर रही है ताकि मामलों को अधिकरणों को सौंपने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाये और ऐसे मामलों का अधिक सरलता से और शीघ्रता से फैसला हो सके ?

श्री भागवत झा आजाद : कर्मचारियों और नियोक्ताओं के मध्य हुए समझौते की एक प्रति मैं सभा पटल पर रख सकता हूँ । मुझे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं । प्रश्न के दूसरे भाग आई० आर० सी० के प्रश्न पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है और सहमति होने के पश्चात् हम संघों की स्वीकृति का मामला उचित समय पर संसद में लायेंगे ।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय भली प्रकार जानते हैं कि कोई भी हड़ताल प्रसन्नता से नहीं करता । अपने सभी प्रयत्नों में विफल होने के पश्चात् कर्मचारी हड़ताल करते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि जब माँगों के सम्बन्ध में ज्ञापन 26 अगस्त को दिया गया था, तो 30 अक्तूबर तक कुछ भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यह समझौता पहले भी सम्पन्न हो सकता था और हड़ताल टल सकती थी यदि खाद्य निगम और अन्य अधिकारी शीघ्र कार्यवाही करते । उन्होंने इस मामले पर तुरन्त बातचीत क्यों नहीं की और निर्णय क्यों नहीं किया ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने एक पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था, यह सच है कि 26 अगस्त को अखिल भारतीय गोदी तथा पत्तन कर्मचारियों के संघ से 13 माँगें प्राप्त हुई थीं । हड़ताल प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रोग्रेसिव यूनियन मद्रास की ओर से पाँच माँगें की गईं । इस सूची के प्राप्त होने के बाद भारतीय खाद्य निगम ने अखिल भारतीय गोदी तथा पत्तन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से बातचीत के पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक को अनुदेश दिये और वे स्वयं सहमत थे कि इन माँगों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए और जो स्थानीय स्तर पर निबटायी नहीं जा सकतीं उनका फैसला केन्द्रीय स्तर पर किया जाये । इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे ही माँगें प्राप्त हुई खाद्य निगम में कार्यवाही शुरू हो गई । संघ के अध्यक्ष से परामर्श किया गया और हम चाहते थे कि माँगों पर बातचीत की जाये परन्तु बीच में 30 तारीख से हड़ताल चालू हो गई ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Which were the unions that participated in the strike and to which political parties they are affiliated ? There have been discussions for the

last few days on the casual labour which is not a new problem. I want to know if these people have been made permanent ? Which of the 13 demands have been accepted and do the Government think that there would be no strike in the future as their demands have been accepted ?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : Those who gave notice of strike and gave list of 13 demands belong to H.M.S. The second is an Independent union which gave a list of 5 demands. So far as the second question is concerned, I shall place a copy of the agreement concluded on the Table of the House so that hon. Members may see about which of the issues a settlement has been reached.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आधारभूत उद्योगों की समस्याओं की जाँच करने के लिए विशेषज्ञ समिति

***304. श्री रा० बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या आधारभूत उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके कार्य में सुधार लाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). संशोधित लाइसेंस नीति के अन्तर्गत, जो 19 फरवरी, 1970 को लागू की गई थी, कुछ उद्योगों की व्यवस्था प्रधान क्षेत्र वाले उद्योगों के रूप में की गयी है। ऐसे उद्योगों की सूची संलग्न है। संभवत: यह प्रश्न इस समूह के उद्योगों के बारे में है। ऐसा अनुमान है कि इनमें से प्रत्येक उद्योग के बारे में काफी विस्तृत योजनाएं तैयार की जायेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों का संबंध है, उनमें उद्योगों का विकास अर्थ व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह भी विचार है कि इन उद्योगों को यथासंभव आवश्यक चीजों की भी व्यवस्था की जायेगी। इन उद्योगों की विकास योजनाओं के अन्तिम रूप से तैयार होते ही उनकी क्रियान्विति के संबंध में निगरानी रखना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। यथापि प्रधान उद्योगों की भी समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का कोई विचार नहीं है, फिर भी ऐसी व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है जो औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों व परियोजनाओं के आवश्यक समन्वय तथा प्रभावी क्रियान्विति के लिए आवश्यक होंगे। इस संबंध में ठीक-ठीक व्यवस्था की जाये, इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

विवरण

प्रधान उद्योग

1. कृषि के काम आने वाली चीजें—
   (क) उर्वरक—
      (1) नाइट्रोजीनियम ।
      (2) फासफेटिक ।
   (ख) कीटनाशक (केवल मूल रासायनिक) ।
   (ग) ट्रैक्टर तथा शक्तिचालित हल ।
   (घ) रा-फासफेट तथा पाइराइट्स ।
2. लोहा तथा इस्पात—
   (क) कच्चा लोहा ।
   (ख) पिग आयरन तथा कच्चा लोहा ।
   (ग) अलाय तथा विशिष्ट इस्पात ।
3. अलौह धातुएं ।
4. पेट्रोल—
   (क) तेल की खोज तथा उत्पादन ।
   (ख) पेट्रोल की शोधीकरण ।
   (ग) चुने हुए पेट्रो-रसायन—
      (1) पेट्रो-रसायन के संयुक्त कारखाने ।
      (2) डी० एम० टी० ।
      (3) कैप्रोलेक्टम ।
      (4) स्क्रीलोनिट्रायल ।
      (5) संश्लिष्ट रबड़ ।
5. जलाने का कोयला ।
6. भारी औद्योगिक मशीनें—
   (1) कागज की मशीनें ।
   (2) रसायन मशीनें ।
   (3) विशिष्ट मशीनी औजार ।
   (4) रबड़ उद्योग की मशीनें ।
   (5) मुद्रण मशीनें ।
7. पोत निर्माण तथा ड्रेजर्स ।
8. अखबारी कागज ।
9. इलेक्ट्रोनिक्स—
   (चुने हुए इलेक्ट्रोनिक्स जिनके पुर्जे महत्वपूर्ण क्षेत्र में समझे जायेंगे ।)
   (1) रेसिसटेन्स, फिक्सड एण्ड वेरिएबल ।

(2) कंडेन्सर्स तथा कैपेसिटर्स, फिक्सड एण्ड वेरिएबल ।
(3) सेमी-कंडक्टर्स, जिनमें डाओइस, थिक फिल्म, थिन फिल्म, एण्ड इंटेग्रेट्ड सर्क्ट्स सम्मिलित हैं ।
(4) ट्रान्समिटिंग तथा रिसीविंग ट्यूब्स जिनमें कैथोडरे ट्यूब्स सम्मिलित हैं ।
(5) कनैक्टर्स, स्वीचेज् तथा रिलेज ।
(6) सोफेस्टीकेटेड माइक्रोवेव कम्पोनेन्ट्स तथा एन्टेन्स ।
(7) फेरिट्स तथा मैगनेट्स ।
(8) थर्मीस्टेर्स तथा वेरिस्टर्स ।

टायर निर्माण एककों का विस्तार

*305. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी टायर निर्माण एककों ने, जिनके विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों को अनुमोदित कर लिया गया था, विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो दोषी एककों के नाम क्या हैं, विस्तार योजना के अंतर्गत कितनी क्षमता मंजूर की गई थी तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित न करने के लिए उन्होंने क्या कारण बताए हैं;

(ग) क्या दोषी एककों में से किन्हीं के लाइसेंस रद्द करके दूसरे उद्यमकर्ताओं को आबंटित किये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). अगस्त से दिसम्बर, 1969 की अवधि में विद्यमान मोटरगाड़ी टायर निर्माताओं को जारी किये गए क्षमता के विस्तार के लाइसेंस कार्यान्वित किये जा रहे हैं । पार्टियों को पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए दिसम्बर, 1969 से फरवरी, 1970 की अवधि में लाइसेंस जारी किये गए थे और मशीनों के आयात तथा क्षमता की स्थापना में कुछ समय लगेगा । अतः औद्योगिक लाइसेंस के रद्द करने तथा प्रतिसंहृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमेंट के नए कारखाने आरम्भ करने के लिए आशय-पत्र

*306. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के नए कारखाने आरम्भ करने के लिए आशय-पत्र जारी करने हेतु उनके मंत्रालय के पास कुछ उद्योगपतियों के आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार को आशा है कि शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

इस्पात संयंत्रों में मजदूर संघों का निलम्बन

*307. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर तथा इस्पात के अन्य कारखानों में कुछ समय के लिए श्रमिक संघों को, उनके मामलों के निपटारे तथा कार्यप्रणाली में सुधार करने हेतु निलम्बित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किये गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) संभवत: 'निलम्बन' से माननीय सदस्य का अभिप्राय मान्यता समाप्त करने से है । अगर यह सही है तो यह प्रश्न हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्ध मंडल अथवा राज्य सरकार द्वारा विचार करने और निर्णय करने का है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

थुम्बा केन्द्र के समीप लघु उद्योगों की स्थापना

*308. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री तथा अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने गत् अक्तूबर की अपनी भेंट के पश्चात् यह सुझाव दिया था कि त्रिवेन्द्रम में थुम्बा केन्द्र तथा अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के समीप विभिन्न लघु उद्योग आरंभ किये जाने चाहिए;

(ख) क्या लघु उद्योग बोर्ड अथवा उनके मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किन्हीं गैर-सरकारी उद्योगपतियों से पूछताछ की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). थुम्बा केन्द्र तथा अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के समीप लघु उद्योगों/सहायक उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता पर सरकार विचार कर रही है । केरल सरकार ने इस संबंध में थुम्बा राकेट केन्द्र के इर्द-गिर्द इसी तरह की अन्य सहायक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक बैठक बुलाई थी । विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विशिष्ट योजनायें तैयार की जा रही हैं ।

छड़ें, सलाखें तथा इस्पात के मूल्य

*309. **श्री रवि राय** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने छड़ें, सलाखें तथा इस्पात के मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्णय किया है; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मुख्य उत्पादकों द्वारा प्रेषित छड़ें, सलाखें तथा टार-स्टील के उत्पादों की सप्लाई पहले ही सरकार के परामर्श से नियत किये गए संयुक्त संयंत्र समिति मूल्यों पर की जा रही है। जहाँ तक पुर्नबेल्लन मिलों द्वारा इनमें से कुछ उत्पादों के मूल्यों को नियत करने का सम्बन्ध है, उचित परिवर्तित मूल्य नियत करने का प्रस्ताव इस समय सरकार के विधाराधीन है।

निश्चित कालावधि के भीतर साधारण निर्वाचन सम्पन्न कराना

*310. **श्री जी० वेंकटस्वामी** :
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने ऐसे प्रस्ताव तैयार किये हैं जिनके अन्तर्गत लोक सभा अथवा किसी राज्य विधान सभा के विघटन की तारीख से लगभग 45 दिन के भीतर साधारण निर्वाचन कराना सम्भव हो सकेगा;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रस्तावों की मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराने के लिए इंतजाम हमेशा तैयार रखना पड़ता है। निर्वाचन आयोग ने इस बात के लिए कदम उठाए हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक-नामावलियाँ निरन्तर पुनरीक्षित तथा अद्यतन बनाई रखी जाएँ और निर्वाचन के लिए अपेक्षित विविध सामग्री तैयार रखी जाए। मतदान केन्द्रों की प्रारूप-सूचियाँ भी अद्यतन बनाई रखी जाती हैं, ताकि अल्प-सूचना पर उन्हें अन्तिम रूप दिया जा सके। विद्यमान लोक सभा या राज्य विधान सभाओं की अस्तित्वावधि की समाप्ति पर या प्रसामान्य अवधि से पूर्व इनमें से किसी के विघटन की दशा में, ऐसी अल्प कालावधि के भीतर, जिसमें साधारण निर्वाचन कराना सम्भव हो, निर्वाचन कराना कठिन नहीं होगा। निर्वाचन विधि के संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्रस्तावों में निर्वाचन पूरे कराने के लिए अपेक्षित कुल कालावधि को कम करने के लिए सुझाव भी सम्मिलित हैं। संसद को दिये गए आश्वासनों के अनुसार इन प्रस्तावों पर उस समिति द्वारा अभी विचार-विमर्श किया जाना है, जिसमें संसद के राजनीतिक दलों, ऐसे ग्रुपों के जो इस प्रयोजन के लिए बनाए जाएं, प्रतिनिधि होंगे।

Social Boycott of Harijans of a village of Sonepat

*311. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the daily Hindustan dated the 25th August, 1970 under the caption "Sonepat ke aek Gaon main Harijanon ka Samajik Bahishkar" (Social boycott of Harijans in a Sonepat village); and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : (a) Government have seen the news item.

(b) The State Government have been addressed in the matter. Their reply is waited.

दिल्ली में निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण

*312. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के सातों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुनरीक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक-नामावलियों को अन्तिम रूप से प्रकाशित करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं कि ये निर्वाचक-नामावलियाँ या तो त्रुटिपूर्ण हैं या अपूर्ण हैं। आयोग को दिल्ली प्रशासन के कार्यकारी पार्षद् (वित्त) का भी एक अभ्यावेदन इस संबंध में मिला है कि बस्तियों के बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाए जाने के कारण तथा अन्य कारणों से संघ राज्यक्षेत्र, दिल्ली में सात संसदीय निर्वाचक-नामावलियों अद्यतन नहीं रही हैं। अतएव उनका विशेष पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली की सिफारिश पर, आयोग ने दिल्ली के सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक-नामावलियाँ के कुल मिलाकर 793 भागों के विशेष पुनरीक्षण का आदेश दिया है जो 30-12-70 को पूरा होना है।

टीन की चादरों का आयात

*313. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विचार टीन की चादरों का आयात करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और आयात की जाने वाली टीन की चादरों का मूल्य कितना होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख). जी, हाँ। हिन्दुस्तान स्टील लि० को लगभग 2·4 करोड़ रुपये के मूल्य की 'ओपन टाप सैनीटेरी कैन' क्वालिटी की टिन-प्लेटों का आयात करने की अनुमति दे दी गई है। इस अनुमति के अनुसार उन्होंने विदेशी संभारकों को 4775 टन के लिए आर्डर दे दिये हैं जिनका मूल्य लगभग एक करोड़ रुपये है।

Setting up of Industries in Kota (Rajasthan)

*314. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) the names of the industrialists who have sent proposals to Government for setting up industries in Kota (Rajasthan) together with the particulars of the industries proposed to be set up; and

(b) whether Government propose to set up any industry in the public sector in Kota (Rajasthan) and if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) There is no proposal at present under consideration for setting up of any new undertaking in the public sector specifically in Kota (Rajasthan) except a Heavy Water Plant which is being set up by the Department of Atomic Energy and is expected to be completed in 1974.

Statement

(a) Separate statistics for Kota (Rajasthan) are not available. But in so far as the State of Rajasthan as a whole is concerned, 42 applications have been received during 1970 (upto the 31st October) for setting up of new industrial undertakings in the State. Out of these applications, letters of intent have been issued in three cases; 7 have been rejected and the remaining 32 are under consideration. Details of the applications, on which a decision has been taken, are as follows :

S. No.	Name of the Party	Item of Manufacture	Decision taken
1.	M/s. Gannon Dunkerley & Co. Ltd., Bombay.	Engine Valves	Letter of intent issued.
2.	M/s. Janata Sahakari Samiti, Jodhpur.	Scooters, Mopeds and spare parts.	—do—
3.	Shri M. L. Kocher, Calcutta.	Agricultural Tractors	—do—

S. No.	Name of the party	Item of Manufacture	Decision taken
4.	M/s. Rajasthan State Agro Industries Corpn. (Pvt.) Ltd., Jaipur.	Agricultural Tractors.	Rejected.
5.	—do—	Diesel Engines	—do—
6.	Shri H. Bhartia, New Delhi.	Beer	—do—
7.	Shri Ghanshyam Dass Sonkia, Jaipur.	Beer	—do—
8.	Shri L. N. Jhunjhunwala, Calcutta.	Wire & Plate Needles.	—do—
9.	Shri Santosh Bagrodia, Calcutta.	Copper Brass Pipes, Tubes, Sheets etc.	—do—
10.	Shri Rajindra Kumar Bagrodia, Calcutta.	Enamelled Copper Wires.	—do—

As regards the 32 pending applications, the industries to which they relate, are given below :

Iron and Steel	1
Non-Ferrous	1
Telecommunications	5
Transportation	3
Surgical Instruments	1
Chemicals	13
Textiles	2
Vegetable Oils & Vanaspati	2
Rubber Goods	2
Glass	1
Cement	1
Total	32

As regards the other details, *viz.* the names of the applicants, etc., it may be stated hat they are not normally publicised till a decision on the applications is taken.

सीमेंट की कमी और उसके मूल्यों में वृद्धि

*315. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सीमेंट की कमी और सीमेंट के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : अप्रेल-सितम्बर, 1970 की अवधि में देश के कुछ भागों में सीमेंट की सप्लाई में कुछ कमी थी जिसका मुख्य कारण वैगन की कठिनाइयाँ, श्रमिक कठिनाइयाँ तथा यांत्रिक खराबियों का होना था। निर्माण कार्यों में गति आ जाने के कारण वास्तविक मांग भी 10 प्रतिशत से भी अधिक बढ़

गई है। गंतव्य स्थान तक निःशुल्क रेल भाड़ा काफी हद तक बढ़ गया था जिसकी वजह से भाड़ा मूल्य में की गई वृद्धि को पूरा करने के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो गया।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सामान की सप्लाई न करने के कारण विद्युत की कमी

*316. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का सामान बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के दो कारखाने अर्थात् हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्धारित समय पर सामान की सप्लाई करने में असमर्थ रहे हैं;

(ख) क्या इससे चौथी योजना में विद्युत-जनन के कार्यक्रमों में भारी कमी होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो समय पर सामान सप्लाई करने में क्या बाधाएं उत्पन्न हुई हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, नयी दिल्ली बिजली के कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं। राज्यों के विद्युत बोर्डों को कुछ चीजों के दिये जाने में विलम्ब हुआ है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिजली के भारी उपकरणों का उत्पादन करने वाले संयंत्र भारत में पहली बार अत्यधिक आधुनिक ढंग के उपकरण बना रहे हैं। ऐसे यंत्रों में प्रोद्योगिकों को अपनाने का काम धीरे-धीरे ही हो पा रहा है। इसके अलावा, उन्हें समय पर देशी और साथ ही आयातित कच्चे माल व पुर्जों को प्राप्त करने में भी कठिनाइयाँ हुई हैं। कुछ मामलों में देरी से आर्डर देने वाले प्राधिकारियों के कारण भी हुई जो या तो तकनीकी विशिष्ट विवरणों को अंतिम रूप नहीं दे पाये या भवन आदि बनाने का काम पूरा नहीं कर पाये। तथापि, सरकार नियमित रूप से अन्तः मंत्रालयीय बैठकों में इन उपकरणों की डिलीवरी की स्थिति का पुनर्विलोकन करती रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करती रही है कि सरकारी क्षेत्र में इन दोनों संयंत्रों द्वारा उपकरणों के दिये जाने में यदि कोई विलम्ब भी होता है तो उस विलम्ब के फलस्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बिजली पैदा करने के लक्ष्यों में कोई कमी न आने पाये।

सीमेंट से नियंत्रण का हटाया जाना

*317. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सीमेंट से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमेंट से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). सम्पूर्ण प्रश्न अभी विचाराधीन है। सरकार मांग तथा पूर्ति की स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रही है और ऐसी आशा है कि मामले पर निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

गांधीधाम से भुज तक बड़ी लाइन

*318. **श्री तु० मू० सैट** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी रेलवे लाइन को गांधीधाम से भुज तक बढ़ाने के लिए भुज का एक प्रतिनिधिमण्डल 4 अक्तूबर, 1970 को उनसे मिला था; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधिमण्डल के अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ। लेकिन मुलाकात 5 अक्तूबर, 1970 को हुई थी।

(ख) उस मुलाकात में यह विनिश्चय किया गया कि गांधीधाम-लखपत लाइन के लिए मुँडरा मांडवी और कोटेश्वर के रास्ते मार्ग-निर्धारण के लिए जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसके अलावा भुज और मांडवी के वैकल्पिक मार्ग से भी (जिसमें गांधीधाम-भुज खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण भी शामिल है), सर्वेक्षण किये जायें।

राजधानी एक्सप्रैस की रफ्तार में वृद्धि

*319. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीसर्च, डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्डस आरगेनाइजेशन ने दिल्ली-हावड़ा मार्ग के कुछ सैक्शनों पर राजधानी एक्सप्रैस की रफ्तार में और वृद्धि करने तथा इसको बिजली के इंजनों से चलाने का सुझाव दिया है; और

(ख) राजधानी एक्सप्रैस को सप्ताह में तीन बार कब से चलाना आरम्भ किया जाएगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। बिजली रेल इंजनों द्वारा कर्षण के लिए अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन द्वारा अनुसंधान का काम किया जा रहा है और परिणामों का मूल्यांकन अभी करना बाकी है।

(ख) निकट भविष्य में इसकी संभावना नहीं है।

Survey for Broad-Gauge Lines from Samastipur to Raxaul via Darbhanga and also via Muzaffarpur (North Eastern Railway)

*320. SHRI K. M. MADHUKAR :
SHRI BIBHUTI MISHRA ;

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the necessary survey work for the construction of broad gauge lines between Samastipur and Raxaul via Darbhanga and between Samastipur and Raxaul via Muzaffarpur on North Eastern Railway is going to be completed and on account of certain reasons it is proposed to construct the former one first in spite of the fact that the construction of the latter one is more economical;

(b) if so, the details of the survey reports of both these lines;

(c) whether Government propose to construct that line first which is more economical keeping in view Railways' financial position;

(d) if so, the time by which the broad-gauge line between Samastipur and Raxaul via Muzaffarpur is likely to be constructed; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) to (e). The survey reports for the conversion of the Samastipur-Raxaul from metre-gauge to broad-gauge are still under finalisation and have not yet been received by the Railway Board from the North Eastern Railway. A final decision regarding the route to be adopted for the conversion would be taken after examining the relative merits of the two alternatives and keeping in view all relevant factors. The actual conversion of this section is also dependent upon the results of the surveys in progress, the priority this work will merit among other similar proposals and the availability of funds.

निर्वाचन-अर्जी पर लगने वाले समय तथा व्यय को घटाने के लिए की गई कार्रवाई

*321. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन-अर्जी दायर करने की तिथि से लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर अन्तिम सुनवाई किये जाने तथा निर्णय देने में औसतन कितना समय लगता है तथा कितना धन व्यय होता है;

(ख) इस पर लगने वाले समय तथा व्यय को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) निर्वाचन अर्जियों के विचारण और निपटारे के लिए लगने वाले समय और उपगत होने वाले व्यय के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। निर्वाचन आयोग के पास भी पूरी जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में सांख्यिकी और आंकड़े विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से संग्रहीत किये जाने हैं। जानकारी मंगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऐसी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् उसका विश्लेषण किया जाएगा और वह सदन को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) और (ग). (क) के सम्बन्ध में दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए अभी प्रश्न ही नहीं उठते ।

तिरुचिरापल्ली में बायलर बनाने के लिए अमरीकी फर्म के साथ करार

*322. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुचिरापल्ली स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, लिमिटेड का हाई प्रैशर बायलर प्लांट आधुनिकतम बायलरों के निर्माण के लिए एक अमरीकी फर्म से बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक समझौता हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार ने हाल ही में सहयोग करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और शीघ्र ही करार को पूरा किये जाने की सम्भावना है ।

Compromise between President Indian Railway, Loco Mechanical Staff Association and Railway Administration

*323. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that any compromise had been reached with the striking employees of the North-East Frontier Railway in the month of August last at the intervention of the President of the Indian Railway Loco Mechanical Staff Association, if so, the details thereof;

(b) whether it is also a fact that action has been taken against the employees by violating the aforesaid agreement;

(c) if so, the names of the persons against whom action has been taken and on what grounds; and

(d) whether any steps are proposed to be taken by Government to annul the action taken against the employees ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The employees were assured that if they returned to work by 6.00 P. M. on 2-8-70, no penal action would be taken for mere participation in the strike, and the break in service ordinarily caused for participation of staff in the illegal strike would be condoned.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Do not arise in view of the reply to part (b) above.

Construction of Houses for Harijans

*324. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for allotting constructed houses to the Harijans on long term instalments so that they may live with self-respect in the society;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the State and the Central Governments have taken any steps so far in this regard; and

(d) if so, the details of the steps taken ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

नागपुर और आमला के बीच जी० टी० एक्सप्रैस के ब्रेकवान से चोरी

*325. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जुलाई, 1969 को मद्रास से चलने वाली जी० टी० एक्सप्रैस के ब्रेकवान का ताला कुछ बदमाशों ने नागपुर और आमला के बीच तोड़ डाला और वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के बहुत सारे सामान को चुरा लिया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस घटना की कोई जाँच की गई है और उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) कितने यात्रियों ने नुकसान के लिए मुआवजे की माँग की है और जो यात्री अपने सामान से हाथ धो बैठे हैं उनमें से प्रत्येक को क्या मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ। लेकिन चुरायी गयी सम्पत्ति केवल कपड़ा था जो पिछले ब्रेकवान में रखे दो बक्सों से निकाला गया था।

(ख) जी हाँ। नागपुर की सरकारी रेलवे पुलिस ने इस अपराध को दर्ज किया और जाँच की। अभियुक्तों में से एक को, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में सजा हो गयी।

(ग) चूँकि चोरी गया सारा माल बरामद हो गया था इसलिए मुआवजे का सवाल नहीं उठता।

मालगाड़ी के डिब्बों की सप्लाई के लिए बम्बई की गैर-सरकारी फर्मों को क्रयादेश देना

*326. **श्री न० कु० सांघी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने माल डिब्बों की सप्लाई के लिए वर्ष 1965 में बम्बई की कुछ गैर-सरकारी फर्मों को क्रयादेश दिये थे और 50 लाख से 80 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया था; और यदि हाँ, तो ठेके की शर्तें क्या हैं;

(ख) 31 मार्च, 1970 तक कितने माल-डिब्बों की सप्लाई की गई; और

(ग) यदि अभी सप्लाई की जानी है तो ठेके की शर्तों को लागू करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1965 में रेलवे के माल डिब्बों के लिए (1) मैसर्स के० टी० स्टील इण्डस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और (2) मेसर्स मैकैंजी लिमिटेड, सैवारी, बम्बई को निम्नलिखित आर्डर दिये गए थे :—

	टाइप	मात्रा
1. मेसर्स के० टी० स्टील	बी० सी० एक्स०	200
इण्डस्ट्रीज, प्राइवेट लिमिटेड	बी० ओ० एक्स०	100
2. मेसर्स मैकैंजी लिमिटेड	बी० ओ० एक्स०	100
	सी० आर०	600

दोनों फर्मों में से प्रत्येक को दिये गए सम्बन्धित ठेके की एक प्रति (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें लागू नियमों और शर्तों का उल्लेख किया गया है ।

ठेके की शर्तों के अनुसार फर्मों को उनके कारखानों में प्राप्त इस्पात और अन्य कच्चे सामान की कीमत के 90 प्रतिशत तक की रकम का क्रमिक रूप में 'लेखे में' भुगतान किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि निरीक्षण प्राधिकारी उसे प्रमाणित करें और फर्म इस आशय का बंध-पत्र प्रस्तुत करे कि इस तरह का सामान सरकार की ओर से उनके पास न्यारा के रूप में है और जब तक वह सामान उस फर्म की अभिरक्षा में रहेगा, तब तक वह उसकी हानि, नष्ट होने, क्षति आदि के लिए उत्तरदायी होगी । इस तरह के 'लेखे में' भुगतान को माल डिब्बों की सप्लाई के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत 90 प्रतिशत बिलों में से यथानुपात क्रमिक ढंग से काट लिया जाता है । माल के निरीक्षण और स्वीकार किये जाने के बाद ही इन बिलों का भुगतान किया जाता है । विचाराधीन ठेके के अन्तर्गत मेसर्स के० टी० स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 92 लाख रुपये और मेसर्स मैकैंजी लिमिटेड को 97 लाख रुपये 'लेखे में' भुगतान के रूप में दिये गए । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4363/70**]

(ख) मेसर्स मैकैंजी ने 31-3-1970 तक अपना सम्पूर्ण ठेका पूरा कर लिया । मेसर्स के० टी० स्टील इण्डस्ट्रीज ने 31-3-1970 तक 100 बी० ओ० एक्स० माल डिब्बे और 137 बी० सी० एक्स०

माल डिब्बे सप्लाई किये और बाकी 63 बी० सी० एक्स० माल डिब्बों का काम उन्होंने जुलाई, 1970 तक पूरा किया।

(ग) दोनों फर्मों ने सप्लाई पूरी कर दी है और उनको 'लेखे में' भुगतायी गयी रकम सप्लाई किये गए माल डिब्बों के लिए फर्मों को किये जाने वाले भुगतान में से पूरी तरह वसूल हो चुकी है।

लोहे के कबाड़ का उपयोग

*327. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में अपने देश की 25 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोहे के कबाड़ का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में भारत में इसके तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) इस समय कितना कबाड़ लोहा बेकार जाता है; और

(घ) देश की आवश्यकताओं को आंशिक रूप में पूरा करने के लिए कबाड़ का पूर्ण रूप से उपयोग करने के हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) रद्दी लोहे की खपत पर आधारित विद्युत भट्टियों द्वारा उत्पादित क्रूड स्टील का प्रतिशत अलग-अलग देशों का अलग-अलग है। 1969 में यह प्रतिशत जापान में 17, फ्रांस में 19, इटली में 40 तथा पश्चिमी जर्मनी में 13 था। विश्व की औसत खपत लगभग 13-14 प्रतिशत है।

(ख) इसकी तुलना में 1968-69 तथा 1969-70 में भारत के आँकड़े क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत के लगभग हैं।

(ग) इस देश में बेकार जाने वाले रद्दी लोहे का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। रद्दी लोहे के व्यापारियों द्वारा इकट्ठा किये गए रद्दी लोहे को जो देश की भट्टियों की आवश्यकता से बच जाता है, निर्यात करने की अनुमति दे दी जाती है।

(घ) रद्दी लोहे के इस्तेमाल से इस्पात का उत्पादन करने वाली विद्युत भट्टियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्युत भट्टियों द्वारा तैयार किये गए इस्पात में उत्पादन-शुल्क की 75 रुपये प्रति टन की छूट दी गई है। नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने में भी उदार नीति अपनाई गई है।

स्वीडन राष्ट्रिकों को भारतीय बच्चे गोद लेने की अनुमति

*328. **श्री यशपाल सिंह** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 11 नवम्बर, 1970 को स्वीडन के दस राष्ट्रिकों को हैदराबाद के नौ भारतीय बच्चे गोद लेने तथा उन्हें अपने देश ले जाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इन बच्चों में कितने लड़के तथा कितनी लड़कियाँ हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सलाह ली थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी सरकारों द्वारा भारतीय जानकारी की माँग

***329. श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए भारत से जानकारी तथा विशेषज्ञ-ज्ञान की अपेक्षा की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री बलिराम भगत) : छोटी इस्पात प्रायोजनाओं और पुनर्बेलन मिलों के लिए प्रतिवेदन तैयार करने तथा साज-सामान सप्लाई करने हेतु अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, लेटिन अमरीका और पश्चिमी एशिया के कई देशों ने पूछताछ की है ।

चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के पास रांची-पटना एक्सप्रैस गाड़ी से सामान का लूटा जाना

***330. श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 सितम्बर, 1970 को चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन के पास घने जंगल में नकाबपोश व्यक्तियों ने रांची-पटना एक्सप्रैस को रोक कर तथा ड्राइवर और गार्ड को बन्दूक दिखा कर ब्रेक वैन को पूरी तरह लूट लिया और 2 लाख रुपये से ऊपर के मूल्य का सामान और पेटियाँ ले गए;

(ख) ड्राइवर और गार्ड के अतिरिक्त अन्य किन-किन व्यक्तियों ने डकैती की पुष्टि की है; और

(ग) इस अपराध के सम्बन्ध में अब तक क्या जाँच-पड़ताल की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 22-9-1970 की रात को भाले और लाठियों से लैस लगभग 20 बदमाशों ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुरी-चन्द्रपुरा खण्ड पर राजवेरा स्टेशन के डाउन आउटर सिगनल पर गाड़ी नं० 24 डाउन (हतिया-पटना एक्सप्रैस) को रोक लिया और गार्ड तथा कण्डक्टर से सामान-यान की चाबियाँ जबरदस्ती छीनकर यान को खोल डाला और 17 पैकेज उठा ले गए जिनकी कीमत लगभग 1300 रुपये है, न कि 2 लाख रुपये ।

(ख) और (ग). इस मामले की अभी पुलिस छानबीन कर रही है।

गुजरात में युद्धोत्तर आवास पुनर्निर्माण योजना, 219

2001. श्री भालजी भाई. परमार : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धोत्तर आवास पुनर्निर्माण योजना, जो अब चालू नहीं है, को मकानों के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में शहरी क्षेत्र में, सीमा को 10,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 रुपये तक बढ़ा कर पुनः चालू करने का विचार है; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विशेषकर बनाई गई ऐसी समितियों के सम्बन्ध में छूट की दर को 5 रुपया प्रति वर्ग गज से बढ़ा कर 20 रुपये प्रति वर्ग गज करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). यह सूचना गुजरात सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

रेलवे माल डिब्बों की खरीद

2002. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रेलवे मंत्रालय का विचार कितने माल डिब्बे खरीदने का है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे माल डिब्बा उद्योग द्वारा अप्रैल, 1970 से 14553 माल डिब्बों की सप्लाई के क्रयादेश बाकी पड़े थे;

(ग) माल डिब्बा उद्योग को इस समय कितने माल डिब्बों के क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं; और

(घ) उक्त उद्योग कितनी अवधि में इन क्रयादेशों को पूरा कर लेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1970-71 के माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माताओं से 11,181 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के लिए पेशकश की गयी थी। इनमें से अभी तक 7,466 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के लिए पेशकश स्वीकार की गई है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जैसी कि 11-0-1970 को स्थिति थी, निजी क्षेत्र के माल डिब्बा उद्योग के पास 16,899·5 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के निर्माण के लिए आर्डर उपलब्ध थे।

(घ) माल डिब्बों की सुपुर्दगी की पूर्ति की तारीख, अलग-अलग फर्मों के कार्य-सम्पादन क्षमता पर आधारित होने के कारण, भिन्न-भिन्न होगी। फिर भी, 1970-71 के माल डिब्बा कार्यक्रम से सम्बन्धित जो आर्डर दिये गए हैं, उसकी सुपुर्दगी पूरी करने की अनुमानित तारीख 30-6-1971 है।

राष्ट्रपति श्री गिरि के निर्वाचन के विरुद्ध दी गई निर्वाचन-अर्जी के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय के अधिकारियों पर व्यय

2003. श्री अब्दुल गनी डार : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री गिरि के राष्ट्रपति निर्वाचित किये जाने के विरुद्ध दी गई निर्वाचन-अर्जी के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय के किन्हीं अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया था और यदि हाँ तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके कर्त्तव्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण थे; और

(ग) उन अधिकारियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई जो न्यायालय में उपस्थित रहे और जिन्होंने श्री वी० वी० गिरि के प्रति अपनी सेवाएँ प्रदान कीं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) श्री वी० वी० गिरि के खिलाफ 1969 की संख्यांक 1, 2, 3, 4 और 5 वाली अर्जियों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में मंत्रालय के जिन अधिकारियों ने भाग लिया, वे हैं : भारत के महा-सालिसिटर श्री जगदीश स्वरूप, सरकारी अधिवक्ता (मंत्रालय के अधिकारी) श्री आर० एच० ढेबर और सहायक सरकारी अधिवक्ता (मंत्रालय के अधिकारी) श्री एस० पी० नायर।

उनका कर्त्तव्य भारत के महान्यायवादी, रिटर्निंग आफिसर श्री एस० एल० शकधर, सचिव लोक सभा और निर्वाचन आयोग के सचिव श्री ए० एन० सेन का प्रतिनिधित्व करना था। संख्यांक 1, 2, 3, 4 और 5 वाली अर्जियों में यह चुनौती दी गई थी कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्रों को मंजूर करने और या नामंजूर करने की कार्यवाहियाँ सदोष कार्यवाहियाँ थीं। संख्यांक 1, 4 और 5 वाली अर्जियों में, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम की धारा 21 और राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम के नियम 4 और 6 की विधि-मान्यता को भी चुनौती दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 54 के उपबन्धों का निर्वचन भी उक्त अर्जियों में विवाद का विषय था। उपर्युक्त प्राधिकारियों की ओर से उपसंजात होने वाले अधिकारियों ने रिटर्निंग आफिसर एवं निर्वाचन आयोग के सचिव के पक्ष-कथन के समर्थन में और साथ ही साथ अधिनियम की विभिन्न धाराओं, नियमों और संविधान के अनुच्छेद 54 के अर्थान्वयन के सम्बन्ध में भी दलीलें पेश कीं।

(ख) इन अर्जियों के लिए उनके उपसंजात होने का कारण यह था कि उच्चतम न्यायालय

नियम के आर्डर XXXIX के नियम 14 के अधीन, उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्जियाँ फाइल की जाने कीसूचनाएँ, महान्यायवादी, रिटर्निंग आफिसर और निर्वाचन आयोग के सचिव को जारी की गई थीं और इसलिए उपर्युक्त अधिकारियों को, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए और अन्तर्वलित विधिक विवाद्यकों पर दलीलें पेश करने के लिए उपसंजात होना ही था।

(ग) महा सालिसिटर को प्रति मामले के लिए प्रतिदिन 800/- रुपये की फीस लेने का अधिकार है। उनके बिलों के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से निपटारा नहीं किया गया है। सरकारी अधिवक्ता और सहायक सरकारी अधिवक्ता मंत्रालय के अधिकारी हैं और उनको कोई फीस प्रभारित करने का अधिकार नहीं है और इसलिए महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग के सचिव और रिटर्निंग आफिसर की ओर से उनके उपसंजात होने पर कोई रकम खर्च नहीं करनी होगी।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्टील मैल्टिंग शाप में तालाबन्दी

2004. श्री बाबू राव पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर-अक्तूबर, 1970 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्टील मैल्टिंग शाप में तालाबन्दी साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कर्मचारियों के एक छोटे से परन्तु उग्रवादी दल की "अनुचित" माँगों के कारण हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो वे माँगें क्या हैं तथा उन्हें इस प्रकार स्टील मैल्टिंग शाप के सुचारु रूप से चल रहे काम में बाधा डालने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाने के इस्पात पिघलाने वाले संयंत्र में तालाबन्दी करने का कारण यह था कि ग्रेड III के औपरेटिव पद की अस्थायी रिक्ति की पूर्ति के लिए ग्रेड III के एक अधिसंख्य औपरेटिव को वहाँ लगाया गया था जो 21 जून, 1969 को प्रबन्धकों और मजदूर संघ के बीच हुए करार की शर्तों तथा सामान्य प्रथा के अनुकूल था परन्तु मजदूरों ने इसका विरोध किया था। मजदूरों ने काम बन्द कर दिया और प्रदर्शन किये।

प्रदर्शनकारियों की माँगें निम्नलिखित थीं :—

(1) सभी निलम्बन आदेश और आरोप-पत्र तत्काल वापस लिए जायें।

(2) ग्रेड III के अधिसंख्य औपरेटिव को ग्रेड II औपरेटिव की नियमित रिक्ति में ही रखा जाय और उन्हें ग्रेड III के नियमित समकक्ष पद की रिक्ति में न रखा जाय।

(3) प्रबन्धक भविष्य में कोई एक पक्षीय कार्यवाही न करें।

(4) अधिसंख्य मजदूरों की शिकायतों पर प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच बातचीत की जाय।

मजदूरों ने 26-9-70 को आकस्मिक हड़ताल कर दी। 27-9-70 को प्रदर्शनों के दौरान कुछ अधिकारियों पर हमले किये गए। कार्यालय के साज-सामान और अभिलेखों को आग लगा दी गई। चूँकि सामान्य रूप से काम करना संभव नहीं था और चूँकि कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों और अधिकारियों की जानें खतरे में थीं, इसलिए प्रबन्धकों को 27-9-70 को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। 20-10-70 को तालाबन्दी समाप्त कर दी गई परन्तु मजदूर काम पर वापस नहीं आये। जब समझौता वार्ता के परिणामस्वरूप राज्य के श्रम आयुक्त के समक्ष प्रबन्धकों और मजदूर संघों के बीच 31-10-70 को एक समझौता हो गया, तभी मजदूर काम पर आये।

रूमानिया के सहयोग से ईंट बनाने का स्वचालित संयंत्र स्थापित करना

2005. श्री बाबू राव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया के एक कारखाने के सहयोग से ईंटें बनाने का एक स्वचालित संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, यदि हाँ, तो सम्बन्धित पक्षों के नाम क्या हैं तथा सहयोग की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि ईंटें बनाने का यह भारतीय श्रम-प्रधान उद्योग दस लाख से भी अधिक श्रमिकों को काम पर लगाता है, यह संयंत्र स्थापित करना नितांत आवश्यक है जिससे कि बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) क्या देश में ईंटों की बहुत कमी है, यदि हाँ, तो हमारी वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा हमारा कुल उत्पादन कितना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). एक फर्म जिसका नाम एक्सलसियर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, है उसको रूमानिया की फर्म मैसर्स यूजिन एक्सपोर्ट के तकनीकी सहयोग से पूर्ण रेडलके ब्रिक प्लांट्स के लिए गुण व गुण के आधार पर लाइसेंस दिया गया है। सहयोग की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) तकनीकी सेवाओं जैसे पूर्ण तकनीकी प्रालेखों तथा जानकारी के बदले में विदेशी फर्म को 2·50 लाख रुपये एक मुश्त दिया जायेंगे, उससे अधिक नहीं।

(2) करार की अवधि 5 वर्ष होगी।

(3) सभी देशों को निर्यात की छूट होगी।

(4) दोनों ओर के विदेशी तकनीशियनों की प्रतिनियुक्ति सरकार की पूर्वानुमति से होगी।

(5) भारतीय पार्टी तकनीकी जानकारी को यदि आवश्यक हुआ तो, अन्य पार्टी को देने में भी स्वतंत्र होगी।

(ग) ईंटों की अनुमानित मांग 3,000 करोड़ प्रति वर्ष है। यद्यपि ईंटों के उत्पादन सम्बन्धी ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि ईंटों की मांग की पूर्ति के लिए इनके निर्माण में वृद्धि करना आवश्यक होगा।

Duration of stay of Officers at one Station on Northern Railway

2006. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the maximum time-limit prescribed for continuous posting of the officers working on different posts in the Northern Railways at one station;

(b) the details in respect of continuous posting of Railway officers on various posts in Lucknow Division;

(c) the names of such officers staying at one station for more than the prescribed period against whom complaints of nepotism, corruption and untouchability have been received; and

(d) the action taken on such complaints ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Expenditure on Dramas played by Railway Employees and Officers

2007. SHRI MOLAHU PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the Zonal Offices in the Northern Railway in which dramas are played monthly/fortnightly by the Railway employees and officers;

(b) the time of the Railway employees/Officers spent in showing such dramas;

(c) the details of the expenditure incurred on such dramas; and

(d) the reasons for not censoring the obscene scenes of the drama like 'Abhayadan' played in the Lucknow Zone ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Grant of Interim Relief to Railway Employees

2008. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway employees who got their interim relief as announced by Government; and

(b) the additional expenditure being borne by the Railways on account of the interim relief ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के भर्ती नियमों में परिवर्तन

2011. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् : क्या रेलवे मंत्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा में पदोन्नति तथा भर्ती के अवसरों को उत्तमतर बनाने के लिए उक्त सेवा से सम्बन्धित वर्तमान भर्ती नियमों में कतिपय परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेलवे मंत्री के साथ जोनल रेलवे के महाप्रबन्धकों तथा सुरक्षा अधिकारियों का सम्मेलन

2012. श्री मंगलाथुमाडम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जोनल रेलों के सुरक्षा अधिकारियों और महाप्रबन्धकों के सम्मेलन में कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय किये गए ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : दुर्घटनाओं को और कम करने तथा रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए 6-11-70 को रेल मंत्री के साथ रेलों के महाप्रबन्धकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था ।

सम्मेलन में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, यह विनिश्चय किया गया कि इंजन ड्राइवरों—खासकर डीजल ड्राइवरों के काम पर विशेष निगाह रखने के बारे में पहले से चलाये जा रहे अभियान को तेज किया जाय ताकि वे नियमों के अनुसार काम करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें और ड्यूटी करते समय सतर्क रहें ।

ड्राइवरों में संरक्षा के प्रति जागरूकता का भाव पैदा करने के लिए, संशोधित रूप में संरक्षा शिविरों को फिर से चलाने का विनिश्चय किया गया ।

सम्मेलन ने यह भी विनिश्चय किया कि सभी डीजल और बिजली रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाने के कार्यक्रम की गति बढ़ायी जाय और साथ ही रेल पथ सर्किटिंग तथा स्वचालित गाड़ी नियंत्रण उपकरण लगाने के कार्यक्रम को भी मुस्तैदी से क्रियान्वित किया जाय ।

यह भी विनिश्चय किया गया कि रेल कर्मचारियों के मस्तिष्क में सुरक्षित ढंग से काम करने की प्रमुख महत्ता को फिर से ताजा करने के लिए सभी रेलों पर 'सुरक्षा सप्ताह' मनाया जाय ।

आइलैंड एक्सप्रैस रेलगाड़ी की रफ्तार में वृद्धि

2013. श्री मंगलाथुमाडम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य एक्सप्रैस रेलगाड़ियों की तुलना में बंगलौर से कोचीन के बीच चलने वाली आइलैंड एक्सप्रैस रेलगाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी होने के कारण यह रेलगाड़ी अधिक लोकप्रिय नहीं है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों की रफ्तार अधिक रखी जाए, क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) खण्डों के लिए नियत अधिकतम अनुमत रफ्तार को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को अनुमत रफ्तार पर चलाया जाता है। किसी भी ठहराव को समाप्त करना सम्भव नहीं है, विशेषतया बेंगलूरू-बंगारपेट्टे खण्ड पर जहाँ गाड़ियाँ खण्डीय यात्रियों के लिए चलायी जाती हैं और हर स्टेशन पर ठहरती हैं।

वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बकाया इस्पात मांग-पत्र

2014. श्री रा० र० सिंह देव : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के मांग-पत्रों के आधार पर इस समय कुल कितना इस्पात दिया जाना बाकी है;

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). उपभोक्ताओं को माल की सप्लाई उनकी वर्तमान तथा निकट भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। इसके विपरीत मांग-पत्रों के बकाया माल से अभिप्राय पहले की उनकी आवश्यकताओं के उनके अपने उन अनुमानों से है जिनकी पहले पूर्ति की जा सकी है और जिनका उनकी वर्तमान और भावी आवश्यकताओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अत: नई वितरण नीति में यह व्यवस्था की गई है कि एतत्पश्चात् जो माल सप्लाई नहीं किया जा सकेगा वे मांग-पत्र की तारीख से दो वर्ष बीत जाने पर स्वत: खत्म हो गया समझा जाएगा। जहाँ तक पहले के बकाया आर्डरों का संबंध है जिन पर यह निर्णय लागू नहीं होता, उनको वर्तमान सप्लाई द्वारा, जो नये आर्डरों के बजाय पुराने बकाया आर्डरों के बदले की जा रही है, दे कर खत्म किया जा रहा है।

India's Contribution in E. C. A. F. E. Conference held in Tokyo

2015. SHRI RAMAVATAR SHARMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) the names of the Indian representatives who participated in the E. C. A. F. E. Conference held in Tokyo recently;

(b) the details of the speeches made by the Indian representatives in the said Conference; and

(c) for which programmes, proposed in the above Conference, the Government of India will make their contribution and the extent and nature of such contribution ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) to (c). A copy of the Report of the Indian Delegation to the Second Asian Conference on Industrialisation held at Tokyo from September 8 to September 21, 1970 has been placed in the Parliament Library. The information asked for in the Question is available in that Report.

ताँबे का मूल्य

2016. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के कुछ महीनों में ताँबे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी कमी आई है;

(ख) क्या देश में ताँबे के पत्तन तक पहुँचने के मूल्य गत् छः मास पूर्व के मूल्यों से बहुत कम हैं;

(ग) क्या बड़े पैमाने के केबिल-निर्माताओं में से किसी ने ताँबा कण्डकटर केबिल के मूल्यों में तदनुसार कमी की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन उत्पादों के मूल्यों को कम कराने के लिए आपेक्षित कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जी, हाँ। ताँबे की छड़ों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में जैसे कि वह लन्दन मेटल एक्सचेंज द्वारा उद्धृत किये गए हैं, मई 1970 से कमी आई है। भारत में ताँबे की तटागत लागत में भी कमी आई है।

(ग) ताँबे के मूल्यों में हाल में हुई कमी का ताँबे के कण्डक्टर-केबिलों के मूल्यों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा है या नहीं, यह अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि अधिकांश निर्माता पहले से आयातित ताँबे का प्रयोग कर रहे हैं।

(घ) केबिलों और तारों के मूल्य ढांचे का अध्ययन किया जा रहा है।

मनीला में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन की बैठक में भारत का भाग लेना

2017. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने एक प्रतिनिधि-मण्डल मनीला भेजा था; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं, उनका अंशदान क्या था और उन्होंने कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये ?

औद्योगिक विकास तथा आंन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल की सूची जिसमें अधिकारी और उद्योगपति सम्मिलित थे, अनुबन्ध के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4364/70]**

मनीला सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी प्रतिनिधियों और उन पार्टियों, जो एशिया के विकासशील देशों में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाएं चलाती हैं और विकसित देशों के उन विनियोजनकों में मेल-जोल बढ़ाना था जो इन उपक्रमों की स्थापना करने में भाग लेने के इच्छुक थे। भारत ने इस सम्मेलन में कुछ विशिष्ट और जटिल क्षेत्रों जिनमें इस समय कुछ प्रोद्योगिक कमियाँ विद्यमान हैं, उनमें विदेशी सहयोग प्राप्त करने एवं भारत द्वारा विशेष रूप से भारतीय ज्ञान, मशीनों और उपकरणों को एशिया के अन्य विकासशील देशों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से दोहरी हैसियत से भाग लिया था। भारत की प्रमुख औद्योगिक कमियों के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों और विदेशी कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। इस प्रकार के विचार-विमर्श सरकार के सम्बन्धित विभागों और अभिकरणों तथा भारत के परियोजना अधिकारियों के साथ और आगे किये जाते रहेंगे। विकास-शील देशों में संयुक्त उद्योगों में भारत द्वारा भाग लिए जाने के बारे में अधिकांश एशियाई देशों, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, ने इसका स्वागत किया था।

अधिकांश प्रतिनिधि-मण्डलों का नेतृत्व सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था और भारतीय उद्योगपतियों द्वारा परियोजना विशेष पर की गई प्रत्यक्ष बातचीत और पत्र-व्यवहार के अतिरिक्त इन वर्गों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया था। सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा इस सम्बन्ध में और आगे विचार-विमर्श किया जा रहा है। बैठक के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने में रुचि रखने वाली विभिन्न देशों की पार्टियों में आपस में मेल-जोल बढ़ाने के लिए बुलाई गई थी, अभी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी परियोजनाएं वास्तव में कार्यान्वित की जा सकेंगी क्योंकि इन पर अभी सम्बन्धित अभिकरणों और पार्टियों को आगे की पर्याप्त कार्यवाही करनी होगी।

Vegetable Oil Factories to be set up in Co-operative Sector

2018. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) the names of the States where new vegetable oil factories are being set up in the Co-operative Sector consequent upon the decision of the Government to do so; and

(b) the number out of them which would be under the State Governments and the number of those which would be under the Central Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b). In the Fourth Plan period, there is a programme to set up 7 vegetable oil factories (vanaspati units) in the cooperative sector. No State-wise allocation of these units has yet been worked out. In finalising the actual locations of these units, the availability of raw material and other related aspects would be taken into account.

Since the units would be set up in the cooperative sector, the question of their being under State Government and/or the Central Government does not arise.

पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी

2019. श्री सरदार अमजद अली : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, कच्चे लोहे, ढलवें लोहे, एल्यूमीनियम धातु की चादरों तथा सोडे की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के अनेक लघु उद्योग बन्द हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में उद्योगपतियों को इस सामान की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बोकारो इस्पात संयंत्र में बिजली घर लगाना

2020. श्री ए० श्रीधरन : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में बिजली घर लगाने का कार्यभार 113 लाख रुपये की लागत पर मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया इरैक्टर्स को दे दिया गया था जबकि एक अन्य अनुभवी ठेकेदार इसे 101 लाख रुपये की लागत पर बनाने के लिए तैयार था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केवल उसी कार्य के कारण इस्पात संयंत्र को लगभग 12 लाख रुपये की क्षति हुई है; और

(घ) किसने इसकी सिफारिश की है और ऐसी सिफारिश के कारण क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात कारखाने के तापीय विद्युत संयंत्र और टर्बो ब्लोअर स्टेशन के उपकरणों और संयंत्रों को लगाने का ठेका लगभग 113 लाख रुपये की लागत पर मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया इरैक्टर्स को दिया गया था क्योंकि इन्होंने ही तकनीकी तौर पर स्वीकार्य न्यूनतम लागत

की पेशकश की थी । इससे कम लागत की दो पेशकशें थीं परन्तु तकनीकी त्रुटियों और अनिश्चित आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए उन्हें नामंजूर करना पड़ा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारतीय सलाहकार इंजीनियरों, मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० द्वारा और बोकारो इस्पात कारखाने के वरिष्ठ अधिकारियों की निविदा-विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर ही बोकारो इस्पात कारखाने के निदेशक-मण्डल ने यह कार्य मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया इरैक्टर्स को सौंपने का अनुमोदन किया था ।

विदेशी सिगरेट कम्पनियों का कार्य संचालन

2021. श्री ए० श्रीधरन : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सिगरेट कम्पनियों के कार्य संचालन के सम्बन्धमें जाँच करने अथवा उनके लिए एक आयोग या समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सिगरेट उद्योग को संरक्षण देना

2022. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से सिगरेट उद्योग को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सिग्रेट का आयात प्रतिबन्धित है ।

(ख) (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूती कपड़े की मशीनों का निर्माण

2023. श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ कपड़ा-मशीन निर्माताओं ने विदेशी फर्मों के सहयोग से अथवा सहयोग के बिना, खुले-सिरे की कताई-मशीनों तथा शटल-विहीन करघों के निर्माण के लिए सरकार की अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो इन निर्माताओं के नाम क्या हैं, उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार भारत में इन मशीनों के निर्माण की अनुमति देगी और यदि हाँ, तो उसकी शर्तें क्या होंगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हाँ ।

(ख) मैसर्स नेशनल मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, थाना ने खुले सिरे के कताई फ्रेमों के बनाने के लिए आवेदन-पत्र भेजा है । चूँकि आवेदन-पत्र में पूर्ण ब्यौरा नहीं दिया गया था अत: उनसे कहा गया है कि जब उनके पास पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाए तो वे पुन: आवेदन-पत्र भेजें । मैसर्स इण्डिक्यूप इंजी० लिमिटेड, अहमदाबाद ने भी कुछ रुचि दिखलाई है तथा उन्हें सलाह दी गई है कि वे उचित फार्म पर आवेदन-पत्र भेजें ।

शटल-विहीन करघों के लिए मैसर्स टेक्सटाईल एपलायन्सेज तथा इन्स्ट्रूमैंट्स कम्पनी, बड़ौदा से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो आजकल सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जब कभी आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे, उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा ।

राजधानी में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

2024. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हाल ही में कुछ उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों में 33 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सितम्बर, 1970 के दौरान 5 प्रतिशत वृद्धि सम्बन्धी सरकारी आँकड़े स्थिति का गलत मूल्यांकन है क्योंकि मूल्य-सम्बन्धी आँकड़े एकत्र करते समय बहुत सी उपभोक्ता-वस्तुओं को शामिल ही नहीं किया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) फरवरी 1970 तथा 6 नवम्बर, 1970 को दिल्ली में चुनी हुई उपभोक्ता-वस्तुओं के थोक मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । देसी आलुओं तथा सन्तरों के मूल्य 6 नवम्बर, 1970 को 27 फरवरी, 1970 की अपेक्षा 33 प्रतिशत बढ़ गये हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4365/70**]

(ख) सरकार ने पूरे देश में चुने हुए स्थानों के सभी प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर थोक मूल्यों के सूचकांक तैयार किये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

. .

Prices of Consumer Goods in Madhya Pradesh

2025. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) the number of times the prices of consumer goods were increased in Madhya Pradesh in 1969 and 1970 so far; and

(b) the reasons for the present price-rise ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b). A statement showing the trend of retail prices of some important consumer goods at certain centres in Madhya Pradesh during 1969 and 1970 is attached. The statement also includes the reasons for any price fluctuations during the period. [*Placed in Library. Please See* No. LT—4366/70]

वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध का कीमतों पर प्रभाव

2026. श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा व्यापार पर रोक लगाने के बाद मुद्रा-स्फीति नहीं बढ़ी है और वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं आया है;

(ख) यदि नहीं, तो रोक लगाने से पहले और बाद के एक वर्ष के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं; और

(ग) जबकि वायदा व्यापार में क्रेता और विक्रेता दोनों वचनबद्ध होते हैं और उन्हें बाजार में बिकने योग्य उत्पादों का गहन ज्ञान होता है, तो सरकार वस्तुओं के मूल्यों पर इसके उचित प्रभाव को तथा समुचित नियंत्रण से मुद्रा-स्फीति को रोकने की कैसे मना कर सकती है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). वस्तुओं के अगाऊ सौदों पर कोई आम प्रतिबन्ध नहीं है। अगाऊ सौदे (विनियमन) अधिनियम के उपबन्ध अगाऊ सौदों का विनियमन तथा प्रतिबन्ध दोनों ही करते हैं। इस समय कई वस्तुओं के अगाऊ सौदे की अनुमति है जिनके नाम हैं—जूट का सामान, गुड़, काली मिर्च, हल्दी, अरण्डी, अलसी, बिनौला, कपास तथा नारियल का तेल। जनवरी, 1955 से कुछ वस्तुओं के अगाऊ सौदों पर समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त अग्रिम व्यापार आयोग ने अस्थायी पग के रूप में, मूंगफली, मूँगफली के तेल तथा देसी कपास में अगाऊ सौदों की अनुमति नहीं दी क्योंकि सम्बद्ध वस्तुओं की सम्भरण स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। कुछ वस्तुओं

के मामले में मूल्यों का उतार-चढ़ाव उस समय में अत्यधिक रहा जब उनमें अगाऊ सौदे नहीं होते थे ।

(ग) सरकार ने अगाऊ सौदों की सुविधा से कभी वंचित नहीं किया है और यहाँ तक कि कई वस्तुओं के अगाऊ सौदों की अनुमति है ।

लघु उद्योगों को दिये गए ऋणों की वसूली की अवधि में कमी करना

2027. श्री रामावतार शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को दिये गए ऋणों की वसूली की अवधि को 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस कार्यवाही के विरोध में मुख्य कार्यकारी पार्षद् तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यवाही से लघु उद्योगपतियों तथा शिल्पकारों को होने वाली कठिनाइयों को दूर के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार की नीति के अनुसार अंश पूंजी के लिए दिये गए ऋण की अदायगी अवधि 10 वर्ष तथा कार्यकारी पूंजी अथवा कच्चे माल के लिए दिये गए ऋण की अदायगी अवधि 3 वर्ष है । लघु तथा कुटीर उद्योग नियम 1970, जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने प्रकाशित किया है, में ऐसी व्यवस्था थी कि सहकारिता संस्थाओं से इतर पार्टियों को दिये गए ऋणों की अदायगी की अवधि 10 वर्ष होगी तथा औद्योगिक सहकारिता संस्थाओं को दिये गए ऋण की अदायगी अवधि 3 वर्ष होगी । जब यह असंगतता सरकार के ध्यान में आई तो दिल्ली प्रशासन को परामर्श दिया गया कि वह ऋण नीति को सरकार की नीति के अनुरूप करने के लिए अधिसूचना द्वारा संशोधन करे ।

राज्य निदेशकों को इस्पात के कोटे का अन्तरण

2028. श्री लोबो प्रभु : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय ने लघु उद्योगों के वर्ष 1968 में आबंटित इस्पात के कोटे को राज्य निदेशकों को अन्तरित नहीं किया;

(ख) क्या कारण है कि उत्पादन क्षमता के प्रमाण-पत्र भी अन्तरित नहीं किये गए;

(ग) इन उद्योगों को पुन: फोटोस्टेट प्रतियाँ तैयार करने का आदेश देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) में वर्णित अन्तरण के साथ तकनीकी विकास महानिदेशालय का कोटा घटा दिया गया था, यदि नहीं, तो इस गलती के लिए कौन उत्तरदायी है; और

(ङ) तकनीकी विकास महानिदेशालय ने इस्पात के अतिरिक्त कोटे का किस प्रकार उपयोग किया ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). 1968-69 में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूचियों में आने वाले एककों की महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित माँगें लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को भेजी जाती थीं जो कि समय-समय पर देशीय स्रोतों से उपलब्ध कुल माल तथा माँग को ध्यान में रखते हुए आबंटन करता था। अत: प्रत्येक वर्ष के लिए तकनीकी महानिदेशालय के निर्धारित कोटे जैसी कोई चीज नहीं थी अत: महानिदेशालय की सूची में एककों के राज्यों के उद्योग निदेशालय को हस्तान्तरित करते समय अपने कोटे के आबंटन को भी उद्योग निदेशालयों को हस्तान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों के उद्योग निदेशकों को तथा अन्य प्राधिकारियों को एककों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सूचित रखा गया ताकि वे उन एककों की दुर्लभ कोटियों के इस्पात तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी इस हेतु सामान्य नीति के अनुरूप आबंटन निर्धारित कर सकें।

सम्भवत: राज्य सरकारों के उद्योग निदेशकों ने फोटोस्टेट प्रतियाँ माँगी थीं।

(घ) चूँकि प्रत्येक वर्ष के लिए कोई निर्धारित कोटा न था और आबंटन का निर्धारण सूचीगत एककों की अनुमोदित माँगों तथा उत्पादकों से माल की उपलब्धि के आधार पर किया जाता था, अत: उस तथाकथित कोटे में कमी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भाग (क) से (घ) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

मंगलौर रेलवे स्टेशन का विकास

2029. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में मुख्य रेलवे स्टेशन के ढाँचे में वर्ष 1906 में हुए निर्माण के समय से लेकर अब तक कोई और निर्माण हुआ है, यदि हाँ, तो जोड़े गए तल क्षेत्रफल की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या वहाँ गैर-शाकाहारी जलपान गृह के लिए कोई जगह नहीं है तथा इसके लिए वर्तमान मुख्य भवन के ऊपर नई मंजिल न बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त नई मंजिल पर और अच्छे विश्रामगृह बन सकेंगे क्योंकि नीचे की मंजिल पर बने विश्रामगृह लोकप्रिय नहीं हैं;

(घ) क्योंकि मुख्य स्टेशन बन्दरगाह के लिए लाइन तथा हसन के लिए नई लाइन के लिए कार्य करेगा, तो क्या संभावित यातायात वृद्धि के लिए नई मंजिल की व्यवस्था की जायेगी; और

(ङ) यदि इस बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह क्या है तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ; 43 प्रतिशत तक ।

(ख) मंगलौर रेलवे स्टेशन पर सामिष भोजनालय के लिए इस समय कोई सिफारिश नहीं है । वर्तमान स्टेशन की इमारत के ऊपर नई मंजिल बनाने का भी कोई विचार नहीं है ।

(ग) से (ङ). ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

लघु इस्पात संयंत्र

2030. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य है तथा ये संयंत्र किन-किन उद्योगों के लिए स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). देश में पहले ही बहुत सी विद्युत भट्टियाँ हैं, जो इस्पात की ढली वस्तुयें जैसे विण्ड, बिलेट और अन्य पुनर्वेलित इस्पात-अनुभागों का उत्पादन करने के लिए रद्दी इस्पात अथवा इसी प्रकार का कच्चा माल इस्तेमाल करती हैं । सरकार ने इस्पात के उत्पादों का कुल उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के आवेदकों को इस प्रकार के कारखाने लगाने के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस भी दिये हैं ।

लघु क्षेत्र के लिए मदों का आरक्षण

2031. श्री केदारनाथ सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काफी समय से विचार कर रही है कि केवल लघु क्षेत्र उद्योग में ही उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की सूची में कुछ और वस्तुयें जोड़ी जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

कोयला उद्योग द्वारा रेलवे को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की कीमत में वृद्धि की माँग

2032. श्री सीताराम केसरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग ने रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की कीमत में वृद्धि करने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस माँग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) टेंडरदाताओं से बातचीत की जा रही है ।

औद्योगिक विकास के लिए पूर्वी जर्मनी से सहायता

2033. श्री सीताराम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी ने औद्योगिक विकास के लिए भारत को अधिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है; और

(ग) इस जर्मन-सहायता को किन-किन परियोजनाओं पर खर्च किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पूर्वी जर्मनी ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए कोई सहायता देने का प्रस्ताव किया है ।

औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सदस्यों में समन्वय

2034. श्री सीता राम केसरी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अखिल भारतीय निर्माण-कर्ता संघ' की केन्द्रीय समिति ने हाल ही में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अखिल भारतीय निर्माण-कर्ता संघ द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4367/70]**

(ग) यह सिफारिशें 19-10-70 को प्राप्त हुई थीं । अधिकांश सिफारिशों का सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों में निर्धारित की गयी महत्वपूर्ण नीतियों से है । उदाहरणार्थ :—सिंचाई तथा विद्युत के स्रोतों को एकत्रीकरण करने से सम्बन्धित मद सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित है । वित्त आयोग को स्थायी बनाने आदि के सम्बन्ध में दिए गए सुझाव का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है । भौगोलिक तथा आर्थिक आधार आदि पर राज्यों का पुनर्गठन गृह मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है । इन सबको सम्बन्धित मंत्रालय को उनके विचारार्थ भेजा जा रहा है ।

इस मंत्रालय का सम्बन्ध औद्योगिक नीति तथा औद्योगिक लाइसेंस के बारे में केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय बनाये रखने से है । इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के बीच विशेष करके लाइसेंस जारी करने के बारे में पहले से ही निकट समन्वय रखा जा रहा है । लाइसेंस समिति में सभी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है ।

सरकारी परियोजनाओं को लागू करने से पूर्व परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना इस बारे में उसके तकनीकी आर्थिक औचित्यों का विस्तृत अध्ययन किये बिना कोई भी सरकारी परियोजना न तो तैयार की जाती है और न लागू की जाती है । सरकार बराबर इस बात का ध्यान रखती है कि सरकारी परियोजनाएं स्वस्थ तथा कुशल प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्य करें और उन्हें अपने प्रबन्धों में उचित स्वायत्तता हो ।

मैसर्ज ट्राइस्कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा 'फ्लंज' तथा 'बंग्स' का निर्माण

2035. श्री जार्ज फारनेन्डीज : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री मैसर्स ट्राइस्कोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा 'फ्लेंज' तथा 'बंग्स' के निर्माण के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से उक्त कम्पनी ने उत्पादन आरम्भ किया है तब से उन्होंने 'फ्लेंज' तथा 'बंग्स' का कितनी-कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का उत्पादन तथा निर्यात किया;

(ख) क्या सरकार को 'बंग्स' तथा फ्लेंज' के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की किस्म के बारे में अन्य निर्माताओं की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा प्राप्त हो रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि यह फर्म अपने वायदे को पूर्ण करने में असफल रही है तथा पर्याप्त मात्रा में सही किस्म के अच्छे माल की कमी को, जिसका कि भारत में उत्पादन करने से पूर्व ही उन्हें अध्ययन करना चाहिए था, छिपाने के लिए बहाने बना रही है;

(घ) क्या इस फर्म के 50 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करने के वायद म परोक्ष निर्यात भी शामिल है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अपना वायदा तोड़ने के कारण उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) ब्यौरे का सुनिश्चय किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) से (ङ). मैसर्स त्रिशूर इंडिया प्रा० लि० के अलावा कोई अन्य फर्म बंग्स के बनाने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत नहीं है । फलेंग्स के बनाने के लिए एंक अन्य एकक का नाम तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास दर्ज है । यद्यपि कच्चे माल की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है. हाँ, देशी स्रोतों से कच्चे माल के संभरण को अपर्याप्त बताया गया है । मैसर्स त्रिशूर इण्डिया प्रा० लि० पर उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करने की लगाए गए उपबन्ध का अभिप्राय अप्रत्यक्ष निर्यात से नहीं था । सरकार पहले से ही फर्म से निर्यात बाध्यता को पूरा करने का सुनिश्चय करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर विचार कर रही है। निर्यात कमी का कारण फर्म ने उचित किस्म के कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में न मिलना बताया है ।

पश्चिम रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों की पदोन्नति न करना

2036. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के उन राजपत्रित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिनको पिछले दो वर्षों से अपेक्षित पदोन्नति नहीं दी गयी है तथा प्रत्येक मामले में पदोन्नति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक अधिकारी को कब पदोन्नति दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के दो कर्मचारी संघों तथा रेलवे बोर्ड के बीच ट्रेन एग्जामिनरों की शिकायतों के बारे में विचार-विमर्श

2037. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 तथा 20 अगस्त, 1970 को, रेलवे कर्मचारी संघों तथा रेलवे बोर्ड के बीच ट्रेन-एग्जामिनरों की शिकायतों के बारे में कुछ विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ, 18-8-70 और 19-8-70 को विचार-विमर्श हुआ था ।

(ख) कर्मचारियों की माँगें नोट कर ली गयी थीं और रेलवे बोर्ड उन पर आगे विचार करने को सहमत हो गया है ।

मुगलसराय (पूर्व रेलवे) पर नियुक्त कैरिज तथा वैगन कर्मचारियों को जारी किये गये आरोप-पत्र

2038. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर नियुक्त कैरिज तथा वैगन कर्मचारियों को जून से अगस्त, 1970 तक 400 आरोप-पत्र तथा अन्य दण्ड मिले;

(ख) मुगलसराय पर नियुक्त कैरिज तथा वैगन कर्मचारियों को मार्च से मई, 1970 तक कितने आरोप-पत्र मिले;

(ग) क्या यह सच है कि मुगलसराय पर सहायक मेकेनिकल इंजीनियर का एक पद बनाये जाने तथा उस पद पर एक अधिकारी के नियुक्त किये जाने के पश्चात् कैरिज तथा वैगन कर्मचारियों को दिये जाने वाले आरोप-पत्रों में वृद्धि होती गई; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई और हिन्द गैलवनाईजिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता द्वारा आयातित इस्पात का उपयोग

2039. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात तथा इंजीनियरिंग मंत्री 28 जुलाई, 1970 के 'स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई' और 'हिन्द गैलवनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग

कम्पनी (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता' द्वारा आयातित इस्पाती चादरों के उपयोग के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 289 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध सरकारी अभिकरणों ने इस बीच जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। जाँच अपने अन्तिम चरण में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि समय के बारे में ठीक-ठीक बताना कठिन है परन्तु जाँच को यथाशीघ्र पूरा करने की हर कोशिश की जाएगी।

पांडिचेरी में स्कूटर कारखाना

2040. श्री ए० श्रीधरन :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार पांडिचेरी में एक नया स्कूटर कारखाना स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा सरकारी क्षेत्र में;

(ग) इस परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी, और

(घ) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). पांडिचेरी में स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र की एक पार्टी का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। पांडिचेरी में स्कूटर का कारखाना स्थापित करने के बारे में 7 अक्तूबर, 1970 को इस पार्टी को एक आशय-पत्र जारी किया गया है जिसकी वार्षिक क्षमता 24,000 स्कूटर होगी। उनके आवेदन-पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि 40,000 स्कूटरों की क्षमता के लिए भूमि, भवन, संयत्र और मशीनों पर कुल 300 लाख रु० का विनियोजन होगा और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी निगमित करनी होगी।

सलाखों, छड़ियों और टोरस्टील के लिए अधिक माला की माँग-पत्र

2041. श्री रवि राय : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ उपभोगताओं ने सलाखों, छड़ियों और टोरस्टील के लिए अधिक मात्रा के माँग-पत्र दिये हैं जिनका कुछ भाग बाजार में चला जाता है;

(ख) क्या सरकार ने कोटे के इस दुरुपयोग की जाँच कराई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्होंने कोटे का दुरुपयोग किया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). वर्तमान वितरण नीति के अनुसार उपभोक्ता इस्पात के माल के लिए बिना किसी सीमा के माँग-पत्र भेज सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि माँगे गये माल की वास्तव में उसी कार्य के लिए आवश्यकता है जो माँग-फार्म में उल्लिखित है, चार्टर्ड इंजीनियर अथवा राज्य के उद्योग निदेशक से एक प्रमाण-पत्र माँगा जाता है। फिर भी सप्लाई केवल इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किये गए आबंटन के अनुसार ही की जाती है। यह समिति विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जाँच-पड़ताल करके प्रमाणित को गई आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखती है। इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किये गये आबंटन में एक अनुबन्ध होता है कि यदि उपभोक्ता प्राप्त सप्लाई का दुरुपयोग करता पाया जायेगा तो इस्पात प्राथमिकता समिति उस पार्टी से बाद में प्राप्त हुई प्राथमिकता के आधार पर माल भेजने की प्रार्थनाओं को या तो नामंजूर कर सकती है अथवा उसमें संशोधन कर सकती है या पहले दी गई प्राथमिकता को रद्द कर सकती है। वास्तविक उपभोक्ताओं तथा स्टाकयार्डों द्वारा आबंटित माल के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

परमाणु टरबाइन के निर्माण के लिए ब्रिटिश फर्म और हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के बीच करार

2042. श्री जी० वेंकटस्वामी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल ने परमाणु टरबाइन निर्माण के संबंध में एक ब्रिटिश फर्म के साथ करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) प्रत्येक टरबाइन के निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हाँ।

(ख) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल में बनाई जाने वाली न्यूक्लीयर टरबाइनों के लिए तकनीकी जानकारी का संभरण ब्रिटेन की फर्म रायल्टी, डिजायन और जानकारी प्रभार तथा सेवा शुल्क पर करेगी। करार सात साल की अवधि तक वैध रहेगा। करार का ब्यौरा वाणिज्यिक करार की भाँति है।

(ग) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा बनाई जाने वाली टरबाइनों का मूल्य लगभग 5 करोड़ के करीब अनुमानित है।

Distribution of Railway Land to Landless

2043. SHRI MOLAHU PRASHAD :
SHRI JANESHWAR MISRA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in Daily '*Hindustan*' dated the 15th October, 1970 under the caption "Bhoomihinon Ko Railway Bhoomi Dene Par Vichar" (Proposal to distribute Railway land among the landless); and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Yes.

(b) No final decision has been taken in the matter. However, instructions already exist for the licensing of surplus cultivable railway land in between stations for Grow More Food purposes through the State Government. The extant instructions also state that where the State Governments are not willing to take over such land, the same, wherever there is demand, may be licensed directly by the Railway to the adjacent field owners/cultivators or to any other applicants if the adjacent field owners/cultivators are not interested.

Representation from All India Ticket Checking Staff Association

2044. SHRI MOLAHU PRASHAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether his Ministry or Railway Board have received any representation from the All India Ticket Checking Staff Association, Lucknow Division on the 25th September, 1970; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) No such representation is traceable as having been received.

(b) Does not arise.

हथ-करघा कपड़े की गाँठ को बिना बुक किये पांडु भेजे जाने के बारे में जाँच करना

2045. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री हथकरघा कपड़े की बिना बुक की गई गाँठ के पांडु भेजे जाने के बारे में 22 अप्रैल 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना बुक की गई गाँठ के खोये जाने के बारे में कोर्ट की जाँच की गई थी तथा दोषी कर्मचारियों को दण्ड दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके इस अपराध की गहनता को देखते हुए उनको दिया गया दण्ड पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रशासन का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गयी है वह पर्याप्त है ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल

2046. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : क्या **ओद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नये अध्यक्ष तथा नये निदेशक मण्डल को मनोनीत करने में विलम्ब के कारण हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, 25 सितम्बर, 1970 से अध्यक्ष तथा निदेशक मण्डल के बिना ही कार्य कर रही है;

(ख) क्या गत् वर्ष भी इसी प्रकार विलम्ब किया गया था;

(ग) क्या वर्ष के दौरान तीन गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने में भी इतना ही विलम्ब हुआ था जिस कारण वे उक्त मण्डल की केवल एक ही नियमित बैठक में भाग ले सके;

(घ) क्या किसी कम्पनी को निदेशक मंडल के बिना ही कार्य करना कम्पनी कानून का उल्लघंन है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण हैं तथा तब से चली आ रही गलती को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निदेशकों की आवश्यक न्यूनतम संख्या विद्यमान है और उनमें से एक बोर्ड का अध्यक्ष होता है ।

(ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक न्यूनतम संख्या गत् वर्ष भी थी ।

(ग) निदेशक मण्डल में तीन गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की तिथि तथा कम्पनी के नियमों के अनुसार पदमुक्त होने की तिथि के बीच मण्डल की तीन बैठकें हुई । इनमें से एक ने तीनों बैठकों में हिस्सा लिया । शेष दो में से एक ने दो बैठकों में और दूसरे ने केवल एक ही बैठक में हिस्सा लिया ।

(घ) (क) तथा (घ) भाग के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) पूरे निदेशक मण्डल को यथाशीघ्र अधिसूचित करने के पग उठाये जा रहे हैं ।

Production of Diesel Engines and Diesel Cars

2047. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the time by which the production target of the diesel engines for use on the broad gauge line would be achieved in accordance with the demand; and

(b) the progress made in the production of diesel cars ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) It has been planned to meet the requirements of broad gauge diesel locomotives for Indian Railways during the 4th Plan Period by production in the Diesel Locomotive Works, Varanasi and the Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan, and production targests have been laid down keeping in view the demands of the Railways.

(b) So far 8 Metre Gauge diesel rail cars have been manufactured in the Integral Coach Factory, Perambur and 4 more are in various stages of completion.

मनीपुर के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अपनाए गए समाज कल्याण सम्बन्धी उपाय

2048. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत चालू वर्ष में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों में अपनाये गये विशिष्ट कल्याण सम्बन्धी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों/क्षेत्रों के कल्याण के लिए राज्य समाज कल्याण बोर्डों का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

Complaint against Assistant Manager of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2049. SHRI RAM SEWAK YADAV : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether the employees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi have sent any letter of complaints against the Assistant Manager, and

(b) if so, the nature of complaints made in the said letter and the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) Yes, Sir.

(b) The complaints were of a general nature. These were examined by the appropriate authority of the Khadi and Village Industries Commission. who held that none of the charges was established against the Assistant Manager.

Memorandum to Khadi and Village Industries Commission, Bombay by Khadi Gramodyog Bhavan Workers Association, New Delhi

2050. SHRI RAM SEWAK YADAV : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether a momorandum has been submitted to the Chairman, Khadi and Village Industries Commission, Bombay by the Khadi Gramodyog Bhawan Workers Association, New Delhi;

(b) whether any action has been taken thereon; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) to (c) . Information is being collected and will be laid down on the Table of the House in due course.

Vacation of Godown by Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

2051. SHRI RAM SEWAK YADAV : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether there was any godown on Asaf Ali Road, New Delhi for stocking wool, if so, the monthly rent thereof;

(b) whether Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi now needs a godown;

(c) if so, the reason for vacating the previous godown; and

(d) whether the previous godown has been rented out on triple rent ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) Khadi Gramodyog Bhavan had rentend a godown upto April 1969 on a monthly rent of Rs. 3000.

(b) Not at present.

(c) Does not arise.

(d) Government have no information.

कच्छ जिले (गुजरात राज्य) में गान्धीधाम-लखपत लाइन का सर्वेक्षण कार्य

2052. श्री तु० मू० सेट : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले (गुजरात राज्य) में गांधीधाम-लखपत लाइन के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण कार्य पूरे हो चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और वे रेलवे बोर्ड को पेश कर दी गई है;

(ग) क्या इन रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है और उन पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : सर्वेक्षण का काम अभी जारी है और कुछ महीनों में उनके पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता ।

Proposal to Increase Third class Fare Due to Excessive Loss to Railways

2053. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any proposal to increase the Railway fare in respect of third class passengers as a result of excessive loss expected to be suffered by the Railways during the current year is under consideration of Government; and

(b) whether Government have explored and considered other methods to make up the loss instead of increasing the fare of third class passengers; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Measures for augmenting the financial resources of the Railways are constantly under review but no proposal for increasing the third class fares has yet been formulated.

(b) A statement is attached.

Statement

The other measures being taken by the Railways to reduce the losses are augmentation of earnings and general economy in expenditure. Some of the important steps taken in this direction are as follows :

1. Marketing and Sales campaigns to attract more traffic to the rail.

2. Provision of booking facilities in areas situated away from the rail-heads such as Out Agencies, City Booking Agencies, Street collection and Delivery Services, etc.

3. Introduction of improved services like the Container Service, Freight Forwarder Scheme, the Quick Transit Service, the Fast Express Goods Train service, etc.

4. Quotation of special station to station rates wherever justified.

5. General improvement in rail service for catering to the passenger and other traffic in a better way.

6. Campaigns to prevent loss and pilferage of goods in transit to reduce the payment of compensation claims.

7. General economy in expenditure including economy in fuel consumption on train services.

Shortage of Passenger Trains Between Sonpur and Muzaffarpur (North Eastern Railway)

2054. SHRI K. M. MADHUKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of passenger trains between Sonepur and Muzaffarpur Railway stations, as a result of which passengers, who have to get down at Stations falling between these stations, have to face a great deal of inconvenience;

(b) if so, whether Government propose to increase the number of passenger trains there;

(c) if so, when and the number of additional trains proposed to be provided there; and

(d) if reply to part (b) above in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Lack of traffic justification.

छपरा तथा मोतीहारी के बीच रेलवे लाईन (पूर्वोत्तर रेलवे) बनाना

2055. श्री क० मि० मधुकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा तथा मोतीहारी के बीच रेलवे लाईन बनाना सरकार तथा जनता के लिए हितकर होगा;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). धन की कमी और पर्याप्त यातायात-औचित्य के अभाव के कारण इस समय छपरा और मोतीहारी के बीच एक नयी रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है ।

छपरा को मोतीहारी से मिलाने के लिए डुमरिया घाट पर पुल का निर्माण

2056. श्री क० मि० मधुकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणी नदी के डुमरिया घाट पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस पुल को सड़क तथा रेलवे यातायात दोनों के लिये प्रयोग करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार डुमरिया घाट पर बनने वाले पुल पर छपरा को मोतीहारी के साथ मिलाने के लिए रेलवे लाईन बनाने का भी है;

(घ) यदि हाँ, तो कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा और इसके किस तारीख तक पूरा होने की आशा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). नारायणी नदी के आर-पार डुमरिया घाट पर रेलवे पुल या रेल एवं सड़क पुल बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) से (ङ) . धन की कमी और पर्याप्त यातायात-औचित्य के अभाव के कारण, इस समय छपरा और मोतीहारी के बीच एक नयी रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है ।

छोटी कार कारखाने के लिए इटली की फिएट कम्पनी से प्रस्ताव

2057. **श्री धी० ना० देव :**
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री दे० अमात :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को छोटी कार परियोजना के लिए इटली की फिएट कम्पनी के प्रबंधकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इटली की फर्म के प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख) . इटली के मै० फिएट ने कार बनाने के लिए प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र की परियोजना में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है । उनसे 30 नवम्बर, 1970 तक अपने विसात प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है । इसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

अखिल भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन की सिफारिशें

2058. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार को अखिल भारतीय समाज कल्याण सम्मेलन से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

'स्वराज्य' ट्रैक्टरों का निर्माण

2059. श्री शंकर राव माने : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्वराज्य' ट्रैक्टरों के निर्माण में कठिनाइयाँ हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या 'स्वराज्य' ट्रैक्टरों के लिए जेटर किस्म का इंजन मंजूर किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण): (क) और (ख). पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से 72,000 प्रति वर्ष 'स्वराज्य' 20 तथा 30 कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है । निगम को 9 नवम्बर 1970 को एक आशय पत्र जारी किया गया है । इससे पूर्व ट्रैक्टर परीक्षण केन्द्र, बुदनी तथा पन्तनगर (उ० प्र०) तथा लुधियाना (पंजाब) के कृषि वि० वि० के किए गए परीक्षण के पश्चात् 'स्वराज्य' ट्रैक्टर के नमूने तथा ठीक तरह से चलने के बारे में कुछ सुधार करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी । पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम 'स्वराज्य' ट्रैक्टरों का व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरी अनुसंधान संस्था और एम० ए० एम० सी० के साथ परामर्श करके उनमें आवश्यक परिवर्तन और सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा ।

(ग) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार "स्वराज्य" ट्रेक्टरों में क्रिलोस्कर आर० ए०-2 इंजनों को फिट करने का प्रस्ताव किया गया है । "स्वराज्य" ट्रेक्टरों के लिए जेटर इंजन भी उपयुक्त होंगे ।

हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लांट द्वारा बायलरों की सप्लाई

2060. श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या औद्योगिक विकास तथा व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड के हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लांट ने हाल ही में बायलरों तथा कुछ अन्य मशीनों की सप्लाई के लिए रूस से करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस करार का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सप्लाई के कारण कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की जायगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). दिसम्बर, 1969 तथा फरवरी, 1970 में रूस के शिष्टमंडल द्वारा भारत भ्रमण के दौरान हरिद्वार के हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लांट में निर्मित टर्बो सेटों तथा उपकरणों को रूस को निर्यात करने की सम्भावनाओं पर अनौपचारिक विचार-विमर्श किया गया था तथा रूस वाले ऐसी सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए सहमत थे । रूस को बायलर सप्लाई करने

के बारे में न तो कोई करार हुआ है और न कोई प्रस्ताव ही है, क्योंकि भारी वैद्युत उपकरण संयंत्र हरिद्वार में बायलरों का उत्पादन नहीं होता है ।

आसनसोल जिले में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कोयला खानों के कार्य पर प्रभाव

2061. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि आसनसोल जिले में रेल-कर्मचारियों की हड़ताल से कोयला खानों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हाँ, तो किस मात्रा में प्रभाव पड़ा था; और

(ग) समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). पूर्व रेलवे के सवारी और माल डिब्बा विभाग के कुछ कर्मचारी 29-8-70 से 19-9-70 तक हड़ताल पर थे । नोटिस जारी करके कर्मचारियों को हड़ताल के प्रतिकूल परिणामों की चेतावनी दे दी गयी थी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर आ गये । ऐसी हड़तालों के कारण कोयला खानों के काम पर पड़ने वाले प्रभाव पर सरकार का कोई वश नहीं चल सकता ।

पश्चिमी बंगाल में इस्पात के कारखाने की स्थापना

2062. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिमी बंगाल का जिला पुरुलिया एक आधुनिक इस्पात का कारखाना स्थापित करने की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). बोकारो के लिए, अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन में, दस्तूर एण्ड कम्पनी ने 5 लाख टन वार्षिक से अधिक क्षमता के इस्पात कारखाने के लिए विभिन्न राज्यों में 12 स्थलों को उपयुक्त बताया था । पश्चिमी बंगाल में पुरुलिया भी इन स्थलों में से एक था ।

विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

2063. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के राज्य-वार आँकड़े रखे जाते हैं; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों का पुनर्वास प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार से किया गया है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में, राज्य-वार, इस वर्ग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों ने 31 अगस्त, 1970 तक निम्नलिखित अनुसार 7,481 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया था : —

अन्धे :	723
बधिर :	952
ओर्थोपेइडिकली विकलांग	5806
	7,481

(ग) चतुर्थ योजना में भारत सरकार का कुछ प्रयत्न नेत्रहीनों, बधिरों, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों तथा ओर्थोपेइडिकली विकलांग व्यक्तियों के व्यापक राष्ट्रीय केन्द्रों का विकास करना होगा। उसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों को शिक्षित करने तथा उन्हें उचित रोजगार दिलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। राज्यवार कार्यक्रम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4368/70]**

Gherao of Divisional Commercial Superintendent in Dhanbad

2064. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Divisional Commercial Superintendent was gheraoed by the railway employees at Dhanbad on 7th October last;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that a memorandum was also handed over to the Divisional Superintendent, Dhanbad on behalf of the Railway employees on that day if so, the details thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). No memorandum was handed over to the Divisional Superintendent, Dhanbad, on 7-10-1970. But, a Memorandum signed by some staff was received by the Divisional Superintendent, Dhanbad, on 13-10-1970, alleging *inter-alia* that the Divisional Commercial Superintendent, Dhanbad had abused the Station Master, Dhanbad, in filthy language on 7-10-70, and demanding that the present Divisional Commercial Superintendent, Dhanbad, should be transferred.

The memorandum was considered by the Railway Administration, and the allegations made therein were baseless. The Divisional Commercial Superintendent had only reprimanded the Station Master for his failure to attach a III class bogie by the Puja Special train that left Dhanbad on the previous day.

Fifteen-point demands submitted by employees of Carriage and Wagon Deptt. Samastipur Division (North Eastern Railway)

2065. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Carriage and Wagon Department of the North Eastern Railway and particularly those working in the Samastipur Division of the said Railway have submitted their fifteen-point demands to the Railway Administration;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the said employees have launched a work-to-rule campaign and also decided not to perform any officiating duty in order to get their demands fulfilled;

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to fulfil their demands; and

(e) in case no action has been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) to (e). A reference was received by the Railway Administration from the Purvottar Railway Mazdoor Sabha regarding the grievances of the Carriage and Wagon Staff, indicating that they would resort to work-to-rule if their demands are not conceded. The grievances alleged are detailed in the list attached. The grievances have been examined by the Railway Administration and action as called for is being taken. [*Placed in the Library. Please See* No. LT—4369/70]

Upgradation of Railway Middle School, Garhara (N. E. Railway)

2066. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have finalised their plan to upgrade the Railway Middle School, Garhara on the North Eastern Railway from January next;

(b) If so, the details thereof; and

(c) the additional annual expenditure likely to be incurred thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) and (b). The upgradation of the North Eastern Railway Middle School at Garhara in stages by 1974 beginning with the opening of class VIII during the scholastic session 1971 has been agreed to.

(c) Expenditure during the first year of upgradation will be as under :

Recurring	Rs. 18,406/-
Non-recurring	Rs. 7,000/-

Central School at Samastipur (North Eastern Railway)

2067. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the MIinister of RAILWAYS be pleascd to state :

(a) whether it is a fact that Railway Administration had written a letter to the Education Minister for establishing a Central School at Samastipur (North Eastern Railway) for the education of the children of employees of North Eastern Railway, if so, the details thereof;

(b) whether his Ministry has received any reply from the Ministry of Education; if so the details thereof; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) A letter was written to the Education Ministry for setting up a Central School at Samastipur. In the letter, it was mentioned that about 5,000 railway employees are residing at Samastipur and over 2,200 children of railway employees are getting education in the existing Institutions. As the Higher Secondary Schools are situated at a considerable distance from the Railway colony, there is a need for the establishment of a Central School which, when opened, is likely to benefit over 5,000 children.

(b) Yes. The Education Ministry is agreeable to open Central Schools at all appropriate places, provided the cost of running of the Schools is borne entirely by the Railways.

(c) The matter is under consideration.

स्थायी सहायक रेल पथ निरीक्षकों के पद पर रखे गए कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखों का हस्तांतरण

2068. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या रेलवे मन्त्री स्थायी सहायक रेल पथ निरीक्षकों के पद पर रखे गये कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा सेवा अभिलेखा के हस्तांतरण के बारे में 18 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3038 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे के फालतू सहायक स्थायी रेल-पथ निरीक्षकों के जो कि मध्य रेलवे में अस्थायी तौर पर क्लर्कों के रूप में कार्य कर रहे थे और जिनको कि अब उत्तरी रेलवे में सहायक स्थायी रेल-पथ निरीक्षकों के पद पर ले लिया गया है, सेवा अभिलेखों को हस्तांतरित नहीं किया गया है यद्यपि लगभग दो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चार को छोड़कर सभी सहायक रेल-पथ निरीक्षकों

के सेवा-रिकार्ड उत्तर रेलवे को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। शेष चार के सेवा-रिकार्ड उनकी सेवा के सम्बन्ध में कुछ मामलों को निबटाने के लिए पश्चिम रेलवे ने रोक रखा है।

Temporary Station Masters, Assistant Station Masters, Guards, Ticket Checkers and Booking Clerks on Indian Railways

2069. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of temporary Station Masters, Assistant Station Masters, Guards, Ticket Checkers and Booking Clerks separately in each of the Divisions of Indian Railways;

(b) the number out of them of those who have put in more than 8 years of service; and

(c) the action proposed to be taken in future to make them permanent ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Profit/Loss incurred by Railway Catering Department

2070. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total annual profit/loss during the last three years incurred by Railway Catering Department;

(b) the reasons for losses; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to improve the situation ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The departmental catering on Railways earned profits during the last three years as under ;

Year	*Figures in lakhs of Rupees*
1967-68	Rs. 5·85
1968-69	Rs. 23·42
1969-70	Rs. 27·71 (Estimate)

(b) and (c). Do not arise.

लघु क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए विधेयक

2071. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास सम्बन्धी व्यापक विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिये समिति नियुक्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों के नाम तथा उसके निदेश पद क्या हैं और समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1970 में औद्योगिक लाईसेंस जारी करना

2072. श्री न० कु० सांघी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1970 को समाप्त होने वाले आठ महीनों में कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) उपर्युक्त लाइसेंसों में से कितने लाइसेंस नये उपक्रमों की स्थापना के लिए, वर्तमान उपक्रमों के विस्तार के लिए और वर्तमान उपक्रमों में नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए थे; और

(ग) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कुल कितना धन अन्तर्ग्रस्त है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पहली जनवरी से 31 अगस्त, 1970 तक के आठ महीनों में 197 लाइसेंस जारी किये गये थे । इन लाइसेंसों में से 40 नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने, 73 विद्यमान लाइसेंस प्राप्त उद्योगों में पर्याप्त विस्तार करने, 53 नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए हैं तथा शेष 31 काम चलाते रहने के बारे में हैं । इसी अवधि में 307 आशय-पत्र जिसमें 149 नये भी जारी किये गये हैं, 75 पर्याप्त विस्तार करने तथा 83 नई उपक्रमों के लिये, वस्तुओं के लिए हैं ।

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में लगने वाले विशिष्ट विनियोजन का विस्तृत ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

रेलवे कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई न किया जाना

2073. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस वर्ग के रेल कर्मचारी वर्दियों की नियमित सप्लाई के हकदार हैं और किस वर्ग के कर्मचारी वर्दी के हकदार नहीं हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि वर्दियों की सप्लाई कुछ समय पहले मितव्ययिता अभियान के कारण बन्द कर दी गई थी; यदि हाँ, तो किन वर्गों पर और किस हद तक प्रभाव पड़ा था; और

(ग) वरिष्ठ ट्रेन क्लर्कों सहित कुछ वर्गों को वर्दी की सप्लाई बन्द करने के क्या कारण हैं जबकि अन्य वर्गों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूँजी निवेश पर लाभ

2074. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगपतियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे उन्हें टैरिफ आयोग की हाल की सिफारिशों के आधार पर लगाई गई पूंजी पर न्यूनतम 15 प्रतिशत लाभ लेने की अनुमति दें;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) (क) यद्यपि समय-समय पर कई क्षेत्रों में न्यूनतम लाभ की अनुमति दिये जाने के बारे में उद्योगों तथा विशेष क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; ऐसा कोई अभ्यावेदन जिसमें लगाई गई पूंजी पर न्यूनतम 15 प्रतिशत लाभ लेने तथा प्रशुल्क आयोग की किसी सिफारिश के आधार पर कोई सुझाव दिया गया हो, आया प्रतीत नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रचार अभियान पर व्यय

2075. श्री बाबूराव पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अपने हाल के 'आलोचना करने से पूर्व परीक्षण कीजिए' शीर्षक के अन्तर्गत अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित विज्ञापन अभियान पर कितना व्यय किया है;

(ख) इस अभियान से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और अभियान चलाने की योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 4,24,784 रुपये ।

(ख) ये विज्ञापन उनकी अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने की नीति के एक अंग के रूप में जारी किये गये हैं, जिससे सामान्य जनता को और विशेष रूप से इस्पात के उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनके कार्य का उचित मूल्यांकन करने में सुविधा हो ।

(ग) और (घ). ये मामले ऐसे हैं जिनका निर्णय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक-वर्ग को करना है ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित लोहना रोड स्टेशन के नाम को बिदेश्वरधाम में परिवर्तित करना

2076. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में पूर्वोत्तर रेलवे पर स्थित लोहना रोड स्टेशन के नाम को बिदेश्वरधाम में परिवर्तित करने हेतु जिला स्तर की समस्त औपचारिक सिफारिशें पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो नाम को परिवर्तित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो औपचारिक प्रक्रिया सम्बन्धी मामले कहाँ तक पूरे हो गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). बिहार सरकार के इस सुझाव पर कि "लोहना रोड" स्टेशन का नाम बदल कर "बिदेश्वरधाम" कर दिया जाय, गृह मंत्रालय विचार कर रहा है और इस मामले में उसके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

टाटा बन्धुओं और बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंसों का जारी किया जाना

2077. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं और बिड़ला बन्धुओं ने नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए पिछले दो महीनों में लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1970 से अब तक इन औद्योगिक फर्मों को कुल कितने लाइसेंस दिये गये और ये लाइसेंस किन उद्योगों के लिये थे ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1970 (अगस्त तक) में टाटा तथा बिड़ला गृहों से सम्बन्धित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित उपक्रमों को जारी किये गये कुल औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या क्रमश: 4 तथा 1 थी ।

इनका सम्बन्ध नई वस्तुओं के बनाने से अथवा न्यूमेटिक टायर्ड ट्रेक्सन यूनिट, मूँगफली का खाद्य आटा, स्टेनलैस स्टील स्ट्रिपें, लो एलोय स्टील स्ट्रिपें, संश्लिष्ट बेवरेजेज, कास्टिक सोडा आदि में पर्याप्त प्रसार करने से है। चार मामलों में पहले ही आशय-पत्र जारी कर दिये गये थे जिन्हें आशय-पत्र में दी गई शर्तों को पूरा करने के पश्चात् लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया।

रेलों के लिए आयात किए गए सामान

2079. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितने मूल्य का रेलवे का सामान आयात किया गया;

(ख) अब तक आयात किए गए मदों की देशी क्षमता का विकास करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस दिशा में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस मामले में आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पिछले तीन वर्षों में आयात किए गए रेलवे भण्डार की वर्षवार लागत इस प्रकार है: —

1967-68	42·98 करोड़ रुपये	
1968-69	32·40 करोड़ रुपये	
1969-70	18·18* करोड़ रुपये	*अनंतिम

(ख) और (ग) . आयातित मदों के लिए देशी क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं: —

(i) आयात की सभी मदों पर कड़ी रोक लगायी जा रही है।

(ii) इस समय जो पुर्जे आयात किये जा रहे हैं देश के अन्दर, उनके निर्माण कार्य का विकास करने के लिए रेलवे बोर्ड कार्यालय और रेलों और उत्पादन यूनिटों में विकास कक्ष काम कर रहे हैं।

(iii) आयातित मदों के स्थान पर देशी मदों के उपयोग में प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से समीक्षा समिति द्वारा की जा रही है।

(iv) विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कक्ष खोले गये थे जिनमें रेलवे का आयातित भण्डार दिखाया गया।

(v) आयातित सामान की सूचियाँ समय-समय पर प्रकाशित की जाती हैं ताकि स्थानीय उद्योगपतियों को उस सामान का आवश्यक ब्यौरा मिल सके जिनका देश के अन्दर बनाया जाना अपेक्षित है।

2. इन उपायों के परिणामस्वरूप आयातित रेलवे उपस्कर की मात्रा जो 1951-52 में 30·03 प्रतिशत थी, 1968-69 में घटकर 10·06 प्रतिशत हो गयी है यद्यपि भण्डार की कुल खरीद जो 1951-52 में 97·66 करोड़ रुपये की थी, 1968-69 में बढ़कर 322·21 करोड़ रुपये की हो गयी है ।

3. यथासम्भव कम से कम अवधि में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से खरीदने की कार्यविधि को और अधिक सुप्रवाही बनाया गया है और उचित मामलों में नयी प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गयी हैं । आशा है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप चौथी योजना अवधि के अन्त तक अधिक मात्रा में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी ।

Forest-based Industrial Schemes for Small Scale Industries

2080. SHRI RAM SINGH AYARWAL :
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have formulated schemes for forest-based industries in the small scale sector; and

(b) if so, the details thereof and the time by which these schemes would be implemented and the location of these industries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) & (b). No new scheme has been formulated for forest-based industries in the small scale sector. There are already many small scale industries based on forest resources and any new industry in this regard will receive the assistance generally given to small scale industries.

राज्यों में मद्य-निषेध

2081. श्री एन० शिवप्पा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में मद्य-निषेध पूर्ण रूप से लागू है; और

(ख) किन-किन राज्यों में वर्ष 1970-71 के दौरान इसके लागू होने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) गुजरात तथा तामिल नाडु ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा 1970-71 में किसी ऐसे कार्यक्रम की सूचना नहीं दी गई है ।

1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले फीरोजपुर के अस्थायी कर्मचारियों को वेतन के अन्तर की राशि की अदायगी न किया जाना

2082. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर के जिन स्थायी और अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को, जिन पर 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सिलसिले में एक ही एफ० आई० आर० के अन्तर्गत आरोप लगाये गए थे, बहाल कर दिया गया था, क्योंकि साक्ष्य के अभाव में उन पर मुकदमे नहीं चलाये जा सके;

(ख) क्या स्थायी कर्मचारियों को उनकी मुअत्तली की अवधि के लिए वेतन के अन्तर की राशि अदा कर दी गई है, परन्तु अस्थायी कर्मचारियों को उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वे अपने कार्य से अलग रहे, यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के अन्तर स्वीकारात्मक हों, तो इस भेदभाव को कब तक समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सरकार की सामान्य नीति का अनुसरण करते हुए कर्मचारियों को वापिस उनके काम पर लगा दिया गया है।

(ख) स्थायी कर्मचारियों के मामले में मुअत्तली की अवधि का भुगतान भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग II के नियम 2044 के अनुसार नियमित किया गया है। जहाँ तक अस्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी नौकरी समाप्त करने की तारीख और उन्हें फिर से काम पर लगाये जाने की तारीख के बीच वाली अनुपस्थिति की अवधि को सरकार के सामान्य निर्णय के अनुसार छूट-दिवस के रूप में मान लिया गया है; अत: उक्त अवधि के लिए वे किसी तरह का वेतन पाने के हकदार नहीं हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पहले दिये गये छुट्टी वेतन को वसूल करना

2083. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण उनके सेवा में हुए भंग को सरकार ने माफ कर दिया है;

(ख) क्या रेलवे को छोड़कर अन्य विभागों के कर्मचारियों की कोई भी वेतन सेवा में भंग की अवधि के लिये इसको समाप्त किये जाने तक, वेतन में कमी नहीं की गई थी;

(ग) क्या रेलवे में माफी देने पर यह छुट्टी वेतन कर्मचारियों को पहले दिया गया था और अब इसको वापिस लिया जा रहा है; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर हाँ में है तो क्या सरकार का विचार रेलवे कर्मचारियों के साथ हुए भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुदेश जारी करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) उन्हें ग्राह्य छुट्टी वेतन दिया गया ।

(ग) और (घ). गैर-कानूनी हड़ताल में शामिल होने से सेवा-भंग हो जाने के कारण रेलों पर कर्मचारियों की वह छुट्टी जब्त हो गयी जो हड़ताल के पहले उनके जमा खाते में थी । लेकिन सेवा-भंग को माफ किये जाने के बाद, ये कर्मचारी उस छुट्टी को अग्रानीत करा सकते थे जो सेवा-भंग के पहले उनके जमा खाते में थी और 19-9-68 के बाद उनके द्वारा ली गयी असाधारण छुट्टी को, आवश्यक समायोजन कराकर, बकाया छुट्टी में बदलवाने की अनुमति दे दी गयी है ताकि वे ग्राह्य छुट्टी वेतन ले सकें ।

गुन्तकल बंगलौर रेलवे लाइन (दक्षिण रेलवे) में परिवर्तन करने सम्बन्धी सर्वेक्षण

2084. श्री स० अ० अगड़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या गुन्तकल बंगलौर रेलवे लाइन (दक्षिण रेलवे) को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में सर्वेक्षण कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काम कब तक आरम्भ करने का विचार है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). बेंगलूर सिटी—धर्मावरम मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने और धर्मावरम से गुन्तकल तक एक समानान्तर बड़ी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं और रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण रिर्पोटों की जाँच कर रहा है । इस परियोजना के निर्माण पर 17·08 करोड़ रुपयों (कुल) की लागत का अनुमान है । इस परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में रिर्पोटों की जाँच पूरी हो जाने के बाद विनिश्चय किया जायेगा ।

Railway Development Scheme for Madhya Pradesh

2085. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the details of the Railway development schemes for Madhya Pradesh during the 1970-71 Plan and the Fourth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : Railway development is not envisaged on any State-wise or Region-wise concepts, but on over all considerations in the National interest. However, a statement showing the details of important works included in the 1970–71 programme (including works continued from earlier programmes), which fall wholly or partly in Madhya Pradesh, is attached.

Statement

Details of important works included in the 1970-71 programme (including works continued from earlier programmes), which fall wholly or partly in Madhya Pradesh.

1. Construction of a new line between Guna and Maksi.

2. Doubling of section between Hetampur and Sank (23·60 km) on the Jhansi-Agra section.

3. Doubling of section between Antri and Dabra (20 km) on the Jhansi-Agra section.

4. Electrification of Waltair-Kirandul section. (This is subject to final decision on the Economic Study of the scheme currently under examination).

5. Bhilai—Provision of retarders and mechanisation of the humps on the Marshalling yard.

6. Provision of multi aspect colour light signalling at Bhilai Marshalling yard.

7. Provision of multi aspect colour light signalling at Bhilai Junction.

8. Itarsi-Agra section—Provision of multiple aspect upper quadrant signalling at 18 stations.

9. Provision of multi aspect colour light signalling at Bilha, Bhatapara, Tilda, Raipur, Kumhari, Bhilai Nagar and Durg.

10. Provision of Multi aspect colour light signalling at Champa.

11. Provision of microwave (Direction-Radio) Multi-channel communication on section Chakradharpur-Bondamunda-Jharsuguda-Bilaspur-Bhilai.

12. Bina—Provision of a through Loop on the Up side of the passenger station for block loads with passenger platform face along and loop.

13. Provision of 4 full length loops in the classification grid of Bhilai Marshalling yard.

14. Bhopal—Extension of loop lines to 686 m., provision of one pilot line and shunting neck for loco shed.

15. Durg—Provision of Terminal facilities.

16. Raipur—Provision of a new wagon shop.

Sanctioning of further works for the remaining years of the Fourth Plan will depend on the traffic needs from time to time.

Applications for Licences from Madhya Pradesh

2086. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received from the State of Madhya Pradesh applications for issuing of licences for starting new industries during 1969;

(b) if so, the details thereof;

(c) the names of industries for which licences have been issued; and

(d) whether these industries have started working and if so, since when ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) and (b). During 1969, 8 applications were received for licences under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for setting up of new industrial undertakings in the State of Madhya Pradesh, details of which are given in the statement attached.

(c) and (d). One letter of intent has been issued for manufacture of Carbon Resistors and electrolytic capacitors. It is too early to assess the progress made in setting up of this industry.

Statement

S. No.	*Name of the Party*	*Item of manufacture*
1.	Shri V. B. Tolat, Bombay	Carbon Resistors and Electrolytic Capacitors
2.	Shri B. K. Agarwal, Kanpur	Beer, Malt and Whisky
3.	M/s. Bajaj Electricals Ltd., Bombay	Incandescent Lamps, Glass Shells etc.
4.	Shri Mahabir Prasad, New Delhi	G. L. S. Lamps
5.	M/s. B. S. Gupta & Sons, Calcutta	Beer
6.	M/s. Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., New Delhi	Beer
7.	Lt. T. Murari, Madras	Baby Food with Milk Powder
8.	—do—	Butter, Cheese etc.

Funds allocated for Welfare of Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Madhya Pradesh

2087. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the population of Backward Classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh and the amount allocated by the Centre in the Fourth Plan for the Welfare of these Communities in the State together with the ratio of population to the amount allocated;

(b) the population of Madhya Pradesh and the amount allocated by the Centre in the Fourth Plan for centrally Sponsored schemes for the State, together with the ratio of population to the amount allocated; and

(c) if the proportion of funds allocated for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes is less, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Tribal Development Blocks in Madhya Pradesh

2088. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that keeping in view the percentage of tribal population in Madhya Pradesh the number of Tribal Development Blocks is less there as compared to their number in other States;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the names of the places where Tribal Development Blocks are proposed to be set up in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan and the population to be covered by each of them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : (a) No, Sir. The Madhya Pradesh State have been allotted 127 Tribal Development Blocks out of the total number of 489 blocks in the country.

(b) Does not arise.

(c) The State Government have proposed to start 11 new T. D. Blocks during the 4th Plan which is under consideration.

रेलगाड़ियों में मद्यपान पर रोक

2089. श्री समर गुहा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि रेलगाड़ियों में खुलेआम मद्यपान पर रोक लगा दी जायेगी;

(ख) क्या रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों में अभी भी मद्यपान चल रहा है जिससे अन्य यात्रियों को, विशेषकर महिला यात्रियों को, परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सदन को सूचित किया गया था कि गाड़ियों में मद्यपान के निषेध के लिए कोई विधिसम्मत अधिकार नहीं है, इसलिए अनुरोध करके और इसी तरह के अन्य उपायों द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, किया जायेगा ।

(ख) और (ग). राजधानी एक्सप्रेस में मद्यपान के सम्बन्ध में कुछ शिकायतों को छोड़कर किसी अन्य गाड़ी में यात्रियों द्वारा मद्यपान किये जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

राजधानी एक्सप्रेस में निम्नलिखित नोटिस लगा दिया गया है और गाड़ी में लाउडस्पीकर पर भी इसकी घोषणा की जाती है :—

"कृपया सहयात्रियों का ख्याल रखते हुए डिब्बे में मादक द्रव्यों का सेवन न करें ।"

रेलों से कहा गया है कि वे अन्य सभी गाड़ियों में भी इसी तरह के नोटिस लगायें । इस आशय की भी हिदायतें जारी की गयी हैं कि यदि गाड़ी कर्मचारी किसी यात्री को गाड़ी के डिब्बे में

मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए देखें, तो वे कर्मचारी सम्बन्धित यात्री के पास जायें और उससे अनुरोध करें कि वे मादक द्रव्यों का सेवन न करें ताकि अन्य यात्रियों को असुविधा अथवा कष्ट न हो ।

गोमोह रेलवे स्टेशन पर फाटक लगाना

2090. श्री समर गुहा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता से बहुत अभ्यावेदन मिलने के कारण भूतपूर्व रेलवे मंत्री बिहार में गोमोह रेलवे स्टेशन पर, एक फाटक लगाये जाने के बारे में सहमत हो गये थे क्योंकि यहीं से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत से बच निकलने हेतु अपने प्रयास के प्रथम चरण में फ्रन्टियर मेल में बैठे थे; और

(ख) यदि हाँ, तो भूतपूर्व रेलवे मंत्री के द्वारा दिये गये आश्वासन को पूर्ण न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 1968 में, गोमोह में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाने के लिए नेताजी स्मारक समिति, धनबाद से अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे इस शर्त पर स्वीकार कर लिया गया कि पूर्व रेल प्रशासन के परामर्श से उपयुक्त स्थान का चुनाव किया जाय और प्रतिमा की तथा उसको लगाने की लागत समिति वहन करे । समिति से फिर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । रेलवे द्वारा प्रतिमा और एक फलक लगाने के लिए सितम्बर 1969 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है और उस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

विकास कार्य के लिए पश्चिमी बंगाल को आबंटित निधियाँ

2091. श्री समर गुहा : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी विकास कार्य के लिए, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य के लिए गत् तीन वर्षों में पश्चिमी बंगाल को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या उक्त सभी राशियों का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो गत् तीन वर्षों में किये गए विकास कार्य का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या राज्य के सभी जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सभी जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने की कोई योजना सरकार ने तैयार की है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पिछले तीन वर्षों में पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित राशियाँ दी गईं—

(रुपये लाख की राशियों में)

	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
1967-68	34·00	61·81
1968-69	39·20	85·36
1969-70	*	35·00

(* खण्ड अनुदान तथा खण्ड कर्जे वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए थे। ठीक राशि उपलब्ध नहीं है।)

राज्य क्षेत्र योजनाओं के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा के प्रसार के लिए विशिष्ट रूप से दी गई राशियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सहायता अनुमोदित परिव्यय के समक्ष कुल निष्पादन के आधार पर दी जाती है।

(ख) जी हाँ।

(ग) मोटे तौर से पिछले तीन वर्षों में किया गया विकास कार्य नीचे दिया गया है :—

राज्य क्षेत्र

1. शिक्षा :—
   (1) ट्यूशन फीसों की अदायगी।
   (2) पुस्तक अनुदान।
   (3) परीक्षा फीसें।
   (4) छात्रावास भवनों का निर्माण।
   (5) लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल।
2. आर्थिक विकास :—
   (1) प्रशिक्षण योजनाएं।
   (2) कुटीर उद्योग।
   (3) लघु सिंचाई साधन।
   (4) सड़कें।
3. स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएं :—
   (1) जल प्रदाय।
   (2) घरों का निर्माण।
   (3) स्वयंसेवी तथा सांस्कृतिक अभिकरणों को सहायता।

केन्द्रीय क्षेत्र

(1) मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियाँ;
(2) लड़कियों के होस्टल;

(3) परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण;
(4) अधिक आदिम जातीय आबादी वाले क्षेत्रों के लिए तदर्थ सहायता;
(5) सहकारिता;
(6) आदिमजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण,
(7) गंदे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के काम की तथा रहने-सहने की स्थिति में सुधार।
(8) विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं।

(घ) और (ङ) : प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध राज्य सरकार से है तथा उसे संविधान की राज्य सूची में शामिल किया गया है।

बम्बई की उपनगरीय रेलगाड़ियों में अपराधों में वृद्धि होना

2092. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उपनगरीय रेल गाड़ियों में अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या ये अपराध बहुत समय से रेलों में सक्रिय स्थायी गिरोहों द्वारा किये जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों ने अपराधियों के इन गिरोहों को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार का सहयोग माँगा है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या रेलवे अधिकारियों का विचार यह कार्य तुरन्त करने का है; और

(ङ) रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलों और यात्रियों के जीवन की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मध्य रेलवे के उपनगरीय खण्ड में अपराधों में वृद्धि हुई है।

(ख) कोई नियमित दस्ता नोटिस में नहीं आया है।

(ग) से (ङ). जी हाँ, उपनगरीय खण्डों में सुरक्षा-प्रबन्धों में सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस दल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी है।

बम्बई की उपनगरीय रेल व्यवस्थाओं में दुर्घटनाओं के कारण मारे गए/घायल हुए व्यक्ति

2093. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बम्बई की उपनगरीय रेल व्यवस्थाओं में हुई दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे;

(ख) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या गाड़ियों में अधिक भीड़-भाड़ होना इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में मध्य और पश्चिम रेलों के उपनगरीय खण्ड में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	पायदानों आदि पर यात्रा करने वाले, गाड़ियों से गिरने वाले या बाहर कूदने वाले यात्री		अतिक्रम करने वाले यात्री	
	मरे	घायल	मरे	घायल
1967-68	96	751	410	341
1968-69	106	758	375	325
1969-70	107	768	382	528

(ग) ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए अपनाए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं—निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर अधिक ऊपरी पैदल पुलों और रेल-पथों के बीच बाड़ लगाने की व्यवस्था, जनता को सवारी डिब्बों की छतों और पायदानों, दरवाजों के हैंडिल पकड़कर लटकते हुए या खिड़कियों आदि के बाहर टेकते हुए यात्रा करने से विरत करना, लाउडस्पीकर के जरिए एलान करना, इश्तहारों, रेडियो वार्ता, सिनेमा स्लाइडों आदि के जरिये श्रव्य-दृश्य प्रचार करना, गाड़ियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि करना और गाड़ियों के डिब्बों की संख्या बढ़ाना। स्टेशनों पर चेतावनी बोर्डों की व्यवस्था भी की गयी है जिनमें जनता को पुलों और अन्य संरचनाओं के बारे में सूचित किया गया है जिनसे छत या पायदानों आदि पर यात्रा करने वाले यात्रियों के टकरा कर गिर जाने की सम्भावना रहती है। लाइन के अतिक्रमण को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा नियमित अभियान चलाये जाते हैं।

(घ) गाड़ियों में भीड़-भाड़ का होना इन दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भीड़-भाड़ न होने पर भी पायदानों पर यात्रा करते हैं।

दक्षिण कनारा जिले में वृद्धावस्था पेंशन योजना

2094. श्री लोबो प्रभु : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में इस समय कुल कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशनें दी जा रही हैं और पिछले वर्ष ऐसी कितनी पेंशनें मंजूर की गई थीं;

(ख) क्या यह सच है कि लोगों को पेंशन योजना के विद्यमान होने की जानकारी नहीं है और उन्हें आवेदन फार्म प्राप्त करने में कठिनाई होती है;

(ग) क्या पंचायतों के माध्य से योजना का प्रचार किया जा सकता है और आवेदन फार्म उपलब्ध किये जा सकते हैं; और

(घ) क्या सरकार पेंशन के हकदार होने की आयु को 65 वर्ष करने में अन्तर्ग्रस्त अतिरिक्त

लागत में सहायता करेगी क्योंकि 70 वर्ष और इससे अधिक वर्तमान आयु सीमा का बहुत कम लोग लाभ उठा सकते हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अगस्त, 1970 के अन्त तक मंजूर की गई वृद्धावस्था पेंशनों की कुल संख्या 391 है, जबकि पिछले वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक मंजूर की गई पेंशनों की संख्या 81 थी।

(ख) तथा (ग). मैसूर की राज्य सरकार ने प्रेस और राज्य के सरकारी राज-पत्र के अतिरिक्त डिवीजनल आयुक्तों और अन्य राजस्व अधिकारियों के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना का व्यापक प्रचार किया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन पत्र फार्म प्राप्त न होने के बारे में राज्य सरकार को अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। आवेदन पत्र फार्म तालुक अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, ग्राम कार्यालयों, नगरपालिका कार्यालयों तथा बंगलौर के नगर निगम से प्राप्त हो सकते हैं। नियमों के अनुसार यदि छपे हुए फार्म उपलब्ध न हों तो मसौदा फार्मों का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) जो व्यक्ति अंधेपन, कुष्ठ रोग, पागलपन अथवा एक या अधिक अंगों के पक्षाघात अथवा हीनता के कारण जीविका कमाने में असमर्थ हो गए हैं, उनके लिए 70 अथवा उससे अधिक की वर्तमान अर्हता आयु को घटा कर 65 वर्ष कर दिया गया है। यदि सभी मामलों में अर्हता आयु को 65 वर्ष कर दिया जाए तो उससे अधिक खर्च होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकासात्मक कार्यक्रमों के अधीन वृद्धावस्था सहायता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

अजमेर स्थित उप-मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) के कार्यालय में माल यातायात के बारे में नामे खाते डाली गई राशियाँ

2095. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर स्थित उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) के कार्यालय में जनवरी, 1969 से सितम्बर, 1970 तक माल यातायात (स्थानीय) के बारे में प्रत्येक महीने के लिए अलग-अलग कितनी राशियाँ नामेखाते डाली गईं;

(ख) इस बारे में प्रत्येक महीने के लिए अलग-अलग कुल कितने पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) इस कार्य के लिए कुल कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4370/70]**

(ग) सबहैड — 2

क्लर्क — 22

पूर्वी, उत्तरी और मध्य रेलवे के ट्रेन परीक्षकों द्वारा 'नियमानुसार कार्य करो' आन्दोलन

2096. श्री विश्वनाथ मेनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त माह में पूर्वी, उत्तरी और मध्य रेलवे के ट्रेन परीक्षकों ने 'नियमानुसार कार्य करो' आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या थी;

(ग) मांगों को पूरा करने के लिये प्रबन्धकों द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) अगर कोई प्रयास नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) उन्होंने मांग की थी—

(i) गाड़ी परीक्षकों के निम्नतम अर्थात् 180-240 रुपये के ग्रेड को खत्म कर दिया जाय;

(ii) पदोन्नति की पर्याप्त सरणि का सृजन किया जाय; और

(iii) वर्तमान पदनाम को बदल दिया जाय ।

(ग) और (घ). उनकी मांगों पर 18-8-70 और 19-8-70 को दो रेलवे श्रमिक संघों अर्थात् आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमेन के साथ विचार-विमर्श किया गया और जो विचार-विमर्श हुए उनके अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है ।

भोपाल के हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि० में हड़ताल

2097. श्री भगवान दास : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल के कर्मचारियों ने इंजीनियरिंग वेतन बोर्ड की सिफारिशों और सेवा सुविधाओं के कार्यान्वियन की मांग करते हुए 10 अगस्त को 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की इन मांगों को पूरा करने के बारे में प्रबन्धक मण्डल द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० भोपाल के कर्मचारी 10 अगस्त, 1970 को इंजीनियरिंग वेतन मंडल की सिफारिशों तथा अन्य सेवा सुविधाओं के कार्यान्वियन की मांगों

के लिए 24 घन्टे की सांकेतिक हड़ताल पर नहीं गये । हां, प्रबन्धकों ने पहले से ही इंजीनियरिंग उद्योग के लिए केन्द्रीय वेतन मंडल की सिफारिशों तथा कर्मचारियों की अन्य उचित मांगों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं ।

बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन

2098. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कोई निर्वाचन कार्यक्रम नियत किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो कार्यक्रम नियत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के 13-बिलासपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम, जिसमें रिक्ति 17 सितम्बर, 1970 को श्री अमर सिंह सहगल, संसद् सदस्य की मृत्यु के कारण हुई थी, उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

चण्डीगढ़ के लिए समाज कल्याण योजना

2099. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रस्तावित समाज कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध और निराश्रित लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने के लिए उसे पिछले पंजाब राज्य में लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली स्थित विदेश परियात लेखा कार्यालय और अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालय में जांच प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

2100. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय यातायात के मामले में अजमेर स्थित यातायात लेखा कार्यालय और पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित विदेश परियात लेखा-कार्यालय में यंत्रों द्वारा संगणित सार की जांच करने के लिये वर्ष 1968 में कुल कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये;

(ख) क्या फरवरी, 1969 के बाद विदेश परियात लेखा-कार्यालय के उप-खण्ड में कुछ कार्य बढ़ गया था ;

(ग) यदि हाँ, तो कार्य की किन मदों में वृद्धि हुई और बढ़े हुए कार्य को निपटाने के लिये उस उप-खण्ड में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई; और

(घ) यदि अतिरिक्त कर्मचारी नहीं दिये गये, तो इसके क्या कारण हैं और बढ़े हुए कार्य को निपटाने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दिल्ली कार्यालय — 9 लिपिक

अजमेर कार्यालय— 4 लिपिक

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

Commissioning of new Halt stations in Bikaner Division of Northern Railway

2101. SHRI P. L. BARUPAL: Wiil the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the time by wheich the halt stations sanctioned by the Railway Ministry betwcen Jaitsar and Mohannagar, Rang Mahal and Pilibangan, Parsneu and Bigga, Ellenabad and Khanania and Hanumangath and Dholi Pal on Bikaner Division of Northern Railway are likely to be put into commission; and

(b) the respective names of the said halt statlons ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) and (b). The position is given in the statement attached.

Statement

Particulars of train halt	*Expected date of opening*	*Proposed Name*
1. Halt between Jaitsar and Mohan Nagar	The halt was expected to be opened by the end of 1970 but the construction of the same could not be taken up on account of construction of a bridge on Rajasthan Canal, Gangapur Branch which necessitated shifting of the original site proposed.	Masaniwala

Particulars of train halt	*Expected date of opening*	*Proposed Name*
2. Halt between Rangmahal & Pilibangan.	No date fixed yet	Amarpura Rathan
3. Halt betwen Parsneu and Bigga	Halt has been opened on 2. 11. 70.	Sitalnagar
4. Halt between Ellenabad and Khanania	Date not yet fixed	Surera.
5. Halt between Hanumangarh and Dholipal	The proposal for opening a train halt between Hanuman garh and Dholipal stations was dropped as the People of the area could not reconcile their differences about the site of the halt.	

Opening of new Railway Halt Stations on Bikaner Division (Northern Railway)

2102. SHRI P. L. BARUPAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of new Railway halt stations opened on Bikaner Division of Northern Railway upto the end of December 1969 and the number and names of those railway halt stations which are under consideration;

(b) whether it is a fact that some new halt stations in Bikaner Division of the Northern Railway appeared in the Time Table which came into force from 1st October, 1968 but these stations were not to be found in the Time Table which came into force from October, 1969; and

(c) if so, the reasons for this lapse in the publication of names ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Three new contractor-operated train halts have been opened during the year 1969 on Bikaner Division of Northern Railway.

In addition the opening of the following nine train halts was under consideration as on 31. 12. 1969 :—

S. No.	*Stations between which the halt is to be located*	*Name of the halt*
1.	Suratpura and Jhunpa	Laseri
2.	Ellenabad and Khanania	Surera
3.	Sirsa and Suchan Kotli	Bajekan
4.	Rangmahal and Pili Bangan	Amarpura Rathan
5.	Jaitsar and Mohannagar	Masaniwala
6.	Raisinghnagar and Gajsinghpur	Phaujuwala
7.	Bhiwani and Manheru	Dhana Ladanpur
8.	Siwani and Jhunpa	Soiniwas
9.	Bigga and Parsneu	Sitalnagar

(b) No. The names did not appear in the Public Time Table in force from 1st October, 1968.

(c) Does not arise.

Development of Railway Stations of Bikaner Division and Construction of Bridges at Bikaner (Northern Railway)

2103. SHRI P. L. BARUPAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has formulated any plan for extension of Bikaner Railway Station, including extension of waiting room, bathroom, parcel room etc. attached thereto;

(b) the reasons for delay in the implementation of the scheme for construction of bridges on the Railway crossings for solving the traffic problems of the ctitizens of Bikaner; and

(c) if the scheme has not been shelved, the time by which it is likely to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Yes. The work of providing four retiring rooms and a refreshment room is in progress and nearly completed. The parcel office has already been extended by providing a parcel godown and one room.

(b) The State Government of Rajasthan has not given their final decision in regard to the provision of over-bridges in place of the level crossings at Bikaner.

(c) Does not arise in view of reply to (b) above.

स्टेशनों पर पार्सल क्लर्कों के पद का सृजन करने से सम्बन्धित नियम

2104. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रकार के कार्य के लिये स्टेशन पर पार्सल क्लर्कों के पदों की व्यवस्था करने का क्या मानदण्ड हैं;

(ख) 1 अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक सहारनपुर, कालका, भटिण्डा, मेरठ सिटी, गाजियाबाद और पानीपत स्थित पार्सल-कार्यालयों (उत्तर रेलवे) द्वारा कितने पी० डब्ल्यू० बिल जारी किये गये और कितने पार्सल बुक किये गये, कितने पी० डब्ल्यू बिलों और पार्सलों की डिलीवरी की गई, कितने पार्सल एक गाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी में रखने के लिए प्राप्त हुए, कितने मुहरबन्द माल डिब्बे इन कार्यालयों द्वारा प्राप्त हुए और उन पर अग्रेतर कार्यवाही की गई;

(ग) मानदण्ड के अनुसार ग्रेड-वार कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है;

(घ) इन स्टेशनों पर कुल कितने कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) कर्मचारियों की संख्या में, यदि कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे की समस्याओं के लिए विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति

2105. श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की समस्याओं पर परामर्श देने के लिए सरकार विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करती है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों से इस प्रकार के विशेषज्ञों की परामर्श हेतु नियुक्ति की जाती हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के परामर्श के लिए कितनी धनराशि अदा की गई;

(घ) विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस व्यय से छुटकारा पाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ, जब कभी जरूरत होती है।

(ख) अतीत में जापान, फ्रांस, इंगलैंड, अमरीका, स्वेडन, जर्मनी और रूस से विशेषज्ञ लिए गये थे।

(ग) 63,099·93 रुपये।

(घ) विदेशी विशेषज्ञों को उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जिनमें अपेक्षित योग्यता वाले विशेषज्ञ देश में उपलब्ध नहीं होते।

(ङ) रेलों पर जो विभिन्न तकनीकी समस्याएं पैदा हो जाती हैं उनके बारे में हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि भारत में उपलब्ध विशेषज्ञों से ही काम लिया जाये। केवल उन्हीं विशेष क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञों को लिया जाता है जिनमें अपेक्षित योग्यता वाले विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते। द्रुत गति से हो रहे तकनीकी विकास को देखते हुए कभी-कभी ऐसा कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी विशेषज्ञों द्वारा दिये जाने वाले विशेष ज्ञान का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों को इन विशेषज्ञों के मातहत काम सीखने के लिए रखा जाता है ताकि देश में कर्मचारियों के एक योग्यता सम्पन्न संवर्ग का विकास किया जा सके। यह बात भी उल्लेखनीय है कि रेलों का अनुसंधान, अभिकल्प तथा मानक संगठन भी उन विभिन्न समस्याओं पर व्यापक अनुसंधान करने के काम में लगा हुआ है जो रेलों के सामने हैं।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा 'व्हील्ड टाइप ट्रेक्टरों' का निर्माण

2106. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खेती करने के व्हील्ड टाइप ट्रैक्टर का निर्माण करने के लिये एक उद्योग के आवेदन-पत्र की सिफारिश की थी;

(ख) उसका विवरण क्या है और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है, और

(ग) कारखाने के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रा० कृष्ण) : (क) तथा (ग). आंध्र प्रदेश में पहियेदार ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए नये एकक स्थापित करने के लिए आंध्र सरकार ने लाइसेंस दिये जाने के लिए निम्नलिखित आवेदकों की योजनाओं की सिफारिश की थी :—

क्रमांक	आवेदक का नाम	नमूना, मार्का तथा वार्षिक क्षमता	परियोजना की अनुमानित लागत
1.	मेसर्स लार्सन एण्ड टूयबरो लि०, बम्बई	जान डीयर (52-82 अश्व शक्ति) 6,000 संख्या	6·4 करोड़ रु०
2.	मेसर्स कैमल ट्रेक्टर्स एण्ड इंजीनियरिंग एन्टर्प्राईज, हैदराबाद	गल्डनेर (15,25,35 तथा 45 अश्व शक्ति) 10,000 संख्या	2·32 ;, ,,
3.	मेसर्स प्रेम एग्रो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली	यू—500 (50 अश्व शक्ति) यू—650 तथा 651 (65 अश्व शक्ति) 10,000 संख्या	4·30 ,, ,,
4.	मेसर्स इंडियन एग्रो मशीन्स्, नई दिल्ली	आर० एस०—09 (20 अश्व शक्ति) 10,000 संख्या	4·30 ,, ;,

(ग) मेसर्स कमाल ट्रेक्टर तथा इंजीनियरिंग एन्टरप्राइज्, हैदराबाद को 17 अगस्त, 1970 को एक आशय-पत्र जारी किया गया। मेसर्स लार्सन एण्ड ट्यूबरो लि०, बम्बई, मेसर्स प्रेम एग्रो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, तथा मेसर्स इंडियन एग्रो मशीन्स, नई दिल्ली के आवेदन अभी विधाराधीन हैं।

इस समय यह बताना कठिन है कि प्रस्तावित कारखाने कब तक स्थापित हो जायेंगे।

महाराष्ट्र में 1940 में बन्द की गई दरवहा मोती बाग-पुसद रेलवे लाइन को पुनः चालू करना

2107. श्री देवराव पाटिल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने 1957 के बाद से दरवहा मोती बाग-पुसद क्षेत्र में हुई पर्याप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र में दरवहा-पुसद रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जो 1940 में बन्द कर दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा रेलवे लाइन को पुन: चालू करने हेतु यातायात सम्भावनाओं का कब तक पता लगाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). उखाड़ी गई दरवाह-पुसद रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। 1957 में लाइन को फिर से बिछाने के लिए यातायात की सम्भावनाओं का जो अनुमान लगाया गया था, उससे पता चला था कि इस लाइन को फिर से बिछाने का प्रस्ताव बहुत अलाभप्रद होगा। तब से ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिससे यह पता चले कि प्रस्तावित लाइन से मिलने वाले प्रतिफल में कोई विशेष सुधार हुआ है। इसलिए, अभी इस लाइन को फिर से बिछाने के उद्देश्य से यातायात की सम्भावनाओं का नये सिरे से अनुमान लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को रेलवे कैंटरिंग स्टालों का आबंटन

2108. श्री देवराव पाटिल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुरला, कल्याण आदि रेलवे स्टेशनों (मध्य रेलवे) पर रेलवे कैंटरिंग स्टालों के आबंटन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों को एक भी स्टाल आबंटित नहीं की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). कुरला और कल्याण स्टेशनों पर खान-पान की किसी दुकान का हाल में आबंटन नहीं किया गया है। लेकिन कुरला और कल्याण में जिन नई दूकानों की व्यवस्था का विचार है, उनके आबंटन के लिए कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ

2109. श्री देवराव पाटिल : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 में 1 अक्तूबर, 1969 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के उन छात्रों की संख्या कितनी थी, जिनके माता पिता की आय 500 रु० प्रति माह अथवा उससे अधिक थी और जिन्होंने मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन-पत्र दिये थे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : यह सूचना सुलभ नहीं है। अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियाँ जीविका साधन जाँच के आधार पर दी जाती हैं, जिसकी शिखर सीमा 500 रु० प्रति मास है। जिन उम्मीदवारों के वालदेन की आय इस शिखर सीमा से अधिक होती है, वे इन छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होते हैं।

Memorandum submitted by Weavers' Social Welfare Board, Nagpur

2110. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been submitted to the Prime Minister by the Weavers' Social Welfare Board, Nagpur in August last;

(b) their demands in brief; and

(c) the steps taken by Government to meet those demands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Diesel Engines for Narrow Gauge Section of Central Railway

2111. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he has considered the need to provide diesel engines in place of the present ones running on the Gwalior-Shivpuri, Gwalior-Bhind, Gwalior-Sheopur Kalan (Central Railway) narrow gauge lines keeping in view their present conditions and, if so, the details thereof; and

(b) the number of times the engines failed and the details of the late-running trains as a result thereof on the above-mentiond narrow gauge sections during the period from the 18th October, 1970 to 31st October, 1970 ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA): (a) No Sir.

(b) There was only one engine failure during this period. The engine of 656 UP failed on 18-10-70, as a result of which 656UP/655DN trains ran late as under :—

(i) 656UP of 18-10-70 arrived Gwalior 14 hours 15 minutes late.

(ii) 655DN of 19-10-70 left Gwalior 7 hours 35 minutes late.

(iii) 656UP of 19-10-70 was cancelled and an extra train was run on 20-10-70 leaving Shivpuri at 5-30 A. M. in addition to the regular train 656UP.

Raising of Eastern side Platform at Datia Railway Station

2112. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the action being taken by Government for raising the eastern side platform which is at present at level with the Railway track, to the level of the western side platform on the Datia Railway Station, a District headquarter town in Madhya Pradesh; and

(b) the time by which the work is likely to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) There is no proposal at present for raising the eastern side platform.

(b) Does not arise.

Refusal to Transport Machinery from Gwalior

2113. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a request was made for the transportation of the mahinery meant for the sugar factory proposed to be set up at Kailaras in Morena District of Madhya Pradesh by rail from Gwalior to Kailaras;

(b) the reasons for which the Railway authorities have refused to transport this machinery by rail from Gwalior to Kailaras; and

(c) the steps being taken for increasing the loding capacity of the railways for transporting sugarcane etc. for the said sugar factory in future ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) No such request appears to have been received.

(b) Does not arise.

(c) Facilities for movement of following traffic annually were asked for:—

Raw materials:

1- Sugarcane	100 wagons (Narrow Gauge)
2. Lime Stone	810 ,, ,, ,,
3. Coal	324 ,, ,, ,,
4. Mineral Oil	42 tank wagons (Broad Gauge)
5. Gunny Bags	50 wagons (Nar row Gauge)
6. Sulphur	6 ,, ,, ,,
Finished Goods :	
1. Sugar as per quota to be fixed by Govt.	3000 wagons (Narrow Gauge)
2. Molasses	200 tank wagons (Broad Gauge)

There would be no difficulty in the movement of the above traffic. So far as the movement of machinery on the narrow-gauge during the period of construction is concerned, any request would be examined consistent with the availabiliy of suitable stock as well as maximum permissible moving dimensions.

Stoppage of Booking of Goods from Jivajiganj, Ghosipura etc.

2114. SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether orders have recently been issued to stop booking of additional goods from Jivajiganj, Ghosipura, Kampur and Morar stations on the metre gauge line within the limits of Gwalior city in Madhya Pradesh on the Central Railway to stations on the Broad gauge lines; and

(b) the reasons for withdrawing the said facility available to the people ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Morar Cantt. has been completely closed for goods booking. Jivajiganj, Ghosipura and Kampookothi (not Kampur) are still open for booking goods traffic to stations on the same Narrow Gauge section of the Railway (It is not Metre Gauge), but closed for traffic involving transhipment due to change of gauge.

(b) All these stations form part of the outskirts of Gwalior itself. Traffic meant for Broad Gauge destinations can be loaded at Gwalior Broad Gauge station without difficulty and thus the wasteful transhipment is avoided.

Manufacture of Tractors by M/s. Escorts with American Collaboration

2115. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1423 on the 5th May, 1970 regarding indigenous production of tractors and state :

(a) whether M/s. Escorts, Faridabad are manufacturing a new tractor with the American collaboration;

(b) whether 10,000 American tractors are proposed to be distributed through M/s. Escorts Limited till the new tractors are ready.

(c) whether Government's attention has been drawn to the fact that M/s. Escorts are replacing the parts of the American tractors by old ones and selling those tractors in that condition; and

(d) if so, the action being taken against them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA) : (a) M/s. Escorts Tractors Ltd, were issued an Industrial licence on the 5th August, 1970 for the manufacture of Agricultural tractors (Ford-3000) in collaboration with M/s. Ford Motor Company of U. S. A. They have not yet started production.

(b) No, Sir. Only 850 Nos. of Ford-3000 tractors are being imported through the State Trading Corporation in knocked down condition. Although these tractors would be assembled by M/s. Escorts, their distribution would be through the State Agro Industries Corporations.

(c) and (d). As no Ford tractors have so far been either assembled or sold by M/s. Escorts, the question of the company substituting parts by old ones does not arise.

पूर्वी रेलवे में परिवहन पर्यवेक्षकों का स्थायीकरण

2116. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे का परिवहन पर्यवेक्षक संघ पिछले कुछ समय से परिवहन पर्यवेक्षकों को स्थायी करने की मांग कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि परिवहन पर्यवेक्षकों को आठ से दस वर्ष से भी अधिक समय के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परिवहन पर्यवेक्षकों को स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान का त्रिचूर से एरनाकुलम (केरल) में स्थानान्तरण

2117. श्री ई० के० नायनार : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान को एरनाकुलम (केरल राज्य) ले जाया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुरुक्षेत्र में दिल्ली आने वाली फलाईंग मेल तथा सवारी गाड़ी के बीच टक्कर को रोकना

2118. श्री देविन्दर गार्चा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर, 1970 को एक इंजन ड्राइवर की सावधानी से कुरुक्षेत्र में दिल्ली आने वाली फलाईंग मेल और एक सवारी गाड़ी की टक्कर होने से बच गई;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे ड्राइवर को कोई इनाम देने का निश्चय किया है जो अपनी सावधानी से जान और माल की हानि होने से बचा सका; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 21-10-70 को कुरुक्षेत्र पर गाड़ी नं० 28 डाउन फ्लाईंग मेल और 2 जे० एन० के० सवारी गाड़ी के बीच टक्कर होने से बचने का कोई मामला नहीं हुआ । सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय 21-10-70 को कुरुक्षेत्र स्टेशन पर ब्लाक नियमों के उल्लंघन के मामले से है । उस दिन नं० 2 जे० एन० के० सवारी गाड़ी नरवाना की ओर जाने के लिए शाखा लाइन से रवाना किये जाने के बजाय असावधानी से, मुख्य लाइन से अम्बाला छावनी की ओर रवाना कर दी गयी, लेकिन अभी यह गाड़ी मुख्य और शाखा लाइनों के उभयनिष्ठ रेल-पथ पर ही थी कि केबिनमैन द्वारा शीघ्र ही यह गलती पकड़ ली गयी और उसने गाड़ी नं० 2 जे० एन० के० के ड्राइवर को लाल सिगनल दिखाया और गाड़ी तुरन्त रोक ली गयी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश - नेपाल सीमा पर टनकपुर घाट के साथ खेती योग्य भूमि

2119. श्री लखन लाल कपूर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर टनकपुर घाट के साथ लगती हुई कृषि योग्य भूमि को अर्जित कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और किस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). टनकपुर स्टेशन पर खदानों से इकट्ठी की गयी मिट्टी के चट्टे लगाने और रेलवे की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टनकपुर के नगर प्राधिकारियों के माध्यम से 20·723 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है । लेकिन अभी तक रेलवे को इस जमीन की सुपुर्दगी नहीं की गयी है ।

उप-मुख्य लेखा अधिकारी (टी० ए०) अजमेर की श्रमिक विरोधी नीति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

2120. श्री गणेश घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उप-मुख्य लेखा अधिकारी (टी० ए०) अजमेर की श्रमिक विरोधी नीतियों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) मामले में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स ऐस्कोर्ट्स लिमिटेड द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण

2121. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ऐस्कोर्ट्स लिमिटेड देश में बनने वाले ट्रैक्टरों में 50 प्रतिशत से अधिक का निर्माण करते हैं;

(ख) क्या मैसर्स ऐस्कोर्ट्स की प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर बनाने की क्षमता को 7,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया है अथवा करने की सिफारिश की गई है;

(ग) एक बड़ा उपक्रम होने के कारण क्या मैसर्स ऐस्कोर्ट्स एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रतिक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं;

(घ) क्या श्री एस० एल० क्रिलोस्कर, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, भी ऐस्कोर्ट्स दे निदेशक बोर्ड में हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार के बढ़ने पर रोक लगाने की

अपनी घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) 1969 तथा 1970 (31 अक्तूबर 1970 तक) देश में स्कूटरों के निर्माण में ऐस्कोर्ट्स का भाग इस प्रकार है :

1969	...	45 प्रतिशत अनुमानतः
1970 (31-10-70 तक)	...	50.4 प्रतिशत अनुमानतः

(ख) मैसर्स ऐस्कोर्ट्स को प्रतिवर्ष 6 हजार फोर्ड ट्रैक्टर बनाने की क्षमता के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने हेतु 5 अगस्त, 1970 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया। उन्हें एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर के उत्पादन की क्षमता को 7 हजार प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 16 हजार प्रतिवर्ष तक करने के लिए 12 नवम्बर, 1970 को एक आशय-पत्र दिया गया।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी हाँ।

(ङ) इस समय वर्तमान माँग और देशीय उत्पादन के बीच काफी बड़ा अन्तर है जिससे बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों का आयात करने की आवश्यकता पड़ती है। देशी ट्रैक्टर उद्योग के द्रुत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह उद्योग प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत बृहत्तर औद्योगिक गृहों के प्रवेश पर भी रोक नहीं है। तथापि अन्य पार्टियों के ट्रैक्टरों के उत्पादन की कई योजनाओं को भी हाल ही में लाइसेंस दिया गया है। मंजूर किया गया है। ऐसा है कि हाल ही में लाइसेंसीकृत/स्वीकृत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्थापना से यह कम्पनी जो इस समय प्रभुता की स्थिति बनाए हुए है, वह धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। किसी भी स्थिति में औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र फर्म को अन्य चीजों के साथ-साथ इस शर्त के अधीन जारी किया गया था कि लाइसेंस अथवा आशय-पत्र किसी प्रकार भी एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के लिए आज्ञा-पत्र नहीं था और जहाँ भी इसमें उपबन्ध आकर्षित होते हों फर्म को लाइसेंस अथवा आशय-पत्र के कार्यान्वयन के पूर्व ही ऐसी अनुमति अथवा स्वीकृति, जोकि आवश्यक हो, प्राप्त कर लेनी चाहिए।

जालन्धर-पठानकोट सैक्शन (उत्तर रेलवे) में मील पत्थर 87 के स्थान पर निचली सतह पर पानी की निकासी

2122. श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालन्धर-पठानकोट सैक्शन, उत्तर रेलवे पर मील पत्थर 87 के स्थान पर रेलवे द्वारा निचली सतह पर पानी की निकासी करने में असफल रहने के कारण हजारों एकड़ सिंचित भूमि में पानी भर जाता है;

(ख) क्या ग्रामवासियों द्वारा अनेक शिकायतें की गई हैं परन्तु कोई भी अधिकारी मौके पर इसकी जाँच करने नहीं गया और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामवासियों की शिकायतों को दूर करने तथा पानी को जमा होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). गाँव में बाढ़ का पानी जाने से रोकने के लिए जालंधर-पठानकोट लाइन पर मील 87 के निकट एक रेलवे पुल की व्यवस्था के लिए सितम्बर, 1968 में माननीय सदस्य के जरिए श्री निरपाल सिंह और गाँव के अन्य व्यक्तियों का अभ्यावेदन मिला था। रेल अधिकारियों द्वारा उस स्थान का निरीक्षण और सर्वेक्षण किया गया था। अप्रैल, 69 में तत्कालीन रेल मंत्री ने माननीय सदस्य को उत्तर भेजकर स्पष्ट कर दिया था कि व्यासपुल के मुकेरिया पहुँच स्थल पर वर्तमान पुल नं० 184 से 187 के नीचे से पानी के बहाव का मार्ग इन पुलों से नदी की धारा के ऊपर की ओर लगभग 5 वर्ग मील के सीमित स्रवण-क्षेत्र से पानी के निकास के लिए पर्याप्त समझा जाता है। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि उस क्षेत्र की खुदाई के कारण शीतल सागर नाम का तालाब बन गया है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले क्षेत्र की भराई करके राहत दी जा सकती है।

उड़ीसा में लघु क्षेत्र के उद्योगों में इस्पात की कमी

2123. श्री क० प्र० सिंहदेव : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य में इस्पात की कमी के कारण लघु क्षेत्र के लगभग 3000 उद्योगों के सामने गम्भीर संकट है और अनेक उद्योग बन्द होने वाले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात सम्बन्धी उनकी माँगों को पूरा करने में उनकी सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों का विकास

2125. श्री सरदार अमजद अली : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र में औद्योगिक विकास उल्लेखनीय रूप से नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय रियायतों के लिए लघु उद्योग संबंधी बोर्ड का सुझाव

2126. श्री अदिचन : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग संबंधी बोर्ड ने हाल में सिफारिश की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों द्वारा औद्योगिक तौर पर पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को वही वित्तीय रियायतें देनी चाहिये जो कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्ड की ठीक ठीक सिफारिश क्या है और बोर्ड द्वारा वित्तीय नीति में क्या परिवर्तन करने की मांग की गई है;, और

(ग) इस पर इन वित्तीय संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). लघु उद्योग बोर्ड ने 5 और 6 नवम्बर, 1970 को भुवनेश्वर में हुई अपनी 28 वीं बैठक में यह सिफारिश की है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में औद्योगिक एककों को भारत के औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगमों आदि द्वारा दी जाने वाली वित्तीय रियायतें राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों द्वारा भी दी जानी चाहिए ।

(ग) वित्तीय संस्थाओं की प्रतिक्रिया का पता लगाया जा रहा है ।

लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशें

2127. श्री दे० अमात :
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड का 28वाँ सत्र हाल ही में भुवनेश्वर में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योग के विकास के संबंध में बोर्ड ने क्या सिफारिश तथा निर्णय किये थे; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी—4371/70]**

(ग) मंडल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

लोक सभा में दिनांक 24 नवम्बर, 1970 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 2127 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

लघु उद्योग मंडल ने अपनी 28वीं बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये:—

1. **पिछड़े क्षेत्र** : मंडल ने सिफारिश उत्तर पूर्वी भारत तथा जम्मू कश्मीर के दूरस्थ होने के कारण विशिष्ट समस्यायें तथा यातायात सुविधाओं के अभाव का अध्ययन सरकार को उच्च वरीयता के आधार पर करना चाहिए और उनका उपयुक्त समाधान करना चाहिये । भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े हुए जिलों में औद्योगिक एककों को दी जाने वाली वित्तीय रियायतें राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों द्वारा भी दी जानी चाहियें । औद्योगिक दृष्टि

से पिछड़े क्षेत्रों की ओर गहन ध्यान देने के लिये लघु उद्योग सेवा संस्थानों को उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिये ।

2. सामान्य नीति : लघु उद्योग कार्यक्रम के आधार को विस्तृत किया जाना चाहिए और इसमें न केवल निर्माण में लगे लघु उद्योग एकक ही हैं अपितु लघु स्तर के व्यावसायिक एकक भी सम्मिलित किये जाने चाहियें· जैसा कि विगत वर्ष जापान को गये भारतीय शिष्टमंडल ने सुझाव दिया था । ऐसा अनुभव किया गया था कि मशीनों तथा उपकरणों पर किए गए विनियोजन की सीमा को $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये से बढ़ाकर लघु उद्योग एककों की परिभाषा को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं । मंडल इस पक्ष में नहीं था कि स्थापित मशीनों के मूल्याकन में मूल्य ह्रास को भी गिना जाए क्योंकि ऐसा करने में कई कठिनाइयाँ हैं । तथापि ऐसा अनुभव किया गया कि विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद आधार पर मशीनों की उपलब्धि के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इस प्रश्न का अध्ययन एक उपयुक्त रूप से गठित दल द्वारा किया जाना चाहिए ।

3. ऋणीय आवश्यकताएं : राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा लघु उद्योग एककों को दिए गए अल्पावधि के ऋण पर संतोष व्यक्त किया गया और ऐसा अनुभव किया गया कि इस प्रयोजन के लिये किसी अन्य शीर्षस्थ संस्था का गठन किया जाये । दीर्घावधि के ऋण तथा कम्पनियों की पूंजी के लिये दिए गए ऋण में हुई प्रगति को एक वर्ष तक और देखा जाए । मंडल ने सिफारिश कि लघु उद्योग एककों को लम्बी अवधि तथा कम्पनी की पूंजी के लिए दिए जाने वाले ऋण के बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया विद्यमान वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों को ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

2128. श्री दे० अमात : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था, और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है, उस पर कितना व्यय होगा और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार का सुझाव नोट कर लिया गया है परन्तु ऐसे विस्तार की कोई विशेष योजना अभी तैयार नहीं की गई है ।

मार्टन लाइट रेलवे के प्रतिनिधि-मण्डल की रेलवे मंत्री से भेंट

2129. श्री केदार नाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्टन लाइट रेलवे के प्रबन्धकों का कोई प्रतिनिधि-मण्डल 6 नवम्बर, 1970 को उनसे मिला था;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिनिधि-मण्डल के साथ किन विशिष्ट मामलों पर बातचीत हुई और क्या उनमें एस० एस० लाइट रेलवे के बन्द किए जाने का मामला भी था; और

(ग) उक्त बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेल मंत्री ने 6. 11. 70 को लाइट रेलों के मार्टिन बर्न ग्रुप के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की ।

(ख) इन रेलों पर निचले दर्जे के यात्रियों के किरायों में वृद्धि करने और एस० एस० लाइट रेलवे को बन्द किये जाने से उत्पन्न समस्याओं—विशेष रूप से इस रेलवे के कर्मचारियों के अन्तिम बकायों का भुगतान करने के सम्बन्ध में मार्टिन बर्न ग्रुप के रेलों के प्रबन्धकों की ओर से रखे गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए यह बैठक बुलायी गयी थी ।

(ग) किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है । कर्मचारियों को बकाया रकमों का भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे भविष्य निधि के बकायों का तत्काल भुगतान की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं जिसके लिए वे सहारनपुर के अपने बैंकों को धन भेज रहे हैं; लेकिन कर्मचारी प्रबन्धकों को सहारनपुर के कार्यालय में रखे रिकार्डों को देखने नहीं दे रहे हैं जिसके कारण भुगतान करने में बाधा हो रही है । यह भी कहा गया है कि वे अन्य अंतिम बकायों जैसे छटनी मुआवजा, उपदान आदि के भुगतान की व्यवस्था भी कर सकते हैं लेकिन यह केवल उसी स्थिति में जब कम्पनी का स्वेच्छापूर्वक समापन हो जाये और परिसम्पत्तियाँ बिक्री कर दी जायें क्योंकि इन भुगतानों की व्यवस्था करने के लिए उनके पास कोई समापक परिसंपत्ति नहीं है । उन्होंने यह आशा प्रकट की कि परिसंपत्तियों की बिक्री से वे काफी धन वसूल करेंगे ताकि वे अपने सभी बकायों का भुगतान कर सकें जिसमें कर्मचारियों को देय रकमें भी शामिल हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा पदों का भरा जाना

2130. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखापालों, वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखा निरीक्षकों (यात्रा) और वरिष्ठ/कनिष्ठ भण्डार लेखा निरीक्षकों के पदों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रक्षित हैं;

(ग) रक्षित पदों पर कितने अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा इस समय कितने स्थान खाली पड़े हैं या उन पर गैर अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारी काम कर रहे हैं, और

(घ) रक्षित पदों को इन जातियों के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को पदोन्नति देकर न भरने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कश्मीर के जनमत संग्रह मोर्चा द्वारा निर्वाचन प्रतीक की माँग

2131. श्री बलराज मधोक : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कश्मीर के जनमत मोर्चा ने निर्वाचन प्रतीक की माँग की है,

(ख) क्या इस संगठन का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत से अलग करने का है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या ऐसे संगठन को निर्वाचनों में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हाँ।

(ख) जम्मू और कश्मीर के जनमत मोर्चा के नेता समय-समय पर इस आशय का वक्तव्य देते रहे हैं कि भारत के साथ कश्मीर के विलयन के सम्बन्ध में निश्चय अभी होना है।

(ग) जब तक कि यह संगठन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लघंन नहीं करता, तब तक इसे निर्वाचनों में भाग लेने से रोकने का कोई कारण नहीं है।

उग्ना हाल्ट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे)

2132. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सकरी तथा पण्डौल रेलवे स्टेशन के बीच उग्ना हाल्ट के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रगति नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). मूलत: यह विनिश्चय किया गया था कि सकरी और पंडौल स्टेशनों के बीच कि० मी० 3/10 पर एक गाड़ी हाल्ट बनाया जाय। जब किलोमीटर 3/10 पर गाड़ी हाल्ट बनाने का प्रबन्ध कर लिया गया तो स्थानीय जनता ने उसका विरोध करके उसे रोक दिया और कहा कि गाड़ी हाल्ट किलोमीटर 4/7 पर बनाया जाना चाहिए जहाँ कि "उग्ना मन्दिर" स्थित है और जिसके लिये वे श्रमदान से मिट्टी का काम करने को तैयार हैं।

इस विषय पर पुनर्विचार किया गया है और पूर्वोत्तर रेल प्रशासन को इस बात के आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि किलोमीटर 4/7 पर गाड़ी हाल्ट की व्यवस्था की जाये।

संसद भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय से ताज तथा राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण के लिए कोटा

2133. श्री शिव चन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद्-भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय से संसद्-सदस्यों के लिए ताज एक्सप्रेस

तथा राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित रखने के लिए सीटों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार संसद-भवन स्थित रेलवे बुकिंग कार्यालय को इसके लिए कुछ कोटा नियत करने की योजना बना रही है; और यदि हाँ, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संसद् भवन स्थित रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय को नयी दिल्ली-आगरा छावनी ताज एक्सप्रेस के तीसरे दर्जे में आरक्षण के लिए चार सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। नयी दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रैस में आरक्षण के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). ताज एक्सप्रेस के वातानुकूल और पहले दर्जे में स्थान के आरक्षण के लिए संसद् सदस्यों से प्राप्त माँगें अधिक नहीं होती हैं और आरक्षण कार्यालय में उपलब्ध सामान्य कोटे में से संसद् सदस्यों की जरूरत पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। जहाँ तक राजधानी एक्सप्रेस का सम्बन्ध है, गाड़ी की अन्तर-नगरीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए किसी हित विशेष के लिए स्थान के आरक्षण का कोटा अलग से नहीं रखा गया है। अत: राजधानी एक्सप्रेस के सम्पूर्ण स्थान के आरक्षण का काम आरक्षण कार्यालयों को सौंपा गया है और संसद् सदस्यों की आवश्यकता सामान्यत: पूरी की जा रही है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

2134. श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू करने के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). सीमित साधनों तथा समाज कल्याण क्षेत्र में अन्य अधिक जोरदार आवश्यकताओं को अग्रताएं दिए जाने के कारण चतुर्थ योजना काल में केन्द्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू करने के लिए किसी धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

बहार और उत्तर प्रदेश विधान परिषदों का उत्सादन

2135. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी (शासक) सदस्य प्रधान मंत्री से हाल ही में मिले थे और उनसे बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान परिषदें समाप्त करने सम्बन्धी विधेयकों के पुर: स्थापित करने के खिलाफ प्रार्थना की थी;

(ख) बिहार में विधान परिषद् समाप्त करने के सम्बन्ध में विधान सभा का संकल्प और मुख्य मंत्री की प्रार्थना केन्द्रीय सरकार को कब प्राप्त हुई थी और सरकार इस सम्बन्ध में उसी तत्परता से कार्रवाही क्यों नहीं कर रही है, जिस तत्परता से पश्चिमी बंगाल के मामले में कार्रवाही की गई थी :

(ग) क्या ऐसा ही प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भी पारित किया था; और

(घ) सरकार का इन संकल्पों को कब क्रियान्वित करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) ऐसा कोई भी निवेदन किसी भी औपचारिक अधिवेशन में प्रधान मंत्री के समक्ष नहीं रखा गया है ।

(ख) बिहार सरकार से एक पत्र, जिसके साथ बिहार विधान सभा द्वारा उस राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन के लिए 3 अप्रैल, 1970 को पारित किए गए संकल्प की प्रति भेजी गई थी, विधि मंत्रालय को अप्रैल, 1970 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ था । राज्य सरकार से दूसरा पत्र अगस्त, 1970 में प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई थी;

> "1-7-1970 को, श्री विद्याकर कवि, विधान सभा सदस्य ने बिहार विधान सभा में निम्नलिखित गैर-सरकारी संकल्प पुर:स्थापित किया था :—
>
> 'यह विधान सभा यह संकल्प पारित करती है कि इस सदन द्वारा बिहार विधान परिषद् के उत्सादन के लिए 3-4-70 को पारित किया गया संकल्प 7 मई, 1974 से पहले लागू न किया जाए ।'
>
> यह संकल्प विधान सभा के उपाध्यक्ष द्वारा अगले सत्र तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया था ।"

इसके बाद बिहार के मुख्य मंत्री का एक पत्र अक्तूबर, 1970 में प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई थी :—

> "1-7-1970 को, विधान सभा के सदस्य श्री विद्याकर कवि ने सदन में इस आशय का गैर-सरकारी संकल्प पेश किया था कि तारीख 3 अप्रैल, 1970 का सदन का उपर्युक्त संकल्प 7 मई, 1974 से पहले लागू नहीं किया जाना चाहिए । इस गैर-सरकारी संकल्प पर विचार-विमर्श समय की कमी के कारण पूरा नहीं हो सका था और पीठासीन अधिकारी ने इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया था । इस प्रकार यह मामला आगे विचार-विमर्श के लिए सदन के समक्ष लंबित है ।"

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार विधान परिषद् के उत्सादन के लिए विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) ऐसे मामलों में अपनायी जाने वाली प्रायिक प्रक्रिया के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान

परिषद् के उत्सादन के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की प्रति अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के संबंध में दिए गए उत्तरों से स्थिति का स्पष्टीकरण हो गया है।

विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा हरिजनों का धर्म परिवर्तन

2136. श्री देवराव पाटिल : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा, राज्यवार कितने हरिजनों का धर्म परिवर्तित किया गया।

(ख) क्या ऐसे धर्म परिवर्तन के मामलों में सरकार की अनुमति लिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) और (ग). इस विषय पर कोई केन्द्रीय कानून बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों को अलबत्ता इस मामले में लिखा गया है। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

चौथी योजना में मद्य-निषेध कार्यक्रम

2137. श्री देवराव पाटिल : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्य-निषेध कार्यक्रम के लिये कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). मद्य-निषेध राज्य विषय होने के कारण उसे लागू करने के लिए राज्यों ने व्यवस्था करनी है। शैक्षिक प्रचार के लिए योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उपद्रवी तत्व

2138. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को कारखाने में विद्यमान अनुशासनहीन व्यक्तियों पर निगाह रखने तथा उनके साथ दृढ़ता से व्यवहार करने तथा जिन्होंने बार-बार हानिकारक हड़तालों द्वारा कारखाने तथा देश को हानि पहुँचाई है उनके साथ किसी प्रकार की रियायत न बरतने के बारे में आदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने से उपद्रवी तत्वों को निकालने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह मामला कारखाने के प्रबन्धकों का है, जिनको कारखाने को ठीक ढंग से चलाना होता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मालगाड़ियों के गार्डों को ड्राइ सेल इलैक्ट्रिक टार्चों का सप्लाई न किया जाना

2139. श्री इसहाक सम्भली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालगाड़ियों पर नियुक्त गार्डों को ड्राई सेल इलेक्ट्रिक टार्चें सप्लाई की जाती थीं जिनकी सप्लाई लगभग दो वर्ष से रेलवे बोर्ड द्वारा बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या हैंड सिग्नल लैंपों और हरीकेन लालटेनों को खुला प्रकाश (नेकड लाइट) घोषित कर दिया गया है जिन्हें खतरनाक, ज्वलनशील पदार्थों से भरे माल डिब्बों के पास ले जाना मना है और क्या यह भी सच है कि माल डिब्बों की जाँच करने के लिये गार्डों और ट्रेन-क्लर्कों द्वारा सरकारी कार्य के दौरान इनका प्रयोग किया जा रहा है ।

(ग) क्या आल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के महासचिव द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी मुख्य निरीक्षक, भारत सरकार नागपुर ने रेलवे बोर्ड से माँग की है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी टार्चों की सप्लाई सुनिश्चित की जाय;

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय रेलवे में गार्डों और ट्रेन क्लर्कों द्वारा हैंड सिग्नल लैम्प और हरीकेन लालटेनों के प्रयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) गार्डों और ट्रेन क्लर्कों द्वारा हैंड सिग्नल लैम्पों अथवा हरीकेन लालटेनों की सहायता से जिनका खुला प्रकाश होता है, उन टेंकों की जांच करते समय जिनसे पेट्रोल रिस रहा हो, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). "रेड टेरिफ नं० 18 के उपबन्धों के अनुसार विस्फोटक और ज्वलनशील माल को लादने, उतारने और सम्हालने से सम्बन्धित सभी काम केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किये जाने हैं, सिवाय उन परेषणों के जिन्हें सवारी, मिलीजुली या पार्सल गाड़ियों में और यानान्तरण या सड़कयान गाड़ियों से भेजा जाना हो । ऐसे परेषणों को किसी भी समय सम्हाला जा सकता है, बशर्ते दुर्घटना निवारण के लिए उचित एहतियात बरती गई

हो। रेड टेरिफ के उपबन्धों में किसी भी ऐसे वाहन के पास, जिसमें विस्फोटक या ज्वलनशील माल भरा हो या किसी ऐसे स्थान के पास जहाँ ऐसा माल जमा हो, या लादा, उतारा या सम्हाला जा रहा हो, धूम्रपान करने, किसी प्रकार की आग, नंगा प्रकाश (जिसमें हथ सिगनल लैम्प, हरीकेन लालटेन शामिल हैं) या ज्वलनशील प्रकृति की अन्य वस्तुएं ले जाने या रखने का निषेध है।

तदनुसार, रेलों को निदेश दिया गया है कि वे सवारी, मिली-जुली तथा पार्सल गाड़ियों के ऐसे गार्डों और ऐसे यानान्तरण यान क्लर्कों को जिन्हें, रात में, ऐसा माल सम्हालना पड़ता हो, को ड्राई सेल टार्च दिये जायँ। जहाँ तक शेष कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यार्ड कर्मचारियों तथा अन्य कोटियों के सभी कर्मचारियों को ऐसे माल (जैसे कि रिसता हुआ टंकी माल डिब्बा) के निकट नंगा प्रकाश लाने का निषेध है और रेलों को निदेश दिये गये हैं कि वे इस बात का इत्मीनान करें कि रेड टेरिफ के उपबन्धों के अनुसार, केवल दिन में ही, ऐसा माल सम्हाला जाता है और इसलिए किसी अन्य कोटि के कर्मचारियों को ड्राई सेल टार्च देने का प्रश्न नहीं उठता।

महामंत्री, अखिल भारतीय गार्ड काउंसिल, गाजियाबाद से, विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक की मार्फत, उन्हें टार्च सप्लाई करने के सम्बन्ध में उस समय एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जब इस प्रश्न पर पहले से विचार किया जा रहा था।

राज्यों में स्कूटर व्यापारी

2140. श्री रणजीत सिंह : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र के शहरों/कस्बों, में दो पहियों वाले लम्ब्रेटा और वैस्पा को बेचने वाले स्वीकृत/प्राधिकृत व्यापारियों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) 15 अक्तूबर, 1970 तक प्रत्येक व्यापारी ने किस रजिस्ट्रेशन संख्या तथा तारीख तक की बुकिंगों के विरुद्ध इन स्कूटरों को सप्लाई किया है;

(ग) 15 अक्तूबर, 1970 तक कुल कितने आवेदकों ने डाकखानों में अपेक्षित प्रतिभूति जमा कराई तथा उपरोक्त राज्यों के प्रत्येक व्यापारी द्वारा उन्हें स्कूटर सप्लाई नहीं किये गये, और

(घ) उपरोक्त राज्यों के व्यापारियों को प्रति मास लम्ब्रेटा और वैस्पा के निर्माता कितने स्कूटर सप्लाई करते हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). प्रश्न के भाग (क) से (घ) लम्ब्रेटा सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी संलग्न अनुबन्ध (1) में दी गई है। इसी प्रकार की वैस्पा सम्बन्धी प्रश्न (क), (ग) तथा (घ) भाग में अपेक्षित जानकारी अनुबन्ध (2) में दी गई है। भाग (ख) की बैस्पा स्कूटरों से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4372/70**]।

अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

2141. श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन के बारे में उन्हें पहली सितम्बर, 1970 को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह विनिश्चय किया गया है कि इस समय पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को जो क्वार्टर अलाट हैं उन्हें फिर से अलाट करने के लिए पश्चिम रेलवे के नियंत्रण में रखा जायेगा ।

पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य यातायात लेखा कार्यालय में सुरक्षित कोटे में क्लर्क ग्रेड 1 में पदोन्नति

2142. श्री क० अनिरुद्धन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय में 20 प्रतिशत सुरक्षित कोटे में क्लर्क्स, ग्रेड 1 की पदोन्नति के बारे में रेलवे मंत्रालय को 26/29 अगस्त, 1968 को एक अभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई स्मृतिपत्र दिये जाने के उपरान्त भी मंत्रालय ने दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस देरी के क्या कारण हैं तथा मामले को अन्तिम रूप से कब तक निपटाया जायगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). इस मामले में विस्तार से विचार किया गया है और यह पाया गया कि अभ्यावेदनकर्ता 1-4-1956 से, बड़े ग्रेड के पदों पर पदोन्नति पाने और बकाया का भुगतान लेने के पात्र नहीं हैं । रेल प्रशासन को इस सम्बन्ध में 17-11-1970 को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ० टी० ए०) पश्चिम रेलवे, दिल्ली, के कार्यालय में पदों का भरा जाना

2143. श्री ई० के० नायनार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ० टी० ए०), पश्चिम रेलवे, के

कार्यालय में 43 पदों के बनाये जाने के सम्बन्ध में उन्हें 25 अगस्त, 1970 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के कहने पर इन पदों की संख्या 43 से 33 कर दी गई थी तथा अब इन 33 पदों में से बिना कोई औचित्य बताये केवल 17 पदों की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए 16 पद और बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). पश्चिम रेल प्रशासन से प्राप्त प्रारम्भिक प्रस्ताव इतर यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में केवल 33 पद बनाने का था और रेलवे ने मूल रूप से 43 पदों को घटाकर रेलवे बोर्ड के कहने पर 33 नहीं किया था । सब पहलुओं और प्रशासनिक खर्च में किफायत बरतने के उद्देश्य से कार्यालयों में पदों के निर्माण पर लगे प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुए केवल 17 पदों के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी ।

वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में निर्णय

2144. श्री उमानाथ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपमंत्री महोदय ने दिनांक 6 मार्च, 1970 के अपने पत्र संख्या इं० (डब्ल्यू) 68—आई० जी०—3—18 में यह कहा था कि वर्दी सम्बन्धी समिति ने 4 मार्च, 1970 को अपना प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो 6 माह बीत जाने पर भी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्दी-समिति की रिपोर्ट की विभिन्न स्तरों पर विस्तृत जाँच अपेक्षित है । कोई अन्तिम विनिश्चय करने से पहले श्रम-संगठनों का भी परामर्श लेना पड़ेगा ।

More Bogies for Sub-Urbau Trains in Bombay

2145. SHRI BASWANT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ordinarily 12 to 18 bogies are attached to Passenger, Express and Mail trains whereas a suburban train in Bombay carries 9 bogies;

(b) the difficulty in the way of increasing the number of bogies in the suburban trains in Bombay;

(c) the percentage of additionl passengers likely to be carried if a 12 bogey suburban train is introduced; and

(d) whether any proposal to reduce overcrowding in the sub-urban trains is under the consideration of Government; and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Yes, while in the case of non-suburban main line broad gauge trains the load has been attained upto a maximum of 18 bogies under diesel/electric traction the suburban trains run with a maximum composition of 9 EMU coaches.

(b) Lack of requisite facilities at terminals and car sheds etc and platforms to handle longer trains.

(c) About 33%.

(d) Yes, measures to replace the exisiting coaches by more commodius coaches and to augment the existing fleet of EMU coaches for introduction of additional trains and/or conversion of 6-8 bogie into 9-bogie rakes, are in progress. Creation of some additional sectional and terminal facilities is also envisaged in the 4th Plan. Even these measures may not reduce overcrowding to any significant extent.

Steps taken to reduce Over-Crowding in Bombay Sub-urban Trains.

2146. SHRI BASWANT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he has himself seen the traffic position of the Railway services operating in and around Bombay, during March-April, 1970;

(b) whether any steps have so far been taken to reduce over-crowding in the suburban trains in Bombay; and

(c) whether any facilities have been provided in the suburban trains to Class III passengers, and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Yes.

(b) Four trains on the Western Railway and 13 trains on the Central Railway have been introduced since 1st April, 1970. In addition, on Central Railway six rakes of 6 coaches each have been augmented by 3 more coaches each, and on the South East suburban section, one conventional rake has been replaced by Electric Multiple Unit rake thus providing 50% more accommodation on these rakes.

(c) Most of the accommodation so provided is for IIIrd class passengers.

गैर-मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के लिए बातचीत करने की सुविधा

2147. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री 1 सितम्बर, 1970 के भारतीय रेलवे में जोनवार हड़ताल के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग द्वारा भविष्य में हड़तालों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) रेलवे विभाग द्वारा जिन संगठनों/कार्मिक संघों को बातचीत करने की सुविधा प्रदान नहीं की गई है उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या स्थापित व्यवस्था है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सभी सम्भव उपाय बरते गए हैं, अर्थात् (i) पारस्परिक

विचार-विमर्श के द्वारा सभी विवाद और शिकायतों का निराकरण करने के लिए रेल कर्मचारियों को उपलब्ध मंच, स्थायी वार्तातंत्र और अपने विवाद दूर करने के लिए रेल कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध, संयुक्त परामर्शतंत्र प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं, (ii) यह सुनिश्चित करने के विचार से कि कर्मचारियों की सभी यथार्थ शिकायतें शीघ्रता से दूर कर दी जाती हैं, सभी स्तरों पर कार्मिक संघों को भी बढ़ावा दिया गया है, और (iii) श्रम संगठनों के माध्यम से कर्मचारियों को स्पष्ट बता दिया गया है कि अनाधिकृत हड़तालों के मामलों से दृढ़तापूर्वक निबटा जाएगा।

(ख) सरकार यह चाहती है कि कर्मचारियों को मान्यता-प्राप्त यूनियनों तथा फेडरेशनों के माध्यम से अपनी शिकायतें दूर करवानी चाहिएं।

रेलवे कर्मचारी संगठनों द्वारा संघों को श्रेणीवार मान्यता देने की माँग

2148. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री रेलवे कर्मचारी संगठनों द्वारा संघों को श्रेणीवार मान्यता न देने की माँग के बारे में 31 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणीवार संघों की सफलतापूर्वक हड़तालों को देखते हुए सरकार का इस बात पर सन्तुष्ट होने का क्या आधार है कि मान्यता प्राप्त संघों को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व प्राप्त हो;

(ख) रेलवे कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त संघों की वास्तविक सदस्य संख्या की किस आधार पर पड़ताल की जाती है और इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि उन संघों को कर्मचारियों से भी मान्यता प्राप्त है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त संघों के दबाव में आकर सरकार श्रेणीवार संघों से अच्छे सम्बन्ध नहीं रखती जिसके परिणामस्वरूप अनेक हड़तालें होती हैं और राष्ट्र को हानि उठानी पड़ती है; और

(घ) कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत रेलवे कर्मचारियों के श्रेणीवार संघ का ब्यौरा क्या है और उसके पदाधिकारियों के नाम और उनकी संख्या क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि यूनियन की कार्यकारी समिति के सदस्य सभी कोटियों के कर्मचारियों से लिए जाते हैं और इसलिए कोटिवार यूनियनों द्वारा आयोजित हड़तालों का कोई औचित्य नहीं है। फेडरेशनों की इकाइयों अर्थात् क्षेत्रीय यूनियनों की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में सामान्यत: ट्रेड यूनियनों के सम्बन्धित रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पुष्टि कर ली जाती है। यदि प्रशासन आवश्यक समझे तो वह यूनियन की किताबों से सदस्य संख्या सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी को भी तैनात कर सकता है।

(ग) सरकारी नीति के रूप में रेलों में कोटिवार यूनियनों/संघों को मान्यता नहीं दी जाती।

(घ) सरकार के पास बिलकुल सही सूचना उपलब्ध नहीं है, फिर भी पंजीकृत कोटिवार यूनियनों की उपलब्ध सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—4373/70]**

रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग निगम के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास

2149. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम के दंगे से प्रभावित मुसलमान कर्मचारियों को बसा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन कर्मचारियों को बसाने में देरी किये जाने के क्या कारण हैं; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त निगम के अधिकारियों ने मुसलमान कर्मचारियों की समिति से परामर्श किये बिना जनसंघ के लोगों की सलाह से उन्हें बसाने की समस्या को सुलझाने का हाल ही में प्रयत्न किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) होटल में ठहराए हुए प्रभावित मुस्लिम कर्मचारियों में से कुछ को कम्पनी के क्वार्टरों में बसा दिया गया है ।

(ख) कर्मचारियों को कम्पनी के क्वार्टरों में बसाने का कार्य एक नाजुक सामाजिक मामला है, जिसमें सभी सम्बन्धितों के ऐच्छिक सहयोग की आवश्यकता है और जिसे सार्थक बनाने में समय लगना अनिवार्य है । इस दिशा में वास्तविक रूप से प्रयत्न किये जा रहे हैं और अब तक 61 कर्मचारियों ने कम्पनी की बस्ती में क्वार्टर ले लिए हैं । आशा है कि अन्य लोग भी धीरे-धीरे क्वार्टर ले लेंगे ।

(ग) जी, नहीं । मुस्लिम कर्मचारियों, यूनियन के नेताओं तथा समुदाय के सामाजिक नेताओं से परामर्श किया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन को आबंटित किये जाने वाले वैस्पा/लम्ब्रेटा स्कूटरों का मासिक कोटा

2150. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन को अपने अन्तर्गत कार्य कर रहे अधिकारियों को सरकारी कोटे से स्कूटरों का आबंटन करने के लिए प्रति मास आबंटित किये जाने वाले वैस्पा/लम्ब्रेटा स्कूटरों का कोटा क्या है;

(ख) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत काम कर रहे अधिकारियों को स्कूटरों का आबंटन करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जा रही है;

(ग) उक्त निदेशालय में काम कर रहे अधिकारियों के लिए कितना मासिक कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) गत दो वर्षों में निदेशालय के अधिकारियों को सरकारी कोटे में से कितने स्कूटरों का आबंटन किया गया; और

(ङ) रोजगार प्रशिक्षण निदेशालय के अधिकारियों को स्कूटरों का आबंटन करने के सम्बन्ध में 15 अक्तूबर, 1970 तक कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उदार आयात और लाइसेंस नीतियाँ

2151. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात तथा लाइसेंस देने की नीति में उदारता बरत कर औद्योगिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हाल ही में किसी कार्यवाही पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को ऐसे मामलों में जहाँ आयात की अनुमति देने का पर्याप्त कारण व औचित्य हो, विगत खपत से भी अधिक आयात करने की अनुमति देने में आयात नीति को उदारतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है । देश में इस्पात की कमी के कारण इंजीनियरी उद्योग कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा था, अत: सार्वजनिक सूचना संख्या 140 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनाक 11 दिसम्बर, 1970 तथा अग्रेतर संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 161-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनाँक 3 नवम्बर, 1970 के अनुसार इस्पात के बारे में आयात नीति उदार बना दी गई है ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को, जिनकी स्थिर परिसम्पत्तियाँ 1 करोड़ रु० तक है और जो बृहत्तर औद्योगिक गृहों, विदेशी कम्पनियों तथा प्रमुख उपक्रमों से सम्बन्धित नहीं हैं, कुछ शर्तों के पूरा करने के अधीन, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के लाइसेंस उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है । लाइसेंसकृत/पंजीकृत औद्योगिक उपक्रमों को भी अतिरिक्त 1 करोड़ की निर्धारित परिसम्पत्तियों तक, बशर्ते की उनकी सीमा 5 करोड़ रु० से अधिक न हो, बिना लाइसेंस प्राप्त किये ही पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दे दी गई है । उन्हें कुछ शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन अपनी लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता के अलावा 25 प्रतिशत तक उत्पादन में विविधता लाने अथवा वृद्धि करने की स्वतंत्रता भी दे दी गई है । प्रमुख उद्योगों के बारे में एक निश्चित लाइसेंस नीति को अपनाया गया है तथा जिनके लिए आवश्यक चीजों की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित किया जायेगा । मध्यम क्षेत्र को मण्डी के रुख के अनुसार उन्नति करने की अनुमति दे दी गई है । प्रतिबन्धित सूची को रद्द कर दिया गया है । ऐसे 123 उद्योगों की सूची को जिनमें अग्रेतर विनियोजन की गुंजाइश है, घोषित कर दिया गया है । ऐसे क्षेत्रों का पता

लगाया जा रहा है जहाँ उत्पादन कम हो रहा है तथा जिनके आत्मनिर्भर बनने में थोड़ा समय लगेगा, उन्हें सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ किया जा सके। ऐसी आशा की जाती है कि देश के औद्योगिक प्रसार की कठिनाइयों को इन उपायों से दूर कर दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र में नाइलोन के कपड़े तथा इस्पात उत्पादों का निर्माण

2152. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों में नाइलोन के कपड़ों और कुछ इस्पात उत्पादों का निर्माण किया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). इस मंत्रालय द्वारा नाइलोन के कपड़ों के बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एकक स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस्पात उत्पादों के बारे में भारी पम्पों तथा कम्प्रेशरों और अधिक शक्ति वाले गैस सिलन्डरों के निर्माणार्थ मैसर्स भारत पम्पस् तथा कम्प्रेशर्स लि० नैनी के हिस्से के रूप में सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया गया है। सरकारी क्षेत्र में जोड़रहित इस्पात ट्यूबों के निर्माणार्थ एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

समाज कल्याण निदेशालय के सुपरिन्टेंडेंटों के वेतनमानों में असमानता

2153. श्री सीता राम केसरी : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत जिन संस्थानों में निवासियों की संख्या 200 से अधिक है उनमें 250/– रुपयों से 470/– रुपयों के वेतनमानों में सुपरिन्टेंडेंट रखे गए हैं जबकि जिन संस्थानों में निवासियों की संख्या कम है उनमें 350/– रुपयों से 570/– रुपयों के वेतनमान में राजपत्रित सुपरिन्टेंडेंट रखे गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न संस्थानों के ढाँचे में इस प्रकार के अन्तर के क्या कारण हैं तथा इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हाँ। केवल एक ही ऐसी संस्था है, जिसमें 200 से अधिक निवासी हैं और जहाँ 250-470 रुपये वेतनमान में अधीक्षक है।

(ख) कुल वेतनमानों को, जिनमें इस पद का वेतनमान भी शामिल है, युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के सुरक्षा कर्मचारियों को पुन: काम पर लेना

2154. श्री के० रमानी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों के साथ समझौता हो जाने के उपरांत भी रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम के निलम्बित किये गए सुरक्षा कर्मचारियों को सेवा में पुन: वापस नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कर्मचारियों के निलम्बन को समाप्त करने तथा उन्हें काम पर लेने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । निलम्बन-आदेश 25-4-70 को रद्द कर दिये गये थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

यात्रा के लिए वारन्ट प्राप्त सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों को अमृतसर तथा चण्डीगढ़ स्टेशनों पर स्थान सुरक्षित कराने के लिए पृथक-पृथक खिड़कियाँ

2155. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्रा के लिए वारन्ट प्राप्त सैनिकों तथा अन्य ऐसे सभी व्यक्तियों की सेवा करने के लिए अमृतसर तथा चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर उचित व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सामान्य यात्रियों तथा यात्रा के लिए वारन्ट प्राप्त यात्रियों के लिए केवल एक ही खिड़की होने के कारण अन्य यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है;

(ग) क्या वारन्ट प्राप्त व्यक्ति को टिकट देने में लगभग आधा घंटा लगता है अत: ऐसे अधिक यात्री होने पर सामान्य जनता को बड़ी कठिनाई होती है;

(घ) क्या सरकार को पंजाब के एक विधान-सभा सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). अमृतसर और चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर सैनिक वारन्टों के विनिमय के लिए अलग टिकट खिड़कियों की व्यवस्था नहीं की गयी है । अमृतसर स्टेशन पर सैनिक वारन्टों का विनिमय दूसरे दर्जे की टिकट खिड़की से किया जाता है जहाँ कार्य-भार कम है । यहाँ वारन्टधारियों को कोई असुविधा नहीं होती । चण्डीगढ़ में एक ही खिड़की से वारन्टों का विनिमय भी किया जाता है और जनता को टिकट भी दिये जाते हैं । चण्डीगढ़ स्टेशन पर एक और टिकट खिड़की की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं। एक सैनिक वारन्ट के बदले रेल यात्रा टिकट देने में लगभग 5 से 8 मिनट तक लगते हैं।

(घ) और (ङ). चण्डीगढ़ स्टेशन पर टिकट खरीदने में यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में श्री सत्यपाल डांग, सदस्य विधान सभा पंजाब, की ओर से एक शिकायत मिली थी। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, चण्डीगढ़ स्टेशन पर एक और टिकट खिड़की बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

होस्पेट स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के एक ड्राइवर को उपदान की राशि की अदायगी

2156. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 अक्तूबर, 1970 के 'ब्लिट्ज' में होस्पेट के एक ड्राइवर स्वर्गीय श्री एस० वेंकेटशुरुलू के उपदान की राशि, जिसे रोक लिया गया है, के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है तथा दावेदार को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हाँ। रोकी गयी राशि को सरकारी बकायों में समायोजित किया जाना है और विधवा को और कुछ देय नहीं है।

मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन का सुधार

2157. श्री सिद्दय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन को सुधारने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस काम के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) वर्तमान यातायात को ढोने के लिए रेल-पथ का वर्तमान मानक बिल्कुल पर्याप्त समझा जाता है।

चामराजनगर-सत्यमंगला रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

2158. श्री सिद्दय्या : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चामराजनगर-सत्यमंगला रेलवे लाइन के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षण का पुनः अनुमान लगाया गया है जैसा कि मंत्री महोदय ने लोक-सभा में विश्वास दिलाया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). चामराजनगर-सत्यमंगलम रेल सम्पर्क की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के पुनर्मूल्यांकन का कार्य अब पूरा हो गया है और इस समय अद्यतन रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आशा है कि दक्षिण रेलवे द्वारा ये रिपोर्टें रेलवे बोर्ड को शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जायेंगी।

रेलवे द्वारा नियुक्त अंश-कालिक दन्त चिकित्सक

2159. श्री अगड़ी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिवीज़नल और मुख्यालय रेलवे अस्पतालों में कुछ अंशकालिक दन्त-चिकित्सक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है, उनके कार्य-घण्टे क्या हैं और उनके लिए निश्चित वेतन और मँहगाई भत्ते सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वेतन वृद्धि की बराबर माँग की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अंशकालिक दंत-चिकित्सकों के काम करने के स्थान, उनकी ड्यूटी के घंटे और उनमें से प्रत्येक को दिये जाने वाले मानदेय की रकम बतायी गयी है। अंशकालिक दंत-चिकित्सक मंहगाई भत्ते पाने के पात्र नहीं हैं जो कि केवल नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4374/70]**

(ग) और (घ). जीवन निर्वाह के खर्च में वृद्धि और अन्य तथ्यों को देखते हुए, फरवरी, 1970 में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या अंशकालिक दंत-चिकित्सकों को दिये जा रहे प्रति माह 150 रु० के मानदेय की सीमा बढ़ायी जाये। 26-2-70 से मानदेय की सीमा बढ़ाकर प्रतिमास 200 रु० कर दी गयी है। रेलों को भी यह सलाह दी गयी है कि वे, जहाँ कहीं औचित्य हो, अंशकालिक दंत-चिकित्सकों को दिये जाने वाले मानदेय की समीक्षा कर उसे संशोधित सीमा के भीतर फिर से निर्धारित करें।

पटेल नगर तथा दिल्ली छावनी के स्टेशनों के बीच की रेलवे भूमि पर झुग्गियाँ

2160. श्री बलराज मधोक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल नगर तथा दिल्ली छावनी के स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोनों ओर की रेलवे भूमि का एक बड़ा क्षेत्र उपवशियों ने अपने कब्जे में ले लिया है तथा उस पर अपनी झुग्गियाँ बना ली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को स्थायी तौर पर बसाने के लिये, उस भूमि को छोड़ने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस भूमि पर कब्जा करने का प्रोत्साहन क्यों देती रही तथा जिन्होंने झुग्गियाँ बना ली हैं उन्हें न्यूनतम नागरिक सुविधाएं प्राप्त हों इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

नई दिल्ली के लिंक रोड लैवल क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल का निर्माण

2161. बलराज मधोक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के लिंक रोड लैवल क्रासिंग पर जंगपुरा तथा डिफेंस कालोनी के बीच एक ऊपरि पुल बनाने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक इस परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ।

(ख) यह काम लगभग 1971 के मध्य तक शुरू होने की संभावना है और उसके बाद उसके पूरा होने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे।

पठानकोट स्टेशन (पंजाब) का पूछताछ कार्यालय

2162. श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या कोई पूछताछ कार्यालय वहाँ चौबीस घन्टे खुला रहता है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूछताछ कार्यालय को हर समय खुला रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) एक दिन में, विभिन्न दिशाओं से/को 36 सवारी गाड़ियाँ पठानकोट पहुँचती/से चलती हैं।

(ख) और (ग). पठानकोट का आरक्षण एवं पूछताछ कार्यालय सुबह 9·00 बजे से 17 00 बजे तक खुला रहता है। पूछताछ कार्यालय के काम के घन्टे बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन

2163. श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए नया विधान लाने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो कब संशोधन विधेयक संसद के समक्ष पेश किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968 को, जो अभी लोक सभा के समक्ष लम्बित है, वापस लेने के लिए लोक सभा द्वारा इजाजत दिये जाने के पश्चात् ।

गन्ने के भाड़े में वृद्धि

2164. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले बजट में श्रेणी 32·5 के अन्तर्गत पुनर्वर्गीकरण के कारण गन्ने के भाड़े में भारी वृद्धि हुई है और सरकार को अभ्यावेदन भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस भार को कम करने के लिए, जिसका गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 1-4-1970 से गन्ने का वर्गीकरण 35–ए से घटाकर 32.5 कर दिया गया है । लेकिन चीनी मिलों को बुक किये जाने वाले गन्ने की एक-मुश्त माल डिब्बा-दरों को रद्द कर देने के कारण विभिन्न रेलों पर विभिन्न दूरियों के लिए भाड़ा दरें लगभग 7% से 43% तक बढ़ गयीं । इस वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन चूँकि संशोधित दरों से भी कर्षण की लागत नहीं निकलती, इसलिए 1-4-1970 से लागू गन्ने की भाड़ा दरों में कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

दक्षिण मध्य रेलवे पर सामग्री पड़तालकर्ताओं के पदों का दर्जा बढ़ाकर सामग्री क्लर्कों के समान किया जाना

2165. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के डी० बी० के० परियोजनाओं और सिन्दराबाद और विजयवाड़ा डिवीजनों में भी रेलवे बोर्ड के दिनाँक 27 सितम्बर 1963 के पत्र संख्या पी सी/62/पी एस-5/एस एस/1 के अन्तर्गत सामग्री पड़ताल-कर्ताओं के पदों का दर्जा बढ़ा कर सामग्री क्लर्कों के समान नहीं किया गया है; और

(ख) क्या बोर्ड के उक्त आदेशों को भूतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित करके सम्बन्धित अधिकारियों को उनका लाभ दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग (दक्षिण मध्य रेलवे) में कनिष्ठों को वरिष्ठों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना

2166. श्री सूरज भान : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में द्वितीय श्रेणी के कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में अधिक वेतन पा रहे हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सब मामलों का पुनरीक्षण करने और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को कनिष्ठों के समान करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चूंकि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के द्वितीय श्रेणी संवर्ग में पदोन्नतियाँ विभिन्न वेतनमानों के अलग-अलग संवर्गों में भिन्न-भिन्न वेतन पाने वाले तृतीय श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से होती हैं, अतएव द्वितीय श्रेणी संवर्ग के कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन पाते हैं। इस विषय में कुछ नहीं किया जा सकता।

फिर भी, वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन बढ़ाकर कनिष्ठ अधिकारियों के वेतन के बराबर करने के सम्बन्ध में आदेश पहले से मौजूद हैं, यदि नीचे लिखी शर्तें पूरी हों :—

(i) कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों प्रकार के कर्मचारी एक ही संवर्ग के होने चाहिएं और वह पद जिस पर वे पदोन्नत या नियुक्त किये गये हों, एक ही संवर्ग में समान होना चाहिए।

(ii) निम्नतर और उच्चतर पदों का वेतनमान जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हों, समान होना चाहिए; और

(iii) असंगति इसलिए हो कि कर्मचारी का वेतन निम्नतर वेतनमान में एक वृद्धि करके फिर दूसरे उच्चतर वेतनमान में नियत किया जाये। यदि निम्नतर पद पर सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतन नियत करने के कारण कनिष्ठ कर्मचारी अपने वरिष्ठ से समय-समय पर अधिक वेतन अग्रिम वृद्धि पाने या त्वरित पदोन्नति पाने आदि के कारण पाये तो वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन को बढ़ाने के आदेश को अमल में नहीं लाया जाता है।

भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के कर्मचारियों को सेवा निवृति लाभ

2167. श्री सूरज भान : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के कर्मचारियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के कर्मचारियों के समान सेवा निवृति लाभ देने का वचन दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भूतपूर्व हैदराबाद सरकार ने अपने कर्मचारियों को उनकी उपलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के कर्मचारियों को, जिन्होंने भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे सेवाओं के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया था, उपर्युक्त दर पर पेंशन देने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री गंगानगर स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर अनिश्चित काल के लिए चल रही हड़ताल

2168. श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर अनिश्चित काल के लिये हड़ताल चल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). पुलिस द्वारा एक पवाइंट्स मैन को गिरफ्तार कर लेने के विरोध में उत्तर रेलवे के श्रीगंगानगर स्टेशन के कर्मचारियों ने 3-11-70 को फौरन हड़ताल कर दी । हड़ताल 4-11-70 को वापिस ले ली गयी ।

तलचेर से बहरामपुर तक रेलवे लाइन

2169. श्री० अ० दीपा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंगुल, अट्ठामल्लिक, पुरेनाकाटक और खुर्दा से बालांगीर के रास्ते तलचेर से बहरामपुर तक रेलवे लाइन बिछाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना में किन विभिन्न कारणों से विलम्ब हो रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). धन की कमी और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य के अभाव में इस समय तलचेर-बहरामपुर और खुर्दा-बालांगिर रेलवे लाइनों के निर्माण पर विचार करना संभव नहीं है ।

आसाम में कागज और लुगदी परियोजनाएं

2170. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में सरकारी क्षेत्र में कागज और लुगदी की प्रस्तावित परियोजना आरम्भ करने के संबंध में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) दक्षिण आसाम के कछार-मिजो क्षेत्र में बाँस की बड़ी माला के (जो कागज की लुगदी के लिये उपयुक्त है) उपयोग के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) योजना के कार्यान्वयन के लिये हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (पब्लिक) लि० ने प्रारम्भिक कदम उठाये हैं । एक तकनीकी दल ने राज्य का दौरा किया और स्थापना स्थल के चयन तथा अन्य

विषयों जैसे बिजली दर, वनीय कच्चे माल के लिये रायल्टी इत्यादि पर राज्य के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। इन मामलों पर राज्य सरकार से विचार विमर्श जारी है।

(ख) प्रस्तावित परियोजना में दक्षिणी आसाम के बाँसों प्रसाधनों का भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग विदित है।

दक्षिण आसाम और त्रिपुरा में गाड़ियों का पुनः चलना

2171. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दक्षिण आसाम और त्रिपुरा क्षेत्रों में, यात्रियों की संख्या बढ़ने पर भी कम गाड़ियाँ चलती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या रात में गाड़ी चलाना बन्द करने के कारण बन्द की गई गाड़ियों को फिर से चलाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) फरवरी 1966 में सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से दक्षिण असम में रात के समय यात्री गाड़ियों का चालन निलम्बित करने के सिवाय यात्री गाड़ियों की संख्या में कमी नहीं की गयी। हाँ, फर्केटिंग-मरियानी कॉर्ड खण्ड की एक गाड़ी का मार्ग बदल कर उसे लूप लाइन के रास्ते चलाया गया है।

(ख) जब तक सुरक्षा की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक रात में गाड़ियों को फिर से चलाना सम्भव नहीं है। जहाँ कहीं अपेक्षित है और व्यावहारिक रूप से सम्भव है, दिन में वैकल्पिक गाड़ियाँ चलायी गयी हैं और वर्तमान गाड़ियों के डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

Mail/Express Train between Delhi and Saharanpur besides Dehradun Express

2172. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there was any proposal to run Mail or Express train between Delhi and Saharanpur, besides the Dehradun Express; and

(b) if so, the reasons why that train was not started ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) No.

(b) Does not arise.

आवश्यक इस्पात की सप्लाई के लिए अधिक मूल्य देना

2173. श्री मोलहू प्रसाद : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लोहा और इस्पात उत्पादों के व्यापार तथा वितरण में लगी फर्में अत्यधिक लाभ कमा रही हैं और उपभोक्ताओं को आवश्यक इस्पात की सप्लाई के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो इन उत्पादों अथवा कम से कम अत्यधिक आवश्यक उत्पादों का फैक्टरी पूर्व-मूल्य और उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्य में कितना अन्तर है तथा इन मूल्यों में कितना कर शामिल है; और

(ग) मूल्यों के अन्तर को समाप्त करने अथवा मूल्यों को कम करने और उपभोक्ता उत्पादों का सामान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्डों के मूल्य से खुले बाजार के मूल्य अधिक हैं और अलग-अलग उत्पादों के मूल्य अलग-अलग हैं।

(ख) स्टाकयार्डों के तथा खुले बाजार के मूल्यों में अन्तर की ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बाजार भाव अधिक है। उत्पादन शुल्क नीचे दिया गया है :—

	(रुपये प्रति टन)
1. छड़ तथा गोल छड़	125
2. कड़ियाँ	125
3. बिना कोट की हुई प्लेटें	135
4. जस्ता चढ़ी प्लेटें	325
5. गर्म वेलित चादरें	175
6. ठंडी वेलित चादरें	250

(ग) सरकार द्वारा खुले बाजार के मूल्यों को घटाने के लिए उठाए गए कदमों में उत्पादन बढ़ाना, वितरण को बेहतर बनाना, आयात में उदार नीति अपनाना तथा निर्यात को नियमित करना शामिल है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात क्षमता

2174. श्री मधु लिमये : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र ने 1966-69 के बीच अतिरिक्त इस्पात क्षमता और इस्पात के उत्पादों की बाहुल्यता की स्थिति होने की सम्भावना के सम्बन्ध में निरन्तर प्रचार किया था;

(ख) क्या इस प्रचार के कारण सरकार ने अपने पूर्वानुमानों को बदला;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना आयोग/सरकार के विभागों में अग्रिम आयोजन के लिए उत्तरदायी अभिकरणों में सुधार करेगी तथा उन्हें पुनर्गठित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार को अतिरिक्त इस्पात क्षमता तथा 1966-69 के वर्षों में मार्किट में इस्पात उत्पादों की बाहुल्यता के सम्बन्ध में किये गए निरन्तर प्रचार की कोई जानकारी नहीं है। परन्तु ऐसा हो

सकता है कि इस सम्बन्ध में विशेषकर 1966 से लेकर 1968 के मध्य तक की अवधि में जब मन्दी का प्रभाव था, इस प्रकार के कुछ विचार व्यक्त किये गए हों ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

नागपुर के आस-पास सरकारी क्षेत्र के उद्योग

2175. श्री न० रा० देवघरे : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में नागपुर में अथवा नागपुर के आस-पास सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थान का निर्णय मूलत: तकनीकी आर्थिक विचारों के आधार पर किया जाता है । तथापि, अन्य बातें समान होने, पर औद्योगिक रूप से कम विकसित तथा अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है । यद्यपि नागपुर में या उसके निकट किसी सरकारी क्षेत्र की परियोजना की स्थापना का कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है । इस स्थान का भी अन्य स्थानों के साथ ही, जब कभी भी नई परियोजनाओं तथा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा ।

गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाई जाने वाली रेलवे लाइनों को अपने नियन्त्रण में लेना

2176. श्री न० रा० देवघरे : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे रेलवे लाइनें कौन सी हैं जो कि गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाई जा रही हैं अथवा चलाई जा रही थीं तथा उन अभिकरणों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन लाइनों को अपने नियंत्रणाधीन लेने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1-1-1970 को छोटे आमान की निम्नलिखित लाइनों का परिचालन प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था :—

रेलवे	जिन कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही थीं और जिनके स्वामित्व में थीं ।
1. फतुआ-इस्लामपुर रेलवे	फतुआ-इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड ।
2. हावड़ा आमता रेलवे	हावड़ा-आमता लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड ।
3. हावड़ा-शियाखला रेलवे	हावड़ा-शियाखला लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड ।
4. आरा-सासाराम रेलवे	आरा-सासाराम लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड ।
5. डेहरी-रोहतास रेलवे	डेहरी-रोहतास लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड ।
6. शाहदरा-सहारनपुर रेलवे	शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड ।

इन में से शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे 1-9-70 से प्रबन्धकों द्वारा बन्द की जा चुकी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

2177. श्री न० रा० देवघरे : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक जैसी किसी विदेशी एजेंसी ने सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें इन कारखानों को स्थापित करने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विश्व बैंक ने अभी तक सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

होस्पेट इस्पात कारखाने के लिए स्थान

2178. श्री स० अ० अगड़ी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होस्पेट इस्पात कारखाने के लिए मैसूर राज्य में अन्तिम रूप से स्थान चुन लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है तथा अपेक्षित भूमि अर्जित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कारखाने की स्थापना के बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1970 को नियुक्त की गई स्थल-चयन समिति ने 30 सितम्बर, 1970 को अपनी बैठक में होस्पेट इस्पात प्रायोजना के लिए स्थल के बारे में अपने निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया था। इसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) स्थल-चयन समिति ने इस्पात प्रायोजना के लिए तेरानागुलु गांव के दक्षिण में होस्पेट बेलारी रेलवे लाइन पर होस्पेट क्षेत्र की सिफारिश की है। कारखाने के लिए जितनी भूमि का अधिग्रहण करना होगा उसका सीमांकन करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ग) लौह अयस्क तथा कोयले के अतिरिक्त, कोयले तथा कच्चे माल के लिए नियुक्त की गई समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। आशा है लौह अयस्क समिति भी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगी। स्थल-चयन समितियों ने भी अपना काम पूरा कर लिया है।

फियट कारों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनुमति

2179. श्री स० अ० अगड़ी : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फियट कार निर्माताओं ने अपनी उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 25,000 कारें तक बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें अपने कारखाने के विस्तार की अनुमति न देने के क्या कारण हैं, जबकि जनता में इस कार की माँग है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). यद्यपि देश में फियेट कार के निर्माता मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने गत् वर्षों में समय-समय पर अपनी क्षमता फियेट कार की क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर इस मंत्रालय के तथा योजना आयोग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया किन्तु उन्होंने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 25000 कारें प्रतिवर्ष क्षमता करने के औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति हेतु कोई नियमित आवेदन नहीं दिया।

कम्पनी से जब कभी विस्तार आवेदन प्राप्त होगा, उस पर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

गडग और गुन्तकल होकर बीजापुर और बंगलौर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना

2180. श्री स० अ० अगड़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड और दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को सितम्बर,

1970 में गडग और गुन्तकल होकर बीजापुर और बंगलौर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए अभ्यावेदन दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नई एक्सप्रेस गाड़ी को चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस अनुरोध पर विचार किया गया है लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया है ।

हुबली डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) में सवारी गाड़ियों का देरी से चलाना

2181. श्री स० अ० अगड़ी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुबली डिवीजन में दक्षिण मध्य रेलवे की अधिकतर सवारी गाड़ियाँ प्रति दिन देरी से चलती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे की गाड़ी संख्या 232 का लगभग प्रति दिन गाड़ी संख्या 31 से होतगी पर मेल नहीं होता है;

(ग) 1 जून, 1969 से आज तक उसका कितने दिन मेल नहीं हुआ;

(घ) क्या गाड़ियों को नियत समय पर चलाने के लिए कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या गाड़ियों का देरी से चलने का स्पष्टीकरण माँगने की प्रथा है; और

(च) यदि हाँ, तो जिम्मेदार कर्मचारियों ने किस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1-6-69 से 13-10-70 तक 518 दिनों की अवधि में, 232 डाउन सवारी गाड़ी, होतगी में 31 डाउन एक्सप्रेस से 119 दिन मेल न ले सकी ।

(घ) जी हाँ । शोधक और दण्डात्मक उपाय प्रारम्भ करना जिसमें विशेष समयपालन अभियान चलाना और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई, शामिल है ।

(ङ) जी हाँ, जब भी गाड़ी लेट चलती हैं, जवाब तलब किए जाते हैं ।

(च) जवाब तलबी इस किस्म की होती है कि विलम्ब के वास्तविक कारण स्पष्ट हो जायें ताकि आवश्यकतानुसार उपयुक्त दण्डात्मक अथवा निवारक कार्रवाई की जा सके ।

तिरूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का रुकना

2182. श्री सी० के० चक्रपाणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वैस्ट कोस्ट एक्सप्रेस" को तिरूर रेलवे स्टेशन पर ठहराने के सम्बन्ध में सरकार को तिरूर और केरल के मालापुरम जिलों के निवासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस माँग की जाँच की गयी है लेकिन इसे तर्कसंगत नहीं पाया क्योंकि इस स्टेशन से लम्बी दूरी का यातायात पर्याप्त नहीं है । फिर भी जब भी यहाँ से लम्बी दूरी का पर्याप्त यातायात होगा, इस माँग पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

रेल दुर्घटनाएं

2183. श्री हिम्मतसिंहका : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अक्तूबर, 1970 में थोड़े समय के अन्तर में ही देश में तीन बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं की जाँच करने के लिए सरकार का एक आयोग स्थापित करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ । अक्तूबर, 1970 में तीन गम्भीर दुर्घटनाएं हुईं और इन दुर्घटनाओं के बारे में रेल सुरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा विधिक जाँच की गयी है ।

(ख) इस वर्ष अप्रैल, 1970 से अक्तूबर, 1970 तक की दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की दुर्घटनाओं की संख्या से कम है । रेल दुर्घटनाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद के अध्यक्ष का चयन

2184. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद का पद 25 मई, 1970 से खाली पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस चुनाव के लिए रेलवे मंत्रालय को संघ लोक सेवा आयोग को चार नामों का सुझाव देना होता है;

(ग) तो क्या यह सच है कि इस बार केवल तीन नाम ही भेजे गये थे और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा सुझाए गए दो रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप अनिर्णीत हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और आरोपों की जाँच के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद को भरने के लिए जो भर्ती नियम हैं उनके अनुसार यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उन नामों में से चुने गये व्यक्ति से भरा जाता है जो रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गये पैनल में होते हैं। इन नियमों में यह निर्धारित नहीं है कि ऐसे पैनल में नामों की संख्या कितनी हो ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजना

2185. श्री कं० हाल्दर : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जिनके पास रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं है, सरकार के समक्ष कोई आवास योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और उसे कब कार्य रूप दिया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दो आवास योजनाएं चल रही हैं :—(1) केन्द्रीय सहायता के साथ राज्य आयोजना योजनाओं के अधीन मकानों के निर्माण के लिए उपदान, तथा (2) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन मेहतरों और संमार्जकों के आवास के लिए राज्य सरकारों को दिये गए सहायक अनुदान । यह निर्माण, आवास और नगरीय विकास विभाग की गंदी बस्तियाँ उन्मूलन योजना तथा निम्न आय वर्ग आवास योजना की पूरक है। साधारणतया गृह निर्माण का खर्च 1200 रुपए निश्चित किया गया है और विशेष मामलों में राज्य सरकार के विवेक पर 1600 रुपये निश्चित किया गया है । हिमालय के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में मकान निर्माण का खर्च 2000 रुपए निश्चित किया गया है । इसमें से 75 प्रतिशत खर्च उपदान के रूप में दिया जाता है तथा शेष लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा नकद रुपए, श्रम अथवा सामान इत्यादि के रूप में उठाया जाता है । मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए भी 200 रुपए से 500 रुपए प्रति मकान की दर से सहायता दी जाती है ।

Demage to Railway Property in West Bengal

2186. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the value of Railway property destroyed by anti-social violent elements in West Bengal during the last three months;

(b) the number of persons killed during the said period; and

(c) the effective steps taken by Government to protect railway property and to check violence?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) Rs. 1,853/-.

(b) 2 persons.

(c) Maintenance of law and order being the responsibility of the State Governments, attention of the Government of West Bengal has been specially drawn to the incidents of lawlessness including violence affecting the railways and they have been requested to take necessary remedial steps.

Railway Protection Force/Railway Protection Special Force are also being increasingly deployed to protect Railway property and to assist the State Police in handling such situations. Closest liaison is being maintained with the State Police and other authorities concerned with a view to securing their active assistance. A Bill has also been introduced in the Parliament to provide for deterrent punishment for causing damage or destruction to railway property.

कार्यवाही वृतान्त से निकाले गये कार्यवाही-अंश के प्रकाशन के बारे में

RE : PUBLICATION OF EXPUNGED MATTER

MR. SPEAKER : The remarks made by Shri Jyotirmoy Basu yesterday were against this House and against the Chair. I have expunged these remarks. But it was surprising for me that some Papers have published those remarks. I have seen them in to-days papers myself. In this regard I want to know the opinion of the House that what should be done.

डा० राम सुभग सिंह (बकसर) : यह मामला तो विशेषाधिकार का मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए ।

SHRI RAVI RAY (Puri) : You should warn them.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : Sir, when you expunge some words from the proceedings, it is not clear that what you have expunged. Secondly, much time is being taken in expunging such remarks.

MR. SPEAKER : When something is expunged, it becomes the duty of the Press not to publish such remarks. (*Interruptions*) I will have a meeting with the Press in this connection.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नकली रेशम के धागे के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब

SHRI YAJNA DATT SHARMA (Amritsar) : Sir, I call the attention of the Minister of Foreign Trade to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The delay in the release of the Tariff Commission's Report regarding the price of art-silk yarn and setting up of a body to control price and distribution thereof resulting in the reported crisis in art-silk industry."

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री० ल० ना० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, सभी प्रकार के मानव निर्मित रेशों तथा धागे की ऊँची कीमतों के विषय में शिकायतों को देखते हुए, भारत सरकार ने जुलाई, 1968 में टैरिफ आयोग से अनुरोध किया कि वह सभी प्रकार के मानव निर्मित रेशों तथा धागे की कीमतों की संरचना की जाँच करे। क्योंकि विस्तृत जाँच में कुछ समय लगने की संभावना थी, अतः बाद में टैरिफ आयोग से निवेदन किया गया कि वह विस्कोस फिलामेंट धागे तथा स्टेपल रेशे की कीमतों की संरचना के संबंध में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। आयोग ने वह प्रतिवेदन अप्रैल, 1969 में प्रस्तुत किया। यह अन्तरिम प्रतिवेदन था अतः उसके प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित नहीं किया गया। वस्त्र आयोग ने धागा तैयार करने वालों और बुनकरों के साथ बातचीत की जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों ने कीमत तथा वितरण के विषय में स्वेच्छा से एक पारस्परिक करार कर लिया। यह करार आरम्भ में 1 अगस्त, 1969 से 31 जनवरी, 1970 तक अर्थात् 6 महीने के लिए था और बाद में इसे बढ़ा कर दिसम्बर, 1970 के अन्त तक कर दिया गया। पता लगा है कि यह स्वैच्छिक करार सामान्यतः संतोषजनक रूप से चला है।

विस्कोस तथा एसिटेट फिलामेंट धागे के विषय में और स्टेपल रेशे के विषय में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन सरकार को 10 अप्रैल, 1970 को मिला था।

क्योंकि आयोग के प्रतिवेदन पर केवल कीमतों तथा वितरण के विषय में ही निश्चय नहीं किये जाने हैं, अपितु विकास सम्बन्धी, कर सम्बन्धी तथा तकनीकी प्रकार के विषयों पर भी निर्णय किये जाने हैं अतः प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी राय के लिए भेज दिया गया, जिनमें तकनीकी तथा वित्त सलाहकार भी शामिल हैं।

इसमें से काफी कार्य पूरा हो चुका है और अब सरकार इस प्रतिवेदन पर अपने विनिश्चयों को यथासंभव शीघ्र अन्तिम रूप देने का प्रयत्न कर रही है।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुक्त बिक्री वाले धागे, जिसका उत्पादन कुल उत्पादन के 45% के बराबर है, की बाजार कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है। माँग में मौसमी वृद्धि के अतिरिक्त इसका मुख्य कारण पश्चिम बंगाल में स्थित रेयन उत्पादक एककों में से एक में तालाबंदी होना जान पड़ता है जो देश में रेयन धागे के कुल उत्पादन का 13% के बराबर का उत्पादन करता है। मेरा विश्वास है कि अब इस एकक में कार्य पुनः शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित एकक अन्य एकक के सामने पूरे उत्पादन स्तर पर पहुँचने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थीं, पर अब ऐसी जानकारी मिली है कि उन पर काबू पा लिया गया है। इसलिए निकट भविष्य में ही इस स्थिति में पर्याप्त सुधार होना चाहिए। मैंने धागा उत्पादकों से यह भी अनुरोध किया है कि वे सामान्य खपत वाले क्षेत्रों को मुक्त बिक्री पूर्ति बना करके उसकी बनावटी कमी न होने दें।

नाइलन फिलामेंट धागे तथा पोलिस्टर स्टेपल रेशे की कीमत संरचना पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन भी सरकार को 1970 में प्राप्त हो चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है। तथापि नाइलन धागे की कीमतों तथा वितरण पर इस वर्ष के मध्य से नाइलन धागे के प्रमुख उत्पादकों और वास्तविक प्रयोक्ताओं के बीच एक स्वैच्छिक करार भी चल रहा है। इसके अति-

रिक्त नाइलन की काफी मात्रा आयात की जा चुकी है और शीघ्र ही कुछ और आयात किये जायेंगे ।

समस्त मानव निर्मित रेशों का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं के लिए लाइसेंस दिये जा रहे हैं ।

अतः यह स्पष्ट होगा कि संभी संभव कार्यवाही की जा रही है और कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग में किसी संकट की आशंका होने का कोई कारण नहीं है ।

SHRI YAJNA DATT SHARMA : Sir, it has been stated in the statement that there is a voluntary agreement between the major producers and actual users of nylon yarn, which is working well. But according to me this is not correct. There are about 15000 powerlooms in Punjab State alone. About 50 per cent of powerlooms have been closed down due to the scarcity of this raw material. This industry has been facing this crisis for the last one year. As regards the prices of this yarn, its price in 1968 was Rs. 15·08 per kilogram, while it is Rs. 17·64 per kilogram. It is high time that the Minister should pay attention to this industry. If nothing is done to save this industry two lakh people engaged in this industry will be in trouble. I would like to know the time by which the report of the Tariff Commission will be laid on the Table of the House. Secondly, I would like to know the measures Government will take immediately to make the raw material available at reasonable price to this industry.

SHRI L. N. MISHRA : As regards Amritsar, I agree with the hon. Member that the condition is not good there. Two mills namely Keshavram Mill, Calcutta and J. K. Mill, Kanpur, are the main suppliers of raw material to this industry of Amritsar. Unfortunately, there was strike in the Kashavram Mill and so that could not supply the raw material. Now the situation will improve as both the units—the Keshavram Mill and the J. K. Mill—have started production. What I feel on the basis of the survey conducted in Amritsar is that the looms and mills of Amritsar need modernisation. Modernisation will make those units economic.

As regards the Tariff Commission's Report, it will be presented soon, as I said in the other House. It is almost ready. We have to take into accounts the comments of the Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Chemicals and Petroleum in this regard. I think it will not take more than two and a half month. Moreover, I would like to tell the hon. Member that we accept most of the recommendations of the Tariff Commission.

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : अमृतसर की दशा सचमुच दयनीय है । मंत्री महोदय ने जो वचन दिया है वह अस्पष्ट है । कल उन्होंने जो राज्य सभा में कहा था, उससे बिल्कुल भिन्न उन्होंने यहाँ बताया है । अमृतसर के सम्बन्ध में मेरा उनसे यह प्रश्न है कि क्या वह अमृतसर के छोटे बुनकरों की एक बैठक बुलायेंगे और उनकी कठिनाइयों के बारे में उनसे विचार-विमर्श करके कोई समाधान सुझायेंगे तथा पारस्परिक समझौते के लिए कोई आश्वासन देंगे ? जिन पारस्परिक समझौते की बात कही गई है वह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । यह बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में है । यह समझौता किसने सुझाया, किसने इसकी माँग की थी ? क्या इसे वस्त्र आयुक्त ने अपनी ओर से लागू किया था ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि प्रशुल्क आयोग ने कृत्रिम रेशे के धागे का कितना मूल्य दिये जाने की सिफारिश की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रशुल्क आयोग की सिफारिश को मैं उस समय तक नहीं बता सकता जब तक कि सरकार उसके बारे में कोई निर्णय न कर ले । जहाँ तक राज्य सभा में और यहाँ पर दिए गए वक्तव्यों में अन्तर का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अमृतसर की स्थिति के बारे में था और इस सभा में उसका विषय है—'प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें' अत: दोनों के उत्तर में अन्तर होना भी स्वाभाविक है।

जहाँ तक उद्योग में प्रगति का सम्बन्ध है पिछले दशक में उत्पादन 50 लाख किलोग्राम से बढ़कर 1969 में 380 लाख किलोग्राम हो गया था। अमृतसर में एककों के सामने कठिनाई का कारण यह था कि कलकत्ता की केशोराम मिल तथा कानपुर की जे० के० इन्डस्ट्रीज वहाँ माल सप्लाई नहीं कर सकी थीं। जहाँ तक प्रभावित लोगों के साथ बैठक करने का विचार है, मैं कताई मिल मालिकों से पहले ही मिल चुका हूँ और उनसे कह चुका हूँ कि वे जानबूझ कर माल की कमी न दिखायें, बल्कि वे पारस्परिक समझौते के अनुसार कार्य करें। जहाँ तक पारस्परिक समझौते का सम्बन्ध है यह कताई-उद्योग मालिकों और बुनकरों के बीच पारस्परिक स्तर पर कपड़ा आयुक्त के समक्ष हुआ था। यदि पुन: बैठक का सुझाव आता है, तो मैं उनसे मिलूँगा और उनकी कठिनाइयों को सुनूँगा।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : I want to ask three Questions. Firstly if Government were predetermined to take such a long time for considering the report of Tariff Commission ? Why did they ask for interim report from the Tariff Commission ? Secondly, the mutual agreement made between the spinners and the weavers is not working satisfactorily. It provides that 45 per cent of the total production will be for actual usess while they are getting hardly 30 per cent. Is this agreement is not being honoured by the spinners why do the Government not make amendment in it ? Thirdly, I would like to know why the Government are hesitating to place the Tariff Commission's report on the Table of the House ? As it is not the secret document, I request that it should be placed on the Table of the House today.

SHRI L. N. MISHRA : We asked for an interim report after concluding that the Tariff Commission would take long time to give a final report. So we committed no sin in doing so. As regards the placing of the report on the Table, I have no hesitation. But it will be of no use. As regards the mutual agreement between the spinners and weavers, it has been working satisfactorily for the last 6 months so its term was extended for another 6 months' period i.e. upto 30th December. Moreover, we have been helping the weavers as much as we can. The final report of the Tariff Commission will be placed on the Table after the Government will take final decision on it. As regards the non-implementation of the agreement I say that I will look into it, if there will be any complaint in this regard.

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East-Delhi) : I would like to know whether the requirements of the weavers have been met in full, if not, the reasons why 45 per cent of the production was allowed for open sale. I would also like to know the measures Government propose to take for ensuring the supply of raw material to weavers as much as they require. Do you propose to take decision before the end of December or to extend the term of mutual agreement ?

SHRI L. N. MISHRA : It is a fact that we could not supply the raw material to the weavers as much as they require. That is why we have resorted to control and other measures. As regards the decision on the report, we received the final report on 10th October and we will try to take decision before the 30th December.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal) : The production of yarn has gone up from 2000 tons to 43000 tons during the last two decades. Even then the requirements of small scale units have not been met in full. In agreement 45 per cent of the production was earmarked for them but only 30 per cent was supplied to them. Of the remaining 45 per cent the spinners earned huge amount of profit by selling it into open market. The Minister himself was aware of it as appears from his statement. I would like to know whether any

inquiry has been instituted to see the profit earned by the spinners and the loss suffered by the weavers on account of non-supply of raw material. I would also like to know whether Government have taken some steps to give some relief to the weavers on interim basis and whether the report of Tariff Commission will be made public on the eve of next general election.

SHRI L. N. MISHRA: We have received a complaint regarding the abnormal increase in the prices of yarn. Thereafter we have called a meeting of the spinners and asked them not to increase the price by creating artificial scarcity. The difficulty is this that the prices of synthetic fibre is too high in our country. We earnestly desire that the prices should come down. We want to take final decision in this matter before 30th December. We will also adopt some statutory measures, if necessary.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अधिघोषणाएं

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीकरण नियम, 1956 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1956 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 22 (5)/55—एल० एस० जी० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली हिन्दू विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 7 मई, 1970 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 21 मई, 1970 (हिन्दी संस्करण) के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 14 (14)/68—जुडिशियल में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—4358/70]**

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० - 4359/70]**

खादी आयोग सम्बन्धी पत्र

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—4360/70]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूँ कि राज्य सभा ने 17 नवम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970 को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

12वां प्रतिवेदन

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं विशेषाधिकार समिति का 12वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, राँची के कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 728 पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARIES ON S. Q. NO. 728 RE. COMPENSATION TO FAMILIES OF EMPLOYEES OF H. E. C. RANCHI

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं भारी इंजीनियरिंग निगम, राँची, के कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 728 सम्बन्धी अनुपूरक प्रश्नों के 1 सितम्बर, 1970 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4362/70**]

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : 19-11-70 को जब मैं और श्री पाणिग्रही समिति में एक साथ थे तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक पढ़ते हुए देखा था जिसमें 45 आकर्षक चित्र थे । इस पुस्तक

में कोणार्क के मन्दिर के चित्रों का संकलन है जो सम्भवत: पर्यटकों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक उड़ीसा के एक संसद् सदस्य की है। जैसा कि मंत्री महोदय का अनुमान है इस पुस्तक से धारा 291 का उल्लंघन नहीं होता है। मैं यह स्पष्टीकरण उत्पन्न भ्रान्ति का निवारण करने हेतु दे रहा हूँ।

———

निर्वाचन विधि में संशोधनों की जाँच सम्बन्धी संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव

MOTION FOR APPOINTMENT OF JOINT COMMITTEE FOR EXAMINATION OF AMENDMENTS TO ELECTION LAW

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि 25 अगस्त, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 580 पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के दौरान लोक सभा में हुए वाद-विवाद के प्रकरण में निर्वाचन विधि में संशोधनों का प्रश्न दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को उस पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए इन हिदायतों के साथ सौंपा जाये कि वह अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे;

कि समिति के 21 सदस्य होंगे, जिसमें 14 सदस्य इस सभा के, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे तथा 7 सदस्य राज्य सभा के, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

कि अध्यक्ष महोदय, यदि वह समिति का सदस्य होने के लिए सहमत होंगे, समिति के सभापति होंगे; अन्यथा अध्यक्ष महोदय समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति का सभापति नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन के लिए, संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ, जो अध्यक्ष महोदय करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा के सभापति द्वारा संयुक्त समिति के लिए नामनिर्दिष्ट 7 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि 25 अगस्त, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 580 पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों के दौरान लोक सभा में हुए वाद-विवाद के प्रकरण में निर्वाचन विधि में संशोधनों का प्रश्न दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को उस पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए

इन हिदायतों के साथ सौंपा जाये कि वह अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे;

कि समिति के 21 सदस्य होंगे, जिसमें 14 सदस्य इस सभा के, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे तथा 7 सदस्य राज्य सभा के, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

कि अध्यक्ष महोदय, यदि वह समिति का सदस्य होने के लिए सहमत होंगे, समिति के सभापति होंगे; अन्यथा अध्यक्ष महोदय समिति के सदस्यों में से एक सदस्य को समिति का सभापति नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन के लिए, संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे;

कि अन्य मामलों में इस सभा के संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ, जो अध्यक्ष महोदय करें, लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा के सभापति द्वारा संयुक्त समिति के लिए नामनिर्दिष्ट 7 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सलवान कालेज, दिल्ली के प्राध्यापक की बर्खास्तगी के बारे में

RE : DISMISSAL OF LECTURER OF SALWAN COLLEGE, DELHI

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) : Sir, two days before when education Minister made a statement about Shri Javed Alam affair we demanded that a discussion should be allowed on this matter because there are three questions involved. First question is in regard to the rights of a citizen and freedom of a citizen. The second question is whether any educational institution, which gets 95 per cent aid from University Grants Commission can remove any lecturer an communal consideration. The third question is that whether any person can be permitted to spread communalism in the Capital. Posters have been seen in the city walls wherein Shri Javed Alam has been condemned for marrying a Hindu girl and aspersion have been cast on his character. It has been stated that public meeting is also going to be held in this regard and Shri Balraj Madhok will participate in that meeting. According to the available information Shri Javed Alam has married the Hindu girl according to Law and this marriage is worth of commendation. Government should clarify the position whether this marriage is constitutionally legal or this is a case of abduction. Leaders of the political parties should restrain from spreading communalism. Discussion should be allowed in this House on the decision of the governing body of the college to dismiss Shri Javed Alam and also threatenings of intimidation and charges of indiscipline levelled against the students who protested against this decision.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Mr. Speaker, Sir. This matter is in regard to my constituency and I should be allowed to speak. There is no communal consideration

behind Shri Javed Alam's dismissal from Salwan college. But several written complaints even from the lecturers of the college regarding misbehaviour and mis-conduct of Shri Javed Alam have been received. He is not of good character man who can be tolerated in a girls college. I am sure that by raising this issue some political parties want to spread communal feelings in the capital, which shall never be tolerated.

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East Delhi): It is wrong to say that Shri Javed Alam has been removed from the college because he has married a Hindu girl. I am a member of the Governing body of the college and know all the facts. The facts given here are wrong. We have passed a resolution for his removal and in that resolution all the facts are given. Now a communal colour is being given to whole matter.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Balrampur): On a point of order. Under which rule Shri Madhu Limaye has been allowed to raise this question ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति दी है ।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Shri Madhu Limaye has mentioned my name. Therefore please allow me also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You have allowed them; please allow us also.

SHRI HARDYAL DEVGUN : There a mother of a teacher has written that this men is bad character.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Sir. It has not been provided in this rule that the Minister would make a statement in reply.

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट कर दें ।

SHRI HARDAYAL DEVGUN : No such direction have been issued to the governing body of the college that it cannot remove any temporary lecturer from service. They want to create disturbances in Delhi.

SHRI BAL RAJ MADHOK : There should be a discussion on this issue.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे (**व्यवधान**) । यदि माननीय सदस्य इसी तरह बाधा डालते रहे तो मैं मंत्री महोदय से इसे सभा पटल पर रखने को कहूँगा और सभा को दो बज कर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित कर दूंगा (**व्यवधान**)

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at eighteen minutes past fourteen of the Clock

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
SHRI SHRI CHAND GOYAL *in the Chair*]

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I have a point of order. Neither I nor my party has any objection to this marriage. But there are other various reasons for objection, the first being th at this question should not be repeated again and again here.

सभापति महोदय : यह प्रश्न अब यहाँ नहीं उठाया जायेगा क्योंकि मंत्री महोदय के वक्तव्य को सभा पटल कर रख दिया गया है जिसे परिचालित कर दिया गया होगा ।

SHRI MADHU LIMAYE : The statement has not been circulated so far. We have not got its copy.

MR. CHAIRMAN : I have come to know that the statement has not yet been laid on the Table.

SHRI MADHU LIMAYE : Then what is we are discussing here ? I am ready to listen to Shri Gupta but before that I would like to know the views of the Minister.

SHRI HARDYAL DEVGUN : This is wrong. I am a member of the governing body. They are making it communal.

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइये । श्री बलराज मधोक तथा श्री गुप्ता अपनी बात कह चुके हैं । मध्याह्न भोजन से पहले मामला उठाया जा चुका है । अब इसको आप समाप्त कीजिये ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक — जारी

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—*Contd*

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad) : I welcome this bill because it seeks to rectify the shortcomings in the constitution and also it seeks to remove the agelong injustice being metted out to the scheduled castes and scheduled tribes people in the country. But it is astonishing to note that Government is trying to tamper with the report of the Select Committee. The Select Committee was represented by the members of all the parties and its report was unanimous. We were thinking to help those who were economically and culturally backward. But if we look to the economic condition of other castes also we can find that they are also on the same footing. Therefore, we had provided in the constitution for them because their condition was on special footing. At the time of framing the constitution we have given safeguards to only Scheduled castes and afterwards Scheduled tribes were also included. But now from this Bill it is being provided that any person from that Scheduled Tribes who changes his religion will not enjoy this government's help because by changing his religion, according to Government he will become economically well off. Hence the object of the Bill becomes useless. With the change in relegion their original culture, their feelings and emotions are also changed. They remain Scheduled Tribes people only in name. It is said that ninty per cent of Muslims in India were Hindus. It becomes clear by this example that they have changed their culture etc. after their conversion.

Christian missioanaries in India are getting huge amount of help in cash as well as in Kind from America and other foreign countries and these Christian missionaries distribute the money and clothes etc. to the poor tribal people. They give temptation to these poor tribals to change their religion and they convert themselves into christianity. Not only that these Christian missions are also playing political game in the country. They are trying to divide the country into small states. Now demands are being made for separate Chota Nagpur and Jharkhand state.

If Government decide to give same assistance which is being given to the scheduled castes and scheduled tribes to those who have changed their religion, there will be no end of such people and Government will have to face a very long list of those people claiming for this

assistance, who have changed their religion. Government shall be forced to make necessary modifications in that list. Government should not give this assistance to those who have converted themselves into christianity or other religions instead honest and poorer section of the people should be given such help and they should be uplifted who need upliftment—social or economic. But by accepting this amendment Government would do more harm to them and these people will be induced and encouraged to change their religion.

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : मुझे प्रसन्नता है कि आज सदस्य धर्म परिवर्तन के बारे में इतने चिन्तित हैं। मैं भी मानता हूँ कि यह एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के धर्म परिवर्तन करने के बारे में बहुत भ्रान्ति पैदा हो गई है। यह एक वास्तविक तथ्य है कि इन जातियों के गरीब लोगों का शोषण केवल सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा ही होता रहा है और अभी तक हो रहा है। इन जातियों के लोगों के लिए सवर्ण हिन्दुओं ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। सवर्ण हिन्दुओं को हरिजनों की हत्या करते हुए, उनकी लड़कियों के साथ बलात्कार करते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता। हरिजनों के साथ देश में जब ऐसी घटनायें और वारदातें की जाती हैं तो कोई सदस्य यहाँ आवाज नहीं उठाता।

परन्तु, सौभाग्य से इस विधेयक के सिलसिले में धर्म परिवर्तन का मामला इस सदन में उठाया गया है। इस देश में 800 वर्ष पूर्व जो जातियाँ अस्पृश्य मानी जाती थीं, मैसूर राज्य में वे जातियाँ आज सवर्ण हिन्दू हैं। वे लिंगायत ब्राह्मण कहलाती हैं। इस काम को वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता जो स्वयं ब्राह्मण था, ने किया। अत: धर्म परिवर्तन की परम्परा ने देश में लोगों की आँखें खोल दी हैं। फिर भी सवर्ण हिन्दू अस्पृश्य वर्गों के लोगों को सदा के लिए अस्पृश्य ही बनाये रखना चाहते हैं। इसी कारण लोगों की आज भावना बन गई है कि धर्म परिवर्तन से ही उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। डा० अम्बेडकर ने 1956 में स्वयं अपना धर्म परिवर्तन किया था। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से वह एक शूद्र के घर में जन्मे हैं परन्तु वह शूद्र होकर नहीं मरेंगे। डा० अम्बेडकर देश में अपने समय के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति थे। वह धनाढ्य नहीं थे परन्तु गन्दे वातावरण में नहीं रहते थे, फिर भी सवर्ण हिन्दू समाज उन्हें अपने से नीची कोटि का मानता था और उनसे घृणा करता था। यहाँ तक कि एक अनपढ़, निर्धन और गन्दा सवर्ण हिन्दू डा० अम्बेडकर को अपने से नीचा मानता था। अत: शिक्षा और आर्थिक उत्थान से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण नहीं हो सकता। उन्हें देश में समान सामाजिक स्तर पर लाने की आवश्यकता है। कल का शूद्र यदि आज अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह हिन्दुओं के समान माना जाता है। आपको अपने भाई को भाई समझना चाहिए। यहाँ पर भाषण देना पर्याप्त नहीं है।

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI (Baghpat) : The hon. Member has just now said that there has been no man in Cast Hindus or any other Institution who made efforts to eliminate untouchability...

MR. CHAIRMAN : There is no procedure to reply in between.

श्री शंकरानन्द : जब मैंने हरिजनों, आदिम जाति के बन्धुओं की स्थिति स्पष्ट कर दी है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र उन लोगों की उन्नति के विरुद्ध क्यों हैं? संविधान में दिया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु संविधान

का पालन नहीं किया जा रहा है। आदिम जाति का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ईसाई हो या गैर ईसाई, उसे आदिम जाति का ही समझा जाना चाहिए। आज हमारे सामने समस्या यह है कि इन लोगों के लिए संविधान में जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, वे सुविधायें उसे किस प्रकार दी जायें। यदि हिन्दू धर्म परिवर्तन को नहीं रोक सकते, तो यह उनका अपना दोष है क्योंकि उन्होंने पद-दलित वर्ग के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये हैं। यदि कोई व्यक्ति इस वर्ग की सहायता के लिए आगे आता है तो कहा जाता है कि उस वर्ग का शोषण किया जा रहा है। वास्तव में शोषण उस वर्ग का न होकर हिन्दू धर्म का हो रहा है। सवर्ण हिन्दू इस बात पर रुष्ट हो सकते हैं क्योंकि वे पद-दलित लोगों की सहायता नहीं करना चाहते। संविधान में पद-दलित लोगों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कहा गया है कि वे ऊँचा स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परन्तु क्या संसद् को यह स्वीकार्य नहीं है ?

मैं एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है कि अनुसूची में कई जातियों को शामिल किया जा रहा है। परन्तु क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नाम पर गैर-अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों को अनुसूची में शामिल करना उचित होगा ? यदि संयुक्त समिति द्वारा नियत किये गये मानदंड को अपनाया जाये जो मुझे कोई आपत्ति नहीं परन्तु यदि गैर-अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों को अनुसूची में शामिल किया जाता है तो मुझे इस पर आपत्ति होगी। संविधान सभा में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो डा० अम्बेडकर ने यही बात की थी परन्तु सभा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाना स्वीकार नहीं किया और यह निर्णय राष्ट्रपति पर छोड़ दिया। डा० अम्बेडकर को पता था कि राजनीतिक चाल का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने सदन में बोलते हुए कहा था—इन दो अनुच्छेदों का उद्देश्य संविधान को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लम्बी सूची से मुक्त करना है। अत: यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह राज्य के शासक अथवा राज्यपाल के परामर्श से इन जातियों की सूची की राज-पत्र में अधिसूचना जारी कर सकता है। एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद यदि सूची में से किसी जाति का नाम हटाया जाता है अथवा शामिल किया जाता है, तो यह कार्य संसद् द्वारा किया जा सकता है न कि राष्ट्रपति द्वारा। प्रस्ताव इसलिए पेश किया गया है ताकि राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अनुसूची में गड़बड़ करने के लिए राजनीतिक चाल का प्रयोग न किया जा सके।

मेरी जानकारी के अनुसार संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में राजनीतिक चाल का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि संयुक्त समिति में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार के संशोधनों की लम्बी सूची देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अच्छा यह होता कि ये संशोधन संयुक्त समिति को भेजे जाते और वह इस बात पर विचार करती कि क्या इन जातियों और जनजातियों को अनुसूची में शामिल करना उचित है अथवा नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है गैर-अनुसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा रहा है। अत: सरकार को इस मामले में सावधानी बरतनी पड़ेगी।

संविधान में उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाने के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों की भी सूची बनानी चाहिए और उनके विकास के लिए योजना बनानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद संख्या 340 के अधीन

राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आयोग की नियुक्ति करता है। सदन को पता है कि आयोग नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपना कार्य अच्छी तरह से निभाया है।

गत् सप्ताह से माँग की जा रही है कि अमुक जाति को अनुसूची में शामिल किया जाए क्योंकि वह आर्थिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। यदि कोई जाति आर्थिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है तो अनुच्छेद संख्या 15 (4) अथवा 16 (4) के अधीन सरकार उनके विकास के लिए व्यवस्था कर सकती है। परन्तु यदि सरकार पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची बनाएगी, उसमें संशोधन करेगी और सूची में और जातियाँ शामिल करेगी तथा इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में अतिरिक्त जातियों को शामिल करेगी, तो मेरे विचार में सरकार का यह कार्य न तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभप्रद होगा और न ही पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए ही।

विधेयक में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई स्त्री अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करती है तो उसे भी अनुसूचित जाति का समझा जाएगा। मेरे विचार में संविधान में इस बात की अनुमति नहीं दी गई है। कानून के अनुसार हमें किसी का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। आज लोग हिन्दू धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म अपना रहे हैं परन्तु कोई भी व्यक्ति अन्य धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म नहीं अपना रहा है क्योंकि ऐसा करने पर उसे किसी न किसी जाति में शामिल होना पड़ेगा। संसार में हिन्दू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें अछूत हैं।

श्री शिकरे (पंजिम) : गोआ में ब्राह्मण ईसाई, चारडो ईसाई, शूद्र ईसाई सभी जातियों के ईसाई हैं।

श्री शंकरानन्द : मैं चाहता हूँ कि सूची बनाते समय राजनीतिक चाल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग की जातियों की अलग सूची बनाई जानी चाहिए और उनको अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : संयुक्त प्रवर समिति ने प्रगतिशील विधेयक पेश किया है, इसके लिए समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य बधाई के पात्र हैं। परन्तु सरकार को काफी संख्या में संशोधन प्रस्तुत नहीं करने चाहिएं। सरकार को समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए। समिति के प्रतिवेदन में पृष्ठ संख्या 29 पर कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म त्यागकर ईसाई धर्म अथवा इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। यह मानदंड बिल्कुल संगत है क्योंकि यदि जनजाति का कोई व्यक्ति इस्लाम अथवा ईसाई धर्म अपना लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसे आदिम जाति में विश्वास नहीं रहा है। आदिम जाति के लोग देवी-देवताओं, वृक्षों और मूर्तियों की पूजा करते हैं और फसल की कटाई के समय पूजा करने की उनकी निजी परम्परा है। परन्तु ईसाई धर्म अथवा इस्लाम धर्म ऐसी परम्परा के विरुद्ध है। अत: आदिम जाति के वे लोग, जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, वे विशेषाधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो आदिम जाति के लोगों को प्राप्त हैं? संविधान में भी यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

संविधान के अनुच्छेद संख्या 46 में यह व्यवस्था दी गई है कि सरकार जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगी तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगी। माननीय सदस्य, श्री कार्तिक उरांव तथा अन्य माननीय सदस्यों ने

सरकार को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें कहा गया है कि पिछड़ी आदिम जातियों के लोगों का ईसाई आदिम जातियों के लोगों द्वारा अथवा उन लोगों के द्वारा, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, किस प्रकार शोषण किया जा रहा है। यदि इस शोषण को नहीं रोका गया तो वास्तविक आदिम जाति के लोग अपने विशेषाधिकारों से वंचित रह जायेंगे। मेरा अनुरोध है कि सरकार संयुक्त समिति की सिफारिश पर गम्भीर रूप से विचार करे। संयुक्त समिति ने जब भी सिफारिश की कि राजगौंड जाति को सूची से निकाल दिया जाए अथवा बंजारों को सूची में शामिल नहीं किया जाए अथवा अमुक जाति को आदिम जाति की सूची में शामिल किया जाए तो सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार समिति की सिफारिश नहीं मानना चाहती है। सरकार यह दावा करती है कि वह पद-दलित वर्ग की सहायता करना चाहती है। यदि वास्तव में सरकार की यही इच्छा है तो उसे समिति की सिफारिश को समग्र रूप से मान लेना चाहिए और उन जातियों को सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो आदिम विशेषताएं नहीं रखतीं। बंजारा जाति एक प्रगतिशील जाति है और उसे आदिम जाति की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी यदि सरकार उनको सूची में शामिल करने की सिफारिश करती है तो इसका अर्थ है कि वह राजनीतिक दबाव में आकर ऐसा कर रही है। इसी प्रकार समिति के अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि राजगौंड जाति को आदिम जाति की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह प्रजातांत्रिक सरकार है। अत: सरकार को समिति की सिफारिश मान लेनी चाहिए, गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिएं और सरकारी संशोधनों को वापिस ले लेना चाहिए। यदि सरकार बंजारों, राजगौंडों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सहायता करना चाहती ही है तो उनको पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर सकती है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं समिति द्वारा पेश किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य इन जातियों के लोगों की सहायता करना है ताकि अमीर और निर्धन के बीच के अन्तर को समाप्त किया जा सके और उन जातियों के लोग देश के राष्ट्रीय जीवन में भाग ले सकें। जातियों को सूची से निकालने या सूची में शामिल करने के मामले पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए और प्रगतिशील जातियों को सूची में शामिल नहीं करना चाहिए।

सूचियों को बनाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति एकरूप नहीं है। 1956 में सरकार ने बंजारा जाति को सूची में शामिल करना स्वीकार नहीं किया था परन्तु आज उसी जाति को सूची में शामिल करने की सिफारिश कर रही है। दूसरा प्रश्न आसाम के चाय बागानों के उन श्रमिकों को अनुसूची में शामिल करने का है जिनका नाम अनुसूची में नहीं है। दूसरा मामला मैसूर के बोईज लोगों का है जिनका नाम अनुसूचित जातियों की अनुसूची में था परन्तु संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में उनका नाम अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में दिखाया गया है।

जहाँ तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, जिन जातियों ने इस्लाम अथवा ईसाई धर्म अपना लिया है उनको अनुसूची से निकाल दिया गया है। दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश, अनुसूचित जनजातियों के जिन लोगों ने इस्लाम अथवा ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि धर्म परिवर्तन उनका अधिकार है बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे शैक्षणिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हैं।

यह एक गम्भीर बात है कि ईसाई लोग क्योंकि अधिक प्रगतिशील, शिक्षित तथा राजनैतिक दृष्टि से अग्रसर हैं इसलिए वे पिछड़े वर्गों के अधिकार और सुविधायें छीन ले जाते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही से पता लग जाता है कि अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित धर्म परिवर्तित लोग सूची में शामिल नहीं किये गए थे। यहाँ जनजाति होने से मतलब नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति से अभिप्राय है। मैं अब बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है।

भारत सरकार के अधिनियम 1935 में ईसाई धर्म अपनाने वालों को "भारतीय ईसाई" कहा गया है जिसमें "एंग्लो इण्डियन" तथा यूरोपियन लोग शामिल नहीं हैं। "जनजाति" का नाम भी सर्वप्रथम 1931 के जनगणना प्रतिवेदन में आया था।

इसके पश्चात् संविधान के निर्माताओं ने यह निर्णय किया कि किन-किन अल्पसंख्यकों के वे विशेषाधिकार जारी रहने चाहिएं जो उन्हें अंग्रेजी शासन के समय उपलब्ध थे। सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में सलाहकार समिति ने अल्पसंख्यकों को तीन वर्गों में बाँटा। क-वर्ग में एंग्लो इण्डियन तथा पारसी, (ख)-वर्ग में भारतीय ईसाई तथा सिक्ख तथा (ग)-वर्ग में अनुसूचित जातियाँ तथा मुसलमान। काफी लम्बी चर्चा के पश्चात् कुछ सदस्यों ने तो यहाँ तक भी मत व्यक्त किया कि अनुसूचित जातियों के लिए अभी आरक्षण प्रणाली नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि वे भी अंग्रेजी शासन के समय इस सुविधा का लाभ उठाते रहे थे, परन्तु डा० अम्बेडकर ने बताया है कि मुसलमानों के विशेषाधिकार 60 वर्षों तक और ईसाइयों को 28 वर्षों तक मिले थे परन्तु अनुसूचित जातियों को यह लाभ केवल आठ वर्षों तक ही मिल पाए हैं और वे उनका पूरा लाभ नहीं उठा सकी हैं अत: उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को भी और अधिक समय तक ये लाभ दिये जाना स्वीकार किया है। फिर 11 मई, 1949 को एक संकल्प द्वारा अनुसूचित जातियों से इतर अल्पसंख्यकों के लिए यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके बाद भारतीय ईसाइयों के लिए भी यह सुविधा समाप्त कर दी गई है। मुसलमान लोग तो जनजातियों की श्रेणी में बहुत ही कम आते हैं।

इसके पश्चात् सरकार ने कई अधिनियम तथा आदेश जारी किये। डा० एच० एन० कुंजरू द्वारा 17 दिसम्बर, 1950 को प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र के उत्तर में सरकार ने डा० कुंजरू तथा पन्द्रह अन्य संसद् सदस्यों को बताया कि सरकार इस बात को आवश्यक समझती है कि 1951 तक "प्राचीन जनजातियाँ" कही जाने वाली जनजातियों को जिन्हें उनके उक्त नाम के आधार पर विशेष राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता आया है, प्रथम बार अनुसूचित जनजाति के रूप में उक्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए।

अब उड़ीसा सरकार ने 4 फरवरी, 1950 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जो आदिवासी अपने पुराने धर्म को मानते हैं उन्हें ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाएगा। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को एक ज्ञापन पेश किया गया तो शिक्षा मंत्रालय ने इस आशय का उत्तर दिया कि ज्ञापन में जो नाम बताए गए हैं वे ईसाई प्रतीत होते हैं तथा बिहार सरकार ईसाई अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियाँ नहीं मानती है तथा कोई छात्रवृत्ति देने की सिफारिश नहीं करती है। फिर केरल, मैसूर तथा मध्य प्रदेश सरकारों ने भी इसी परम्परा का अनुसरण किया। इससे आप स्वयं ही समझ लीजिये कि भारतीय ईसाइयों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया अथवा नहीं। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि उनको शामिल नहीं किया गया। क्योंकि एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

यह निर्णय किया गया था कि हिन्दू धर्म से इतर किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बाद में एक अन्य अधिसूचना जारी करके सिख सम्प्रदाय को भी इस सूची में शामिल किया गया। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधीन किया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना को संसद् ही संशोधित कर सकती है, जैसा कि संविधान की धारा 341 खण्ड (i) में व्यवस्था की गई है।

धारा 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में व्यवस्था है। यह देखने के लिए कि कौन-सी जनजाति इस धारा के अधीन जनजाति है, खण्ड (i) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सरकारी अधिसूचना को देखना होगा। सरकार ने वह अधिसूचना जारी न करके एक आधारभूत गलती है। अतः मुझे कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय ईसाइयों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण किये जाने के पश्चात् केवल संसद् ही इस अधिसूचना में संशोधन कर सकती है, परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके अनुसार ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेने वालों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया हो।

संविधान की धारा 15 (i) के सही अर्थों के बारे में हमें कुछ सन्देह है। इसमें कहा गया है कि सरकार केवल धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरतेगी। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग की प्रगति हेतु सहायता करने में किसी भी संभावित कठिनाई को दूर करने के लिए धारा 15 (i) में संशोधन भी किया गया तथा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े किसी भी वर्ग के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। परन्तु हमारा बीस वर्ष का अनुभव हमें बताता है कि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के प्रति विरोधी रवैया अपनाया है जिससे इन जातियों को बहुत हानि पहुँची है। सरकार गैर-आदिवासियों की गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि ये सभी बातें आदिम जातियों के प्रगति के मार्ग में बाधायें उत्पन्न कर रही हैं।

शब्द "अनुसूचित" का अभिप्राय सामान्य अर्थों को प्रतिबंधित करना अथवा उसमें अतिरिक्त विशेषण जोड़ना है। अन्य आदिवासी जाति (या जनजाति) शब्द तो पहले से ही चला आ रहा है और यहाँ "अनुसूचित भारतीय ईसाई" कोई शब्द नहीं है। अतः अनुसूचित जातियों के अन्तर्गत अनुसूचित भारतीय ईसाई नहीं आते। अतः इन नियमों के अनुसार केवल आदिवासी जाति (या जनजाति) होने से नहीं बल्कि अनुसूचित आदिम जाति होने से वे लाभ प्राप्त होते हैं और मैं तो यह समझ पाया हूँ कि जिन आदिवासी लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है उन्हें अनुसूचित नहीं किया गया है। संविधान की धारा 342 के अधीन जिन अन्य जनजातियों को अनुसूचित किया जाएगा वे भी भारतीय ईसाइयों से भिन्न जातियाँ होंगी क्योंकि ईसाई धर्म अपना लेने वाला वर्ग इन पिछड़े वर्गों के सर्वथा भिन्न है और इनकी धार्मिक नीतियाँ तथा रीति-रिवाज भी सर्वथा अलग-अलग हैं।

यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुसार चला जाए तो ये धर्म परिवर्तित लोग अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि यह समुदाय आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नत है। आँकड़ों से पता लग जाता है कि ईसाइयों में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता 44 है जबकि जनजातियों में यह प्रतिशतता केवल 8·58 है। इससे फिर स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासी जातियों की तुलना में भारतीय ईसाई वर्ग कितना अधिक शिक्षित तथा उन्नत है।

मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये लोग सवर्ण हिन्दुओं अथवा मुसलमानों से भी अधिक शिक्षित तथा उन्नत हैं। संभवतः यही कारण है कि ईसाई धर्म अपना लेने वालों को अनुसूचित वर्गों में नहीं शामिल किया गया है।

परन्तु जनजातियों की कमजोरी के कारण सरकार स्थिति का पूरा लाभ उठाकर उनका शोषण करती रही है क्योंकि सरकार पर इस उन्नत ईसाई वर्ग का दबाव रहता है।

अब मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि कोई समुदाय गत् बीस वर्ष से कोई किसी विशेषाधिकार का लाभ उठाता रहा है तो इतनी लम्बी अवधि के आधार पर ही उसे न्यायोचित समझ लिया जाएगा? संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश के विरोध में सरकार द्वारा प्रस्तुत इस आशय का संशोधन सरकार की इस जनजाति विरोधी नीति का परिचायक है। वह जनजातियों के टुकड़े कर देना चाहती है और दावा यह करती है कि वह उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने सदैव ही गरीबों और पिछड़े लोगों की अवहेलना करके उन्नत तथा समृद्ध वर्गों के हितों को प्राथमिकता दी है। अतः सरकार के उक्त प्रस्ताव पर मुझे गहरा खेद हुआ है।

परन्तु मैं यह भी नहीं चाहता कि ईसाई वर्ग को और अधिक सुविधायें दी ही न जायें। उनकी संख्या 5 प्रतिशत है और उन्हें उसी प्रतिशतता के अनुसार लाभ दे दिये जायें। मैं ईसाई विरोधी नहीं हूँ। देश में ईसाई लगभग 16 लाख हैं परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या 2 करोड़ 84 लाख है। ईसाइयों की प्रतिशतता के अनुसार इस सभा में उनकी संख्या केवल 2 होनी चाहिए। श्री किसकू अपने चुनाव क्षेत्र के केवल 10,000 ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि श्री होरो के चुनाव क्षेत्र में कुल 5 लाख व्यक्तियों में से केवल 90,000 लोगों ने उन्हें मत दिये हैं। वे केवल इसीलिए इस सभा में आ सके क्योंकि सरकार ने ही उन्हें वरीयता दी है।

यहाँ मंत्रि-परिषद् में 6 ईसाई संसद् सदस्यों में से दो मंत्री हैं। अनुसूचित जातियों के 32 सदस्यों में से एक भी मंत्री नहीं है।

राज्य सरकारों की स्थिति देखिए। बिहार में ईसाई जनसंख्या 10·57 प्रतिशत है। वहाँ पर इस वर्ग के मंत्रियों की प्रतिशतता का अनुपात 50 : 100 है। बिहार महा लेखापाल कार्यालय में उन्हें 100 प्रतिशत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नागालैंड में ईसाइयों की जनसंख्या 55·67 प्रतिशत है और मंत्री 100 प्रतिशत ईसाई हैं। मेघालय में 44·2 प्रतिशत ईसाई जनसंख्या में 100 प्रतिशत ईसाई मंत्री हैं।

जहाँ तक अखिल भारतीय विशेषाधिकारों का प्रश्न है, ईसाई, जो कि कुल आदिवासी जनसंख्या के 15·3 प्रतिशत के बराबर हैं, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, भारतीय पुलिस सेवाओं, वैदेशिक सेवाओं, वन सेवाओं तथा अन्य दूसरी सेवाओं में 52 से 70 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

जहाँ तक राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है, आसाम में जहाँ उनकी जनसंख्या 24·1 प्रतिशत है 80 प्रतिशत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नागालैण्ड में ईसाइयों की जनसंख्या 55·67 प्रतिशत है, वहाँ उन्हें 90 प्रतिशत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सदन इस बात का निश्चय करे कि पिछड़े हुए लोगों में से भी जो लोग सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं उनको ऊँचा उठाने, उनके जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जाने हैं।

जहाँ तक कक्षा दस से ऊपर की छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, 5 प्रतिशत ईसाइयों को 54 प्रतिशत छात्रवृत्तियों दी जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में छात्रवृत्तियों की प्रतिशतता 63 और 100 के मध्य है। ये छात्रवृत्तियाँ ईसाई जनसंख्या की समानुपातिक हैं ना कि समस्त आदिवासी जनसंख्या की।

नीचे कुछ आँकड़े और दिये गये हैं जिनसे स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगी। आसाम में आदिवासियों की जनसंख्या 34·62 लाख है, ईसाई 5·67 लाख हैं और छात्रवृत्तियों की राशि 24·81 लाख रुपये है। बिहार में आँकड़े 42·4, 4·44 तथा 33·55 लाख रुपये; उड़ीसा में 42·23, 1·04 तथा 3·10 लाख रुपये; मनीपुर में 2·49, 1·52 तथा 5·96 लाख रुपये; नागालैंड में 3·43, 1·91 तथा 1 लाख रुपये; पश्चिम बंगाल में 20·54, 0·56, 3·52 लाख रुपये और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 66·78 लाख है जिसमें ईसाई 0·97 लाख हैं और उन्हें 6·43 लाख रुपये छात्रवृत्तियों के रूप दिए जाते हैं।

कक्षा दस से पूर्व की कक्षाओं के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में ईसाइयों की 5·53 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 75 प्रतिशत से कम छात्रवृत्तियाँ नहीं दी जाती हैं। आदिवासियों के विकास हेतु धनराशि वितरण की यह प्रणाली अपनायी जा रही है।

सरकार ने गत् 18 वर्षों की योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 150 करोड़ रुपये व्यय किये हैं जिसमें से ईसाइयों को जिनकी संख्या केवल 16 लाख है, 138 करोड़ से कम धनराशि नहीं दी गई है और 3 करोड़ संख्या वाली शेष पिछड़ी जातियों को केवल 12 करोड़ रुपये दिए गए हैं और सरकार रात दिन इनके विकास की बात कहती है।

1952 से 1967 तक मिशनरियों को विदेशों से 278 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्हें क्या मिला है, वे चाहें तो देश को बेच सकते हैं।

शोषण के अन्य दूसरे ढंग भी हैं। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 46 का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे और अधिक अच्छा उदाहरण और क्या होगा।

अनुच्छेद 27 के अन्तर्गत, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु सरकारी निधि से जो कि उन्हें छात्रवृत्तियों के रूप में मिलती है, पादरियों और भिक्षुणियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जब कभी अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न उठता है तो सरकार सदैव ईसाइयों को प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। यह इस कारण कि सरकार अनुसूचित जनजातियों का कल्याण हृदय से करना नहीं चाहती है। यदि यह प्रक्रिया जारी रही तो आदिमवासियों के समाज में विघटन पैदा हो जायगा और आदिमवासियों के समाज में क्रियाएं-प्रतिक्रियाएं होंगी तथा खूनी क्रांति होगी। यदि आप आदिमवासियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो एक कानून बनाइये कि कोई भी आदिमवासी नहीं रहेगा, उसका धर्म परिवर्तन किया जायगा। हमें इससे प्रसन्नता होगी।

आप बड़ी शेखी बघारते हैं कि हमारा एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है परन्तु वास्तव में हमारे यहाँ धर्म-निरपेक्षता नहीं है। ईसाई मिशनरियों को बहुत अधिक पैसा दिया जा रहा है। ईसाइयों को इस बात की चिन्ता नहीं है कि उनके विशेषाधिकार वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास अनेकों अतिरिक्त संसाधन हैं, उन्हें केवल एक ही बात की चिन्ता है और वह यह है कि धर्म परिवर्तन करने से जो धन उन्हें प्राप्त हो रहा है, वह नहीं मिलेगा।

क्या संवैधानिक विशेषाधिकारों के लिए अनुसूचित जनजातियों का उद्देश्य ईसाई धर्म के प्रसार से सम्बन्धित है ? यही इस समस्या का मूल बिन्दु है । आप सदैव ही धर्म-निरपेक्षता की बात करते रहते हैं । यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है तो ईसाई मिशनरियाँ इस स्थिति को धर्म परिवर्तन करने का लाइसेंस समझकर अनेकों व्यक्तियों से धर्म परिवर्तन करायेंगी और फिर उन्हें इस कार्य से कोई भी नहीं रोक सकता । मैंने यह सब जो कुछ कहा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं ईसाई धर्म का विरोधी हूँ । मेरा तात्पर्य तो केवल यही है कि 95 प्रतिशत व्यक्तियों को 5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत व्यक्तियों को 95 प्रतिशत विशेषाधिकार तथा सुविधायें प्रदान करने में कौन सा तर्क है ?

अब मैं सिफारिशों की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ

[श्री वासुदेव नायर पीठासीन हुए
SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

संसद् के 322 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नाम इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । सरकार ने जो संशोधन पेश किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । सरकार को यह संशोधन वापस ले लेना चाहिए । यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो इससे जनजातियों में असंतोष पैदा हो जायगा । ऐसा करने पर ही आप यह प्रमाणित कर सकते हैं कि आप आदिमवासियों के हितैषी हैं, आपकी नीति प्रगतिवादी है और आप पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता करना चाहते हैं । अदि आप संशोधन वापस नहीं लेते हैं तो इससे 285 लाख व्यक्तियों में असंतोष फैल जायगा और ये उपद्रव मचाने आरम्भ कर देंगे । और यदि इन्होंने उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया तो फिर उन्हें इससे नहीं रोका जा सकेगा ।

भूतपूर्व महाराजाओं को सरकार से प्रिवीपर्स के रूप कितना पैसा दिया जाता था ? 4 करोड़ रुपये या 5 करोड़ रुपये और 20 वर्षों में 100 करोड़ रुपये । 20 वर्षों में ईसाई मिशनों को 138 करोड़ रुपया दिया गया है । क्या आप इस प्रकार के प्रिवीपर्स जारी रखना चाहते हैं ? यह सब क्या है ? इन व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात में सहायता की जानी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के नाम में सारी सुविधाएं इन ईसाई मिशनरियों को प्रदान कर दी जाएं । आदिम जाति के लोगों को संसद् सदस्यों की सहानुभूति और उनके न्याय की आवश्यकता है, उनको न्याय दिया जाना चाहिए ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि इस परिस्थिति पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता हैं । मैं किसी सम्प्रदाय अथवा जाति विशेष का विरोधी नहीं हूँ । धर्म-निरपेक्षता का अर्थ देश में साम्प्रदायिक सन्तुलन पैदा करना है । कुछ लोगों ने धर्म-निरपेक्षता का गलत अर्थ लगाया है क्योंकि वे यह समझते हैं कि वे जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं । यदि मैं यह कहता हूँ कि यह गलत है, सरकार को इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए तो उनका उत्तर यही होता है कि मैं ईसाई विरोधी हूँ । ये आदिमवासी विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं । आदिमवासियों की पूजा के सभी स्थानों को कब्रिस्तानों में परिवर्तित किया जा रहा है ।

मुझे पता चला है कि इस संशोधन के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, यह बड़े आश्चर्य का विषय है । यदि सरकार ने ये संशोधन पेश किए हैं तो कम से कम उसे अपने दलगत सदस्यों को इच्छानुसार निर्णय करने की छूट देनी चाहिए थी । ऐसा नहीं किया गया है ।

यदि सरकार संयुक्त समिति की सिफारिशों की अवहेलना करती है तो मैं सरकार के इस अवैध, असंवैधनिक, अलोकतांत्रिक, अमानवीय, धर्म-निरपेक्षता विरोधी निर्णय का विरोध करता हूँ ।

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI (Baghpat) : It is of no use to abuse any community or religion for the evils prevailing in our society. We should sincerely endeavour to root out those prevailing evils if we are really interested to help the Scheduled Castes Scheduled Tribes and uplift the down trodden. We are here not to encourage ill-wills for what has happened in the past but we should make our whole hearted dedications for the upliftment and welfare of our society.

Scheduled Tribes people were being given certain concessions because Hindu society was caste ridden. When there was no caste system prevalent among Christiens and Muslims, there was no basis in giving these concessions to those tribals who embraced christianity or Islam. If these concessions are extended to all—even those who are converted into Christianity or Islam, it means that the real objective of concessions would be hampered. As Shri Oraon has rightly said that if these privileges and concessions are extended to the people who are not authorized, who are not deserving and those who are not in need then the interests and privileges of the really authorized and deserving people would be badly affected. The Christians are getting a lot of money from abroad for their welfare. If the concessions being given to scheduled tribes are extended to christian tribals it would deprive the tribals who really needed help. The facilities being given to Scheduled tribes should not, therefore, be given to converted tribals. These facilities are meant only for backward class of the society so that their status might be raised.

Banjaras are the real tribals if we take it in real sense of the term. They must be included in Scheduled tribes.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : सभापति महोदय, श्रीमन् मैं दो बातों पर बोलना चाहता हूँ, एक तो यह जो कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में धारा 2 A, पैरा 2, पृष्ठ 29, पंक्ति 38-41 में उल्लिखित है और दूसरे मैं उन आदिवासियों के विषय में बोलना चाहता हूँ जो मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से लगभग 100 वर्ष पूर्व आसाम में चले गये थे और वहाँ जिन्हें आदिवासी की संज्ञा नहीं दी गई । पहले मैं दूसरी बात लेता हूँ ।

वे आदिवासी जो अधिकांशतः संथाल, मुंडा तथा उरांव आदि हैं और जो आसाम के चाय उद्योगों में कार्य करने चले गये थे, वे गत् 20 वर्ष की अवधि में अपने विशेषाधिकारों, संवैधानिक सुरक्षाओं तथा अनुसूचित जाति की संज्ञा पाने से वंचित रहे हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वे व्यक्ति जिन्हें भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत कुली जाति के आपने अनुसूचित किया गया था, भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के पश्चात् आसाम सरकार ने उन्हें इस मान्यता से वंचित कर दिया और तभी से ये लोग अपने विशेषाधिकारों से वंचित रहे हैं । पश्चिम बंगाल तथा जलपाई गुड़ी में ये लोग अनुसूचित जनजातियों में आते हैं परन्तु आसाम में नहीं हैं । मैं पीछे दो बार आसाम गया । मैंने इन लोगों की आँखों से बहते हुये आँसू तथा रोष की आग देखी है ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि संयुक्त समिति ने इन लोगों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित करने की सिफारिश की है और मुझे आशा है कि सरकार अनेकों वर्षों से इन लोगों के साथ किये जाते रहे अन्याय को समाप्त करके इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करेगी । आसाम भी भारत का एक भाग है और आसाम के चाय बागानों में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी इन सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए ।

मैं श्री कार्तिक उरांव की इस बात से सहमत हूँ कि हमारी बहुत-सी जातियाँ अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सहायता प्राप्त करने से वंचित रही हैं। परन्तु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, वे इन आदिवासी जातियों का शोषण कर रहे हैं।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है "कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपना धर्म अथवा धर्मों को छोड़ दिया है और ईसाई अथवा इस्लाम धर्म अपना लिया है" इन्हीं शब्दों में विवाद का हल निहित है।

इस सम्बन्ध में जनगणना प्रतिवेदन से कुछ उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। 1961 के जनगणना प्रतिवेदन में जो धर्मवार आँकड़े दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं। समस्त आदिवासी जनसंख्या में अदिवासी धर्म में विश्वास रखने वालों की संख्या 4·19 है। जिन्होंने अपने आपको हिन्दू बताया है उनकी संख्या 81·39 प्रतिशत है। आदिवासी ईसाइयों की संख्या 5·3 प्रतिशत बताई गयी थी, मुस्लिमों की संख्या 0·21, बौद्धों की 0·25 तथा अन्य दूसरे धर्मों की संख्या 0·44 प्रतिशत थी। जिन्होंने अपना धर्म आदिवासी बताया था उनकी संख्या 4·19 प्रतिशतता दिखाई गई है और इस प्रकार केवल वही आदिवासी जाति के अन्तर्गत आते हैं, शेष नहीं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि आदिवासी धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को ही आदिवासी जाति के अन्तर्गत रखा जायगा तो विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी जिन्होंने दूसरे धर्म अपनाये हैं वे सभी इन सुविधाओं तथा विशेषाधिकारों से वंचित रह जायेंगे और इस प्रकार जातियों को सूचीबद्ध करने का सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा।

दूसरा वाक्य यह है कि "जिन्होंने ईसाई अथवा इस्लाम धर्म अपना लिया है।" इस सम्बन्ध में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि हमें बड़े-बड़े मामलों में धार्मिक पहलू को बीच में नहीं लाना चाहिए ; ऐसे मामलों में बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि धार्मिक पहलू को बीच में लाया जायगा तो इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी।

धार्मिक आधार के अन्तर्गत साम्प्रदायिकता का समावेश है। इस मामले में यदि इस आधार को अपनाया गया तो इसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं और ये केवल आदिमवासियों के लिए ही नहीं, दूसरे धर्मों तथा जातियों के लिए भी हो सकते हैं। विश्व में भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य माना जाता है। हम उन देशों के सामने जिनकी अधिकांश जनसंख्या या तो मुस्लिम है या ईसाई, अपने देश को किस प्रकार धर्म-निरपेक्ष प्रमाणित करेंगे ?

इस बात पर कि ईसाई आदिवासी हैं, हमें सावधानी पूर्वक विचार करना है। देश के प्रति ईसाई भी इतने ही सच्चे हैं जितने दूसरे धर्म वाले। उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। वे त्याग करके देश की सेवा करना चाहते हैं। यह बात समस्त संसार में विदित है कि ईसाइयों ने हमारे देश में सर्वोत्तम अस्पतालों की स्थापना की है, उन्होंने आश्चर्यजनक कुष्ट रोगी आश्रमों, स्कूलों आदि की स्थापना की है।

ईसाई धर्म अपनाने से पूर्व नागाओं ने तीन ईसाई पादरियों को मार डाला था। इस प्रकार यह लोग वहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए पहुँचे थे।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : क्या वह इस बात को मानते है कि ईसाई नागा शत प्रतिशत विद्रोही हैं ?

श्री अ० कु० किस्कु : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूँगा । ईसाई नागा इतने ही देशभक्त हैं जितना कोई और ।

श्री बाबूराव पटेल : वह क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं ? ईसाई नागा हिन्दुओं से अधिक देशभक्त नहीं हो सकते ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को सभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । उन्हें अपने विचार अच्छी भाषा में व्यक्त करने चाहिएं ।

श्री अ०-कु० किस्कु : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में ईसाई लोगों को विदेशी समझा जाता है । भारत की स्वतंत्रता से ईसाई अपने चर्चों का भारतीयकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नागपुर के चर्च का प्रबन्ध 29 नवम्बर से भारतीयों के हाथ में दिया जा रहा है । चर्च का उद्देश्य पिछड़े लोगों की सेवा करना है । इसको गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

माननीय मित्र श्री उरांव ने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनसे मैं महसूस करता हूँ कि वहां पर, विशेषकर छात्रवृत्तियों के मामले में कुछ कुप्रबध हैं । चर्च ने ही पुराने समय से इन लोगों का उद्धार किया है । यह कहना कि उनको उनके साथियों से दूर ले जाया गया है, चर्च के साथ जुल्म करना है । मैं चाहता हूँ कि सरकार केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर पर जाँच कराये और देखे कि गलती कहाँ पर है । धन का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे वे हमारे लोगों के पास समय पर पहुँच सके । परन्तु पूरी अनुसूचित आदिम जातियों को धर्म के आधार पर विभाजित करना एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमें सावधानी से काम लेना होगा । इस संशोधन से आदिम जातियों में चिन्ता हो रही है । वर्गहीन तथा जातिहीन आदिम जाति समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करना इस सुनहरे देश को नष्ट करना होगा । इस बारे में धर्म की बात असंगत है । आदिम जातियों के लोग भाषा, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक आदतों तथा विशेषकर अपने पिछड़ेपन के कारण आदिम जाति के लोग हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले के संबंध में बड़ी सावधानी से विचार किया जाना चाहिए । मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आदिम जातियाँ को धर्म के आधार पर विभाजित न किया जाए ।

श्री जि० ना० प्रमाणिक (बलूरघाट) : सभापति महोदय, मैंने एक साधारण संशोधन का नोटिस दिया है । मेरा अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल तथा बिहार के राजवंशी आदिम जाति के लोगों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए । गलतफहमी को दूर करने हेतु ही मैंने यह संशोधन पेश किया है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् (कोलार) : कुछ माननीय मित्रों ने सूची में कुछ वर्गों को शामिल करने तथा उसमें से कुछ वर्गों को निकालने का उल्लेख किया है । संयुक्त प्रवर समिति ने यह निर्णय किया था कि मैसूर के कुछ समुदायों को अछूत नहीं समझा जा रहा है । इसके बावजूद भी उनको अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल किया जा रहा है । इससे यह भी पता चल जाता है कि ओड्डा अथवा वोड्डा लोग उड़ीसा से ही गये थे, वे काम और रोटी की तलाश में उड़ीसा से वहाँ पर गये थे । उड़ीसा से जाने के बाद वे भारत के दक्षिणी भागों में फैल गये हैं । इन लोगों का निवास स्थायी रूप से कहीं भी नहीं है। जो लोग मैसूर में बस गये हैं, वह मैसूर राज्य की नगर पालिकाओं में सफाई का काम करते हैं । ये लोग झौपड़ियों में रहते हैं ।

ये लोग शराब पीते हैं और देवी माता को पशुओं का बलिदान देते हैं। इनकी औरतें शरीर के ऊपरी भाग पर कुछ नहीं पहनतीं और हाथों में पीतल की चूड़ियाँ पहनती हैं। इन लोगों के रीति-रिवाज भी पुराने हैं और ये लोग पुराने जमाने की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं और इनका मार्गदर्शन इनके मुखिया द्वारा किया जाता है। यही उनका विवाह-संस्कार आदि भी कराता है।

मैसूर के किसी भी घर में यदि आप जायें और वहाँ आपको यदि कोई सबसे गन्दा व्यक्ति मिले तो आप समझ लें कि वह ओड्डा जाति का है। इन लोगों ने इस कारण 1946 में एक कनवेनशन बुलाया था और स्वयं को बोवीस कहलाने का निर्णय किया था। इस आशय का संकल्प राज्य सरकार को भी भेजा गया था। बोवी लोग वास्तव में ओड्डा लोग ही हैं। अतः मैं श्री उरांव से निवेदन करूंगा कि अपना संशोधन वापस ले लें।

इस प्रकार मैसूर राज्य में सात अन्य समुदाय भी हैं जिनकी उपेक्षा की गई है। इनमें से दो जातियाँ अर्थात् कोर्चा और कोरमा बाँस की टोकरियाँ तथा चटाइयाँ आदि बनाते हैं। इसी प्रकार कट्टया जाति के लोग पक्षियों का शिकार करते हैं। संयुक्त समिति ने इनको आदिम जातियों की सूची में शामिल करने का निर्णय किया है। परन्तु ये लोग वास्तव में नगरों तथा कस्बों से दूर जंगलों में रहते हैं। इसीलिए मैंने श्री उरांव से निवेदन किया है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ताकि संयुक्त समिति के निर्णय को क्रियान्वित किया जा सके। जहाँ तक बोवी समुदाय को सूची में शामिल करने का सम्बन्ध है, मैं इसके समर्थन में पहले एडगर थसर्टन की पुस्तक का उल्लेख कर चुका हूँ। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि उसको स्वीकार कर लिया जाए।

सभापति महोदय : हम चाहते हैं कि इस विधेयक का प्रथम वाचन आज पूरा हो जाये। परन्तु मेरे पास अभी अनेक सदस्यों के नाम हैं।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज पूरे दिन माननीय सदस्य बोल सकते हैं और उत्तर कल दिया जा सकता है।

श्री बाबूराव पटेल : क्या इस पर आज मतदान होगा ?

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैंने संयुक्त समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि दूसरी अनुसूची में पैरा 2ए को शामिल किया गया है। इस उपबन्ध से इन समुदायों को सहायता मिलेगी। शिक्षा तथा अन्य प्रायोजनाओं के लिए सरकार से जो भी धनराशि अथवा अनुदान उपलब्ध होता है उसका अधिकांश भाग ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा उपयोग किया जाता है और उन आदिवासियों के लिए कुछ भी धनराशि नहीं छोड़ी जाती जो उस धर्म में विश्वास नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप केवल कुछ लोगों को ही रोजगार आदि के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

संयुक्त समिति की इस उपबन्ध को शामिल करने की सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस उपबन्ध के बारे में स्वमेव संशोधन भेजा है। सरकार को इस उपबन्ध को दूसरी अनुसूची से निकालने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। यदि यह उपबन्ध नहीं होता तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तत्संगत होता। उक्त उपबन्ध के होने के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावकारी नहीं रह जाता है। इस उपबन्ध के न होने के कारण न्यायालय ने यह ठीक ही निर्णय दिया है कि यदि कोई आदिमवासी अपना धर्म परिवर्तित करता है तो वह आदिवासी ही रहता है। अतः प्रस्तुत किया गया उपबन्ध बहुत आवश्यक है। जैसे ही कोई व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार करता है वह यह सोचने लगता है कि वह भारतीय नहीं है। यह सामान्य धारणा है। जो लोग शिक्षित हो गये हैं और जिन्हें अन्य साधनों से सहायता प्राप्त हो रही है उनका नाम आदिम जातियों की सूची से निकाल दिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में सरकार को संयुक्त समिति की सिफारिशों के विरुद्ध रुख नहीं अपनाना चाहिए और अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में उक्त उपबन्धों का उल्लेख नहीं है। उसमें केवल यही उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति किसी विशेष धर्म का है। इससे संसद अथवा सरकार किसी श्रेणी के व्यक्तियों को लाभ या अतिरिक्त सहायता देने के लिए उनका नाम विशेष सूची में शामिल या निकाल देने से वंचित नहीं हो जाती।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : आदिमवासियों को हमें कुछ लाभ देने चाहिएं जिससे वे आर्थिक दृष्टि से विकास कर सकें। उन्हें शिक्षा के अवसर भी दिये जाने चाहिएँ।

एक समुदाय को एक सूची में शामिल करने अथवा दूसरे समुदाय को अन्य सूची में से निकालने से आदिवासियों और हरिजनों की दशा में सुधार नहीं होगा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं।

योजना पर खर्च की जाने वाली धनराशि में से एक प्रतिशत धनराशि भी उन लोगों के विकास के लिए खर्च नहीं की गई है। उनके विकास के लिए निर्धारित राशि को अन्यत्र खर्च किया गया है।

कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों ने धर्म के नाम पर धनराशि भेजी है और उसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

जनता की यह भावना है कि यदि वे ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें अधिक सभ्य समझा जाता है। वह हिन्दू बनने से दूर भागते हैं। वहाँ हिन्दुवाद बिल्कुल असफल रहा है।

हिंसा की परिभाषा में परिवर्तन हो रहा है। आज लोगों का विश्वास बनता जा रहा है कि आज हिंसा का अर्थ विभिन्न प्रकार के अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करना है। सदस्यों को इन मूल समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक उनके बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता।

जब तक हम कुछ समुदायों को उस सूची में शामिल नहीं करेंगे और कुछ समुदायों को उस सूची से नहीं निकालेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। गत् 23 वर्षों में सरकार इस समस्या को हल करने में पूर्णतया असफल रही है। इस प्रश्न पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, उक्त समुदाय की भलाई तथा विकास नहीं किया जा सकेगा।

इस सूची को तैयार करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है ?. इस सम्बन्ध में कोई कसौटी बनाई जानी चाहिए। यदि कोई मछुआ अमीर है तो उसका नाम उक्त सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बंगाल में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों की सूची में आते हैं और यदि वे उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 5 मील आ जाते हैं तो उनका नाम अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं रहता। यह बहुत अजीब बात है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये संशोधन को स्वीकार कर लिया जाएगा।

SHRI SHASHI BHUSHAN (Khargone) : There cannot be any economic revolution and Socialism in the country unless there is social revolution. It is not possible to bring socialism in the country in this way. Backward class people are economically and Socially being brought forward. But it is unfortunate that they have not been provided enough facilities. Those Adivasis who have been converted as christians they should not be given rights of Advasis. All the primary and middle schools and Universities there, should be nationalized.

I am of the view that either the facilities should be given to all or they should not be given to anybody. The education should be provided on national basis. The discrimination of caste and creed should be abolished. The backwardness of these commounities could be removed by social revolution. Today we see that political tribes are also coming up. C. P. I. (M) and naxalites are fighting with each other as if they are living in stone age. I feel that all these things can be removed only by Social revolution.

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवदीप) : यह बहुत विवादास्पद विधेयक है और सरकार को इसे संयुक्त समिति को फिर से भेजना चाहिए।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : इस विधेयक के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश, बेस्ता, गंगापुत्र और गुण्डला के मछुओं को भी इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में दो तीन संशोधन हैं। मैं समझता हूँ सरकार उनको स्वीकार कर लेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को संरक्षण देने के आधार अथवा कसौटी के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे सामने मुख्य प्रश्न उनका दर्जा बढ़ाने का है। यदि उनका दर्जा बढ़ा दिया जाता है तो फिर वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नहीं समझे जाते। सरकार ने उनका दर्जा बढ़ाने के बारे में अब तक विचार नहीं किया है। अब सामाजिक ढाँचा बिल्कुल बदल गया है। यदि एक बार उनका दर्जा बढ़ाया जाता है तो समस्या हल हो जाती है। श्री अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के सच्चे शुभचिन्तक थे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों में से अब तक किसी व्यक्ति को भी राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया है। अत: सरकार ने जो नीति अपनाई है, वह उचित नहीं है। यह तब ही कहा जाएगा कि सरकार ने जनता की वास्तविक सेवा जब भारत की जनता चाहे वह हरिजन हों, मुस्लिम हों या ईसाई हों, यह अनुभव करें कि मानव होने के नाते वह अपना सिर ऊँचा उठा सकें और यह अनुभव कर सकें कि उनका दर्जा और लोगों के समान है।

श्री प्र० रं० ठाकुर : उक्त विधेयक में सब राज्यों में अनुसूचित जातियों को दिए गए विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है। केवल अन्दमान में ऐसी जातियों के व्यक्तियों की सूची नहीं बनाई गई है। अन्दमान गये अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भी उक्त सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैंने इस बारे में अनुरोध भी किया था। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई

ध्यान नहीं दिया है। संसद् को इस बारे में न्याय करना चाहिए। 'नामशूद्रों' को दुर्भाग्य से सूची से निकाल दिया गया है। आशा है सरकार उनका नाम अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लेगी।

यदि सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के सुधार के लिए ईमानदारी से काम किया होता तो उनके आरक्षण के लिए 10 वर्ष की और अवधि बढ़ानी नहीं पड़ती।

सरकार उनकी दशा में सुधार करने के लिए कार्य नहीं कर रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मनुष्य ही नहीं समझा जाता है। हरिजनों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। मैं संयुक्त समिति का सदस्य रहा हूँ। मेरे विचार से हमें इस सम्बन्ध में सफलता नहीं मिली है। सरकार को उनके उद्धार के लिए यथोचित प्रयास करने चाहिएं।

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : The intention of the Government have never been clear regarding this Bill. The Lokur Committee appointed by the Gevernment has recommended that some castes should be omitted from the lists. But the Government had faild to implement its recommendations. The Parliamentary Committee appointed in this connection did some justice with scheduled castes and scheduled tribes people. Formerly, the Government did not like to include advanced communities in that list but now it wants to do so for its own interest. I think it is a black Bill, which snatches the rights of the scheduled castes and scheduled tribes. In this way after ten years the scheduled castes and scheduled tribes people would have no rights.

Generally, the report of the Joint Committee is accepted in full or with few amendments. But in this case the Government has presented 234 amendments. I hope that the Government will accept the recommendations of the report of the Committee as they are. I want that the Government should withdraw its amendment. It is very strange that if some people of scheduled castes or scheduled tribes went to some other province then they no longer remain scheduled castes and scheduled tribes people. I want that Justice should be done with them.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। मुझे आशा है कि इस विधेयक को सब दलों से समर्थन प्राप्त होगा। भारत के संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची दो में संकलन, परिवर्धन और परिवर्तन करने के बारे में अनेक वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। हमारे संविधान के निर्माता इस बारे में असफल रहे हैं।

संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा जाति-रहित और धर्म-रहित समाज का निर्माण करने का उल्लेख किया गया है लेकिन अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी ऐसे समाज का गठन अब तक नहीं किया गया है। अतः इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह असमानताओं को दूर करने का एक अच्छा प्रयास है। यह हर्ष की बात है कि पंडित जी द्वारा असमानताओं को दूर करने का जो आश्वासन दिया गया था उसे आज अनेक वर्षों बाद पूरा किया जा रहा है। संशोधनों के संबंध में श्री हनुमन्तैया ने अपनी कठिनाइयाँ प्रकट की थीं। संयुक्त समिति में ही प्रभारी मंत्री ने स्पष्टतः कहा था कि वे समिति के कुछ संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकेंगे और उन्हें अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो आदिवासी ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे, उनके विशेषाधिकार और सुविधायें समाप्त करने के उपबन्धों का भी जिक्र किया गया।

वास्तव में लोग यह भूल जाते हैं कि इन लोगों के विशेषाधिकारों को समाप्त किये जाने से हम उन्हें धर्म परिवर्तन करने की प्रेरणा देते हैं। जो ईसाई धर्म प्रचारक मिशनें यहाँ काम कर रही हैं, उनमें अधिकांशतः विदेशी ही काम करते हैं और इस में विदेशी धन का काफी प्रभाव है। वे बेचारे आदिवासियों को धोखा देते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। हम अपने लोगों के धार्मिक हितों की रक्षा करने में असफल रह जाते हैं और यहाँ सदन में आकर यह कहते हैं कि चूंकि वे लोग ईसाई बन गए हैं, अतः उन के विशेषाधिकार समाप्त किये जाने चाहिए।

अब सरकार को एक विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए कि उस व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय आयकार दाता के स्तर से नीचे हो, आदिवासी माना जाएगा और जिस खेतिहर के पास निम्नतम सीमा की भूमि हो, जो आदिवासी वर्ग में आता है, उसे भी आदिवासी माना जाना चाहिए परन्तु हम आदिवासियों का इस आधार पर वर्गीकरण करने के लिए तैयार नही हैं और यह कहते हैं कि जो ईसाई या मुसलमान बने हैं, उनके विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाए। मगर हम प्रायः यह बात भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है और हमारा एक संविधान है जो यह घोषणा करता है कि हमारा धर्म-निरपेक्ष समाज है और किसी संप्रदाय या धर्म के साथ भेदभाव नहीं बरता जा सकता है।

हम भारतीय समाज का विभिन्न जातियों और वर्गों में विभाजन कर रहे हैं और सामाजिक एकता को भंग कर रहे हैं। मगर जब तक यह एकता कायम नहीं होती, तब तक इन लोगों की सुविधायें तथा विशेषाधिकार जारी रखे जाने चाहिए जिनकी व्यवस्था संविधान में की गई। अतः संविधान के निर्माताओं ने चाहा था कि विशेषाधिकार केवल पहले दस वर्षों तक जारी रहें। हम इस अवधि को बढ़ाते रहे। इस प्रकार केवल अवधि बढ़ाने से या केवल कुछ सुविधायें या विशेषाधिकार देने से या पदों का आरक्षण करने से उनकी उन्नति नहीं हो सकती।

धर्म के सम्बन्ध में हम कहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पर्याप्त राशि के अभाव के कारण अधिक सुविधायें नहीं दी जा सकी हैं। अगर उनकी बढ़ती संख्या के आधार पर उन्हें सुविधायें देने के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जाती है, तो सदन को इससे अधिक संतोष ही होगा।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़ और पंजाब में एक जाति ऐसी है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत रहना नहीं चाहती है। उनकी सर्वसम्मत माँग यह है कि उन्हें अनुसूचित जाति से हटा दिया जाए परन्तु सरकार इस पर विचार नहीं करती है।

महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की है कि बनजारा जाति को आदिवासियों की सूची में शामिल किया जाए। मगर लोग कहते हैं कि यह जाति अधिक विकसित है। वे अधिकतर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन्हें सूची से निकाल दिया गया है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्रतिक्रियावादी सरकारों ने इन लोगों को अपनी न्यूनतम सुविधाओं से वंचित कर दिया है। जब महाराष्ट्र सरकार सिफारिश करती है कि इन्हें सूची में शामिल किया जाए, तो सरकार एक संशोधन प्रस्तुत कर इस सिफारिश को मान रही है।

धिवारी, कोली, ओटारी आदि जातियों का गौंड जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। कई उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय किया है कि 'माना' नामक आदिवासी जाति को कोई भी विशेषाधिकार न दिया जाए। मगर उनकी माँग यह है कि उन्हें एक अलग आदिवासी जाति घोषित किया जाए। महाराष्ट्र में गौंड ओटारी या गौंड-माना नाम से कोई भी जाति नहीं है। अतः उन्हें,

जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं, सूची में शामिल किये जाने का प्रयत्न उपहासास्पद है। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे, मैंने जो विचार व्यक्त किये, उन पर ध्यान दें।

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों का जहाँ तक सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि सभी समुदायों को इसमें शामिल किया जाए। बिहार के सहरसा जिले में जुलाहा नामक एक जाति को, जो कि बहुत अधिक पिछड़ी हुई है, सूची में शामिल नहीं किया गया है। एक विधान सभा के चुनाव क्षेत्र में उनकी संख्या कुल मतदाताओं की 40 प्रतिशत है। विधेयक में दी गई बिहार की सूची में पान, सवासो, तांती और तांत्वे आदि जातियों को शामिल किया गया है, मगर जुलाहा जाति को जो इन अन्य जातियों जैसी ही है, सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि इस जुलाहा जाति को भी उसमें शामिल किया जाए।

हरियाणा की सूची में जुलाहा जाति को शामिल किया गया है। मगर यह आश्चर्य की बात है कि बिहार के जुलाहों को सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि इन दो जातियों में कोई अन्तर नहीं है। अब तक इस जुलाहे जाति से एक भी व्यक्ति विधान सभा में नहीं चुना गया है। उनमें कोई भी व्यक्ति किसी भी उच्च पद पर नहीं है। यह जाति अछूत है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : उनकी जनसंख्या कितनी है ?

श्री बि० प्र० मंडल : मेरे विचार से उनकी जनसंख्या लगभग 15-20 लाख से कम नहीं है। आप राज्य से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मूल अधिनियम की अपेक्षा इस विधेयक में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। मूल अधिनियम में सूची की क्रम संख्या 18 में केवल पाँच और सवासी जातियों को ही शामिल किया गया था, परन्तु इस विधेयक में तानि और तांत्वे को भी शामिल किया गया है। अतः मैं यह सुझाव देता हूँ कि जुलाहा जाति को भी सूची में शामिल किया जाए।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किये गए आरक्षण को लेकर सदन में बहुत गर्मागर्मी हुई है। मेरे विचार से जब तक देश में जाति-पाँति की प्रथा कायम रहेगी, तब तक इन आरक्षणों को समाप्त करना न्याययुक्त नहीं है। ये लोग हजारों वर्षों से पददलित रहे हैं और समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही है। अतः आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEKAER *in the Chair*]

इन जातियों के अलावा हिन्दू समाज में अन्य पिछड़ी जातियाँ भी हैं। उनके लिए एक पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था, किन्तु सरकार इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। इनकी उन्नति के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए।

अन्त में, मैं फिर एक बार सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जुलाहा जाति को अछूतों की जाति में शामिल किया जाए। जब कोई हरिजन एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसे वहाँ हरिजन नहीं माना जाता है। यह भेदभाव पूर्ण नीति है। यह नीति समाप्त की जानी चाहिए। हरियाणा में जुलाहों को अनुसूचित जाति माना गया है मगर अपने राज्य में इन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह जाति अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हुई है। उन्हें अछूतों

की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें।

SHRI NATHU RAM AHIRWAR (Tikamgarh) : I would support the report submitted by the Joint Committee. The Government, now, adds some more castes to the list and in some cases, some castes are being dropped. They have made no little effort to uplift the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, toward off evils like untouchability, social degradation and the like. Nevertheless, we see that to-day there are about five crores people who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If this condition is allowed to continue a time will come when India will be full of scheduled castes and scheduled tribes. I have no dispute with the fact as to which caste it is added newly or which is dropped. But the Government should think over the reason as to why the number of people is increasing in the list, who were not included in it earlier. The Committee in its report stated that the regional restriction is lifted up, but it is done only within the state. Where a number of the Scheduled Caste or Scheduled Tribes goes over to any other state and lives there, he is no more considered to be a Scheduled Caste. I want that this restriction also be lifted up.

Coming to the amount spent for the upliftment of Harijans, I would like to pointout that bulk of the amount was spent on establishment, and a very few percentage was spent for the improvement of their lot. Therefore, I request the Government to see that more and more amount is spent for their improvement.

If the aim of the Government is to eliminate poverty amongst the Harijans and to raise their social status, they should provide more funds to them. Much has been said in and out of Parliament, regarding the converts among the Harijans. It is said that those who have been converted into Christianity or Islam, will not be given any facility or privilege. But we must look into the circumstances which led them to embrace other faith. They have changed their religion in a state of shear helpnessness. Had they been treated as even human beings in the society, they would not have changed their religions. If a Harijan becomes collector or any high official, the peon, who may belong to caste Hindu feels shy of giving respect to him. In fact a scheduled caste, remain scheduled cast in the eyes of society whatever position he may assume. But on the contrary, a Christian convert or Muslim convert enjoys the same status in society that a caste Hindu has, although economically they may not be well-off. Therefore, the problem is more of social nature than of economic. Hence the remedy for this state of affairs is to improve the condition which led them to change their religion. It remains a fact that even after being converted into Christianity or Islam, these people cannot relinquish their age old beliefs, habits and culture. Conversion does not change their caste structure. Religion should be viewed different from caste. Therefore, these converts also should be treated as Tribals.

There are several castes in our country, on whom we have not paid any attention. For instance, the Dhimar caste are living in villages in large numbers. They earn their livelihood by catching fish from ponds. But the Government has taken the pond in its possession and these poor people had to loose their means of livelihood. The Government shouldc onsider their case.

The Government say, that they distribute land to Harijans, make proper arrangement for the construction of buildings for them. In Bombay there is a society of Harijans which demands that land be distributed to them. The law states that land and buildings should be made available to them free of cost. But even after 20 years, they did not get even a piece of land. Therefore, I urge the Government to consider their case and take adequate measures to remove their difficulties.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : जब महात्मा गांधी.....

अध्यक्ष महोदय : वे अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवदीप) : मेरा एक निवेदन है, पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य सचिव अनुसूचित जाति का व्यक्ति था । उन्हें केवल इस कारण से कि ये अनुसूचित जाति के हैं, उस पद से हटा दिया गया है । उनका नाम है श्री सुकुमार मल्लिक । मेरी माँग यह है कि उन्हें बहाल किया जाए ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 नवम्बर, 1970/4 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, November 25, 1970/Agrahayana 4, 1892 (Saka).

न्यू इण्डिया प्रिंटिंग प्रेस, खुरजा ।